तृतीय माला, खण्ड २२--अंक ३

बुधवार, २० नवम्बर, १९६३
२९ कार्तिक, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों केमौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या ६१ से ७० ... २७३–२९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ९० ... २९९–३१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३ से २४० और २४२ से २५१ ... ३१०–३४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में प्रक्रिया

काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर हाल की घटनायें

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ... ३४८–३५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३५८–३५९

राज्य सभा से सन्देश ... ३५९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ... ३६०

सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . . . .

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव ... ३६०–३८५

डा० राम मनोहर लोहिया ४६०–३६३

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा . . ३६३–३६५

श्री मुरारका . . . ३६५–३६७

श्री राधेलाल व्यास ३६७–३६९

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . . ३६९–३७१

श्री व० बा० गांधी ३७१–

श्री वारियर ३७१–३७२

श्री सिंहासन सिंह ३७२–३७५

श्री गजराजसिंह राव ३७५–३७७

श्री खाडिलकर . . . ३७७–३७८

श्री श्यामलाल सर्राफ ३७८–३७९

श्री कानूनगो . ३७९–३८५

आय-कर (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव .

श्री ब० रा० भगत ३८५–३८६

---

* किसी नाम पर अंकित यह +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, २० नवम्बर, १९६३

२९ कार्तिक, १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोचीन का तेल शोधक कारखाना

†*६१. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोया :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में चौथा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

†खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

तेल शोधक कारखाने की स्थापना में निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

१. ६-९-१९६३ को भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत एक सरकारी पब्लिक लिमिटिड कम्पनी पंजीबद्ध की गई थी।

२. स्थान के चुने जाने और मिट्टी के परीक्षण का कार्य समाप्त हो गया है।

३. केरल सरकार से सड़कें सुधारने, कारखाने को मिलानेवाली सड़कें बनाने और पुलों को मज़बूत करने आदि की सुविधाएं देने के लिये कहा गया है।

†मूल अंग्रेजी में

1538(ai)LSD—1

४. कारखाने का 'प्रोसेज़ डिज़ाइन' पूरा हो गया है और इसे अनुमोदन के लिये कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटिड को दे दिया गया है। यांत्रिक नमूने और उपस्कर के विशिष्ट विवरण के कार्य में प्रगति हो रही है।

५. विदेशी मुद्रा के ऋण लेने के प्रबन्ध अनुमोदित हो गये हैं

६. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत परिष्करण/पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के कारोबार के लिये औद्योगिक लाइसेंस कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटिड प्राप्त कर लिया है।

७. परियोजना द्वारा जिस सामान की आवश्यकता है उसकी सूची पर इस समय प्रविधिक विकास विभाग से बात चीत चल रही है ताकि आयात का प्रबन्ध होने से पहले उनकी मंजूरी प्राप्त की जा सके।

(ख) लगभग १ लाख रुपये। लगभग १ करोड़ ७६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के वायदे नई कम्पनी द्वारा किये गये हैं

†**श्री अ० क० गोपालन**: विवरण में यह कहा गया है कि केरल सरकार से सड़कों के सुधार, कारखाने के मिलाने वाली सड़कें और पुलों को मज़बूत करने के लिये कहा गया है। क्या ये सुविधायें राज्य सरकार द्वारा पहले से दी जा चुकी हैं?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: इन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। मैंने हाल ही में उस स्थान का दौरा किया। कुछ सड़कों को चौड़ा करना है और कुछ पुलों को मज़बूत करना है ताकि वे भारी बोझ सहार सकें। केरल सरकार इन मामलों की देख भाल कर रही है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या परियोजना में साम्य पूंजी के अंश अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है?

†**श्री अलगेशन**: जी हां। सरकार ५१ प्रतिशत लेगी, फिलिप्स २५ प्रततिशत, डंकन ब्रादर्स २ प्रतिशत और शेष २२ प्रतिशत जनता के लिये है।

†**श्री वारियर** अंशों का जो भाग जनता के लिय रखा गया है क्या उस में राज्य भी भाग ले सकेग अथवा यह केवल गैर सरकारी व्यक्तियों और निगमों को ही उपलब्ध होगा।

†**श्री अलगेशन**: हमने जीवन बीमा निगम से कहा है कि वे इसके शेयर ले। राज्य सरकार भी इस कम्पनी के शयर ले सकती है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि एक अमरीकन कम्पनी जो कोचिन रिफाइनरीज़ लिमिटिड में भागीदार है इस कारखाने के व्यापारिक कार्य के चालू होने से १५ वर्ष तक इस कारखाने के अशोधित तेल का क्रियभिकर्ता होगा और यदि हां, तो इस अमरीकन कम्पनी को इतने लम्बे समय के लिये एकाधिकार देने का मूल कारण क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : सरकार का फिलिप्स कम्पनी के साथ जो करार हुआ है यह उसी का भाग है । क्योंकि इस कम्पनी के पास अशोधित तेल संभरित करने के साधन हैं इस लिये यह तय पाया कि इस अशोधित तेल संभरित करने की अनुमति दे दी जाये । परन्तु यह प्रतियोगी आधार पर होगा ।

रूस में तेल की खोजो में काम आने वाले उपकरणों का आयात

+

†*६२. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री भगवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री कोया :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को तेल की खोज में काम आने वाले उपकरण देने के लिये रुस की फर्म 'टैकनो एक्सपोर्ट' और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच ९ करोड़ रुपये की किसी संविदा[1] पर हस्ताक्षर किय गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य उपकरणों की आने की संभावना है ; और

(ग) कब तक ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां तथापि मूल्य ७.८४ करोड़ रूपयें है ।

(ख) सूराख करने के यंत्र और उत्पादन, परिवहन, भूभौतिकीय तथा भूतत्वीय उपकरण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Contract.

(ग) १२ और ३६ महीनों के बीच ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : इन मशीनों को केवल आसाम में इस्तेमाल करने के लिये आयात किया जा रहा है अथवा अन्य स्थान पर भी तेल की खोज के लिये काम में लाया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : इसे आसाम, गुजरात तथा अन्य स्थानों पर भी इस्तेमाल किया जायेगा यह बताने से असमर्थ हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में कितने उपकरण इस्तेमाल किये जायेंगे ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या बिहार भी इस में शामिल है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां ।

इण्डिया आयल कम्पनी :

†*६३. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इंडिया आयल कम्पनी ने १९६२–६३ में कितना लाभ अर्जित किया ;

(ख) इस समय देश में कितने 'पम्पिग स्टेशन काम कर रहे हैं ; और

(ग) देश में और 'पम्पिग स्टेशन' स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) इंडिया आयल कम्पनी ने कर का समाधान करने के बाद ५९,६०,६६७.७४ रुपय (उनसठ लाख, साठ हज़ार छै सौ सतानवे रुपये और चौहत्तर नये पैसे) का लाभ अर्जित किया ।

(ख) और (ग) पम्पों की संख्या बताना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा, तथापि यह कहा जा सकता है कि इन्डिया आयल कम्पनी और पम्प लगाने में शीघ्रता से प्रगति कर रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि १९६१–६२ में कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया और क्या उन्हें हानि उठानी पड़ी ; यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री तिम्मय्या** : वर्ष १९६१–६२ में कम्पनी को १३,९५,५२८·०८ रुपये की हानि हुई । हानि का कारण यह है कि मूल्य जांच समिति ने यह सुझाव दिया कि कम्पनी को कुछ कटौती सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के रूप में देनी चाहिये जिसे कम्पनी ने बेचने के मूल्य में शामिल नहीं किया । दूसरा कारण यह है कि नूनमाटी के उत्पाद के लिये ऊंचे रेल के भाड़े देने

†मूल अंग्रज़ी में

पड़े जिन्हें भी बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। तीसरा एक कारण यह है कि हम उन सहकारी समितियों को जो हमारा तेल बेच रही हैं रियायत देते हैं। इन सब बातों के कारण हानि हुई और एसा आरम्भ में सरकारी कम्पनियों में प्राय: होता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न का सम्बन्ध केवल इस बात से है कि देश में पम्पिग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने क लिये आगे क्या कार्यावाही करने का विचार है। पम्पिग स्टेशनों की कुल संख्या बताना वाणिज्यिक हित में नहीं है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पम्पिग स्टेशनों की संख्या बढ़ाये जाने की सम्भावना है, अथवा क्या चालू कुछ पम्पिग स्टेशनों को जो अन्य तेल कम्पनियों के स्वामित्व में हैं, आई० ओ० सी० द्वारा लिया जायेगा।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : जैसा कि मूल उत्तर में बताया गया है, हम चालू पम्पों की संख्या नहीं बताना चाहते और यह भी कि कितने और पम्प लगाये जाने हैं; इन्डिया आयल कम्पनी उपभोक्ता और व्यापारिक पम्प लगाने में बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। अन्य कम्पनियों के पम्प लेने का प्रश्न नहीं है, तुरन्त हम अपने ही पम्प लगायेंगे

†**श्री दाजी** : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। हम माननीय मंत्री को वाणिज्यिक हित में सूचना रोकने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आखिर हमें अपने अधिकारों के लिये सतर्क रहना है। उन्होंने बार बार 'वाणिज्यिक हित' शब्दों का प्रयोग किया है। एक कम्पनी का 'वाणिज्यिक हित' 'लोक हित' नहीं हो सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : 'वाणिज्यिक हित' शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है यह नहीं कहा जा सचता कि 'वाणिज्यिक हित' में वे किसी जानकारी को नहीं देंगे।

†**श्री अलगेशन** : हम ने इन शब्दों का प्रयोग कुछ सोच कर किया था। मंत्रालय के प्रतिवेदन में भी हम ने पम्पों की संख्या बताई थी, परन्तु अब आई० ओ० सी०.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कठिनाई यह है कि मैं केवल 'लोक हित' के आधार पर माननीय मंत्री को जानकारी रोकने की अनुमति दे सकता हूं अन्यथा कोई उपबन्ध नहीं है। जब तक वे 'लोक हित' का आश्रय नहीं लेते मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता।

†**श्री अलगेशन** : जिस सीमा तक यह कम्पनी लोक समवाय है इसका हित भी लोक हित बन जाता है ..... (अन्तर्बाधा)

†**श्री दाजी** : क्या माननीय मंत्री 'वाणिज्यिक हित' के अन्तर्गत विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि 'वाणिज्यिक हित' 'लोक हित' है यह एक सीमित समवाय है। यही एक मात्र सरकारी लिमिटेड कम्पनी नहीं है और भी बहुत सी सरकारी कम्पनियां हैं। एक सरकारी लिमिटेड कम्पनी अन्य विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना यह है कि चूंकि कम्पनी लोक समवाय है इस लिये इसका वाणिज्यिक हित भी लोक हित है। माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें।

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैंने बताया, आयव्ययक के समय हमने लगाये हुए पम्पों की संख्या मंत्रालय के प्रतिवेदन में दी थी। परन्तु इन्डिया आयल कम्पनी ने मंत्रालय से प्रार्थना की

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसको बहुत पुरानी और शक्तिशाली विदेशी विपणन कम्पनियों से मुकाबला करना है यह अच्छा होगा यदि इन तथ्यों को न बताया जाये ।

श्री त्यागी : अतः यह लोक हित है ।

†**श्री अलगेशन :** मैं निर्णय को आपके हाथ में सौंपता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक है परन्तु बात यह है कि वे केवल 'लोक हित' के आधार पर ही जानकारी देने से इन्कार कर सकते हैं । और किसी आधार पर नहीं । यदि वे जानकारी नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें यह कहना पड़ेगा कि ऐसा करना लोक हित में है । यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी ।

†**श्री अलगेशन :** मैं यह कहूंगा कि यह 'लोक हित' में है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि अब तक जो पम्पिंग स्टेशन तक्सीम किये गये हैं ; वे बगैर किसी क्राइटेरियन (आधार) के भाई-भतीजों में बांट दिये गये हैं; यदि हां, तो क्या वे मन्सूख किये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का कहना है कि पम्पों के आवन्टन के लिये कोई कसौटी निश्चित नहीं की गई थी और आवंटन गुण दोषों के आधार पर नहीं दिया गया था परन्तु कुछ रिश्तेदारों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया ।

†**श्री अलगेशन :** यदि वे ऐसा कोई मामला बताये तो मैं उसकी जांच करने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री वारियर :** कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत तेल इन्डिया आयल कम्पनी संभरित करती है ?

†**श्री अलगेशन :** इन्डिया आयल कम्पनी रूस और अन्य देशों से जो तेल के उत्पाद आपात करती है और गोहाटी में तेल शोधक कारखाने में जो उत्पाद पैदा होते हैं का वितरण करती है । जहां तक अनुपात का संबंध है, यह शायद—मैं सही प्रतिशत नहीं बता सकता—१० से १५ प्रतिशत के बीच है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** इंडिया आयल कम्पनी और गैर सरकारी कम्पनियों ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत लाभ अर्जित किया है । इस को दृष्टि में रखते हुए और इस कारण से कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पूर्ण परिवहन मोटर गाड़ी द्वारा होता है क्या सरकार पैट्रोलियम और अन्य उत्पादों के मूल्य घटाने पर विचार करेगी ?

†**श्री अलगेशन :** इन उत्पादों के मूल्य एक समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं और वे ठीक हैं । जहां तक मूल्यों के घटाने का प्रश्न है, इसके बारे में समस्त बातों पर विचार करना पड़ेगा और इस समय हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश के लोगों द्वारा स्नेहकों की भारी कमी का अनुभव होता है क्या इंडिया आयल कम्पनी कुछ स्नेहकों को बिदेशों से आयात करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : स्नेहक अब भी आयात किये जा रहे हैं । एक स्नेहक यंत्र खोलने का भी विचार है जिससे देश की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : अभी अभी सभा सचिव ने बताया कि सहकारी क्षेत्र में भी वितरण किया जा रहा है । क्या यह सच है कि सहकारी समितियों को उचित रूप से प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप जहां तक वितरण के कार्य का सम्बन्ध है वे ठीक कार्य नहीं कर रही हैं ?

†**श्री अलगेशन** : सहकारी समितियों को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

†**श्री राम सेवक यादव**: मैं यह जानना चाहूंगा कि लागत और बिक्री की दर क्या है, जिस के आधार पर यह फायदा हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लागत और बिक्री की दर क्या है जिसके आधार पर यह फायदा हुआ ?

†**श्री अलगेशन** : वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त मिनिस्टर साहब के पास यह सूचना नहीं है ।

दिल्ली का राजनैतिक ढांचा

†६४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री वारियर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री जं० ब० सिंह० बिष्ट :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री नि० च० लस्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** १४ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भावी राजनैतिक ढांचे के बारे में कोई अन्तिम निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पर कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख) इस विषय पर तीव्रता से विचार किया जा रहा है। आशा है कि निकट भविष्य में इस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पीछे समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि दिल्ली के राजनीतिक ढांचे के लिए किसी महानगर परिषद् के निर्माण का निश्चय किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समाचार में कहां तक सत्यांश है।

श्री हजरनवीस : इस तरह से विचार किया गया है और वह विचार चल रहा है, लेकिन उस की तफ़सील अभी तय नहीं हुई है। यहां पर एक तरह की मैट्रोपालिटन कौंसिल स्थापित करने का विचार गवर्नमेंट के सामने है, लेकिन इस के बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो महानगर परिषद् सरकार के विचाराधीन बताई जाती है—समाचारपत्रों से प्रतीत होता है कि उस के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है—, क्या वह परिषद् वर्तमान नगर निगम के सदस्यों में से चुनी जायेगी या उसमें सीधे जनता के प्रतिनिधि चुने जायेंगे ?

श्री हजरनवीस : जिस वक्त इस बारे में कोई निर्णय हो जायेगा, दो सदन के सामने कोई कानून (विधि) रखा जायेगा। लेकिन जब तक इस सम्बन्ध में विचार पूर्ण नहीं होता है, उस के सदस्यों आदि के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : दिल्ली के राजनीतिक ढांचे के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले क्या सरकार जनता की राय जानने का विचार कर रही है जिससे कि सरकार के प्रस्तावों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया जानी जा सके ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : कुछ परामर्श पहले ही किया जा चुका है और उस दिशा में कुछ और कदम उठाने का इरादा है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशासन में जनता का सहयोग और विभिन्न लोक उपयोग की सेवाओं में परस्पर सामंजस्य प्राप्त करने में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**श्री नन्दा** : यह मुख्य रूप से क्षेत्रों के कुशल प्रशासन के लिये है और इस से संबंधित सभी विचारों को निश्चय ही ध्यान में रखा जायेगा।

†**श्री वारियर** : क्या कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर निर्णय नहीं किया जा सका, और यदि हां, तो वे कौन कौन से मामले हैं ?

†**श्री नन्दा** : चूंकि अब परिवर्तन करने का इरादा है और परिवर्तन का प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्ध है, इस लिये इसके बारे में विभिन्न रायें हैं और चूंकि विभिन्न रायें हैं इस लिये किसी पक्के निश्चय पर पहुंचने में समय लगता है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह सच है कि दिल्ली के अधिकांश नेताओं ने बार बार यह मांग की है कि दिल्ली का एक लोकप्रिय राजनीतिक ढांचा होना चाहिये और दिल्ली की बढ़ती हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और राज्यों की भांति यहां भी सभा होनी चाहिये ?

†**श्री नन्दा** : माननीय सदस्य बार बार वही प्रश्न उठाते हैं, परन्तु इस पर पूर्ण विचार कर लिया गया है, और एक नया रास्ता अपनाया गया है जिस में वे बातें शामिल नहीं हैं।

†**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : अन्तिम निर्णय अन्तिम रूप से कब किया जायेगा ?

†**श्री नन्दा** : जैसा कि मैं ने बताया है, इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है, अर्थात, बात चीत-चल रही है। कुछ और भी ऐसे व्यक्ति और दल हैं जिन से परामर्श किया जायेगा ; और इस में अधिक समय नहीं लगेगा।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वे कौन से दल और अभिकरण हैं जिनसे अब भी बात-चीत चल रही हैं और वे कौन कौन से दल और अभिकरण हैं जिन से बातचीत समाप्त हो चुकी है ?

†**श्री नन्दा** : मैं दूसरों की ओर से यह नहीं कह सकता कि वे अन्तिम रूप से कुछ कह चुके हैं या नहीं। हम ने निगम मुख्य आयुक्त और नई दिल्ली नगरपालिका के प्रतिनिधियों से परामर्श किया है और अब अन्य सभी दलों के प्रतिनिधियों, जैसे जन संघ, कांग्रेस और अन्य दल जिनको निगम में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, से परामर्श करने का अभिप्राय है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या एक निर्वाचित विधान सभा बनाने का प्रस्ताव है जैसी कि ५ साल पहले कार्य कर रही थी ।

†**श्री नन्दा** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि नहीं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार प्रस्तावित राजनैतिक ढांचे को, दिल्ली का पृथक राज्य बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में स्वायत्त शासन कायम करने की दिशा में एक कदम मानती है ?

†**श्री नन्दा** : नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

ईरान में तेल की खोज

†*६५. **श्री हेम बरुआ** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री महेश्वरैया नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० के० देव :
श्री वारियर :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री ओझा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बसुमतारी :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ईरान में तेल की खोज के कार्य में सहयोग करने का विचार कर रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) ईरान में अशोधित तेल की खोज के कार्य में सहयोग करने के प्रश्न की कुछ समय से जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में भारत के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भी इस वर्ष अक्टूबर में ईरान का दौरा किया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : ऐसे समय जब कि भारत अपने विकास के लिये भारी विदेशी सहायता मांग रहा है, विदेश में इस प्रकार के एक उपक्रम में भाग लेना जिसमें कि बहुत सी विदेशी मुद्रा का विनियोजन अन्तर्ग्रस्त है क्या एक असंगत बात नहीं है ? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समस्या का यह पहलू योजना आयोग द्वारा मंत्रालय को बताया गया था अथवा नहीं, और यदि यह बात बताई गई थी तो योजना आयोग की मंत्रणा के विरुद्ध कार्य करने के मूल कारण क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : इस देश में पैट्रोलियम की आवश्यकता बहुत भारी है और यह आशा नहीं है कि कुछ समय तक स्वदेशी उत्पादन से आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी । इसलिये यह बात हमारे हित में है, राष्ट्रीय हित में है, कि हम अन्य स्थानों पर भी पैट्रोलियम के स्रोतों का पता लगायें । जब ऐसी संभावना देखी गई कि खोज के कार्य में हमारे भाग लेने से हमें इसके सम्भरण का एक ऐसा स्रोत मिल सकता है तो यह विचार किया गया कि यह बात हमारे हित में है, और योजना आयोग की सहमति से यह निश्चय किया गया कि हम आगे कार्य करें और ऐसे प्रस्ताव की सम्भावनाओं की खोज करे। इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधिमण्डल ने ईरान का दौरा किया । मैं सदन को यह बता दूं कि उन्होंने जो बातचीत की थी वह बहुत ही उत्साहवर्द्धक है । यद्यपि मैं बातचीत का ब्योरा नहीं बता सकता, परन्तु बातचीत बहुत उत्साहवर्द्धक थी । आगे की बातचीत करने के लिये ईरान भी अपना दूसरा प्रतिनिधिमण्डल भेजने के लिये सहमत हो गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने जो बात कही है उसके सम्बन्ध में क्या यह सच है कि इस खोज कार्यक्रम के आधार पर, फारस की खाड़ी में तेल के भारी निक्षेपों के स्वामित्व में भारत सरकार मध्य पूर्व सरकार के साथ सहयोगी होगी ? यदि नहीं, तो इस कार्यक्रम को अपनाने के मूल कारण क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : यह भी प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव है । परन्तु अन्यथा भी, हमारी आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमें कच्चे तेल का आयात करना होगा जिसका फिर अर्थ यह है कि विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में बाहर जायेगी । इसलिये यदि हम ईरान सरकार के साथ खोज के कार्य में सहयोग कर सकें तो इससे विदेशी मुद्रा का बाहर जाना बहुत मात्रा में कम हो जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या इस खोज के परिणामस्वरूप फारस की खाड़ी में तेल के भारी निक्षेपों में हमारा स्वामित्व होगा ? मेरा विचार है कि आप इससे सहमत होंगे कि यह यह एक बहुत विशिष्ट प्रश्न था ।

†**श्री अलगेशन** : मैंने यह उत्तर दिया था कि प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह है कि खोज के कार्य में हम ईरानी सरकार के साथ सहभागिता करें ।

†**श्री हेम बरुआ** : निक्षेपों पर स्वामित्व रखने के सम्बन्ध में क्या बात है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पूछ रहे हैं कि क्या उसके कुछ भाग पर हमारा स्वामित्व अधिकार होगा ।

†**श्री अलगेशन** : मैंने कहा है 'सहभागिता में', पूर्णतया हमारे स्वामित्व में नहीं । सहभागिता में हमारा खोज तथा उत्पादन का स्वामित्व होगा । यह प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : अन्य और कौन कौन से देश अथवा दल हैं जो कि ईरान की फारस की खाड़ी के क्षेत्र में तेल के सर्वेक्षण और खोज की संयुक्त योजना में सहयोग करेंगे, कितनी लागत आयेगी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कितना भाग होगा और वह किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : भूकम्पीय सर्वेक्षण यूरोपियन विशेषज्ञों की एक कम्पनी द्वारा किया जाना है और आशा है कि लागत ४० लाख डालर तक आयेगी । बोली बोलने वाले देश इसमें अपना अपना हिस्सा देंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : पूरे कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में कितना समय लग जायेगा, क्योंकि यह तो दोनों ही देशों के लिये बहुत उपयोगी तथा लाभदायी होगा ?

†**श्री अलगेशन** : मैं यह तिथि नहीं बता सकता । जैसाकि मैंने कहा है ईरानी सरकार एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने के लिये सहमत हो गई है । इससे पूर्व कि मैं एक निश्चित तिथि बता सकूं हमें और बातचीत करनी होगी और बहुत से मामलों को तय करना होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनके अनुसार, बाद में तेल निकालने के अधिकारों के लिये बोली लगाने के कार्य में भाग लेने के हेतु स प्रारम्भिक सर्वेक्षण में सहयोग करना आवश्यक है । क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इस सर्वेक्षण कार्य में अन्य छः या आठ गैर-सरकारी समवायों के साथ जो कि इसके लिये बोली खोज रहे हैं प्रतियोगिता करनी होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार का यह इरादा है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस सर्वेक्षण कार्य के लिये गैर-सरकारी तेल समवायों के साथ भागिता करे जिससे कि बाद में उसे तेल निकालने के अधिकार प्राप्त हो सकें ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैंने बताया है, सर्वेक्षण कार्य नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी की ओर से यूरोपियन विशेषज्ञों की एक कम्पनी द्वारा किया जा रहा है । यह उन कम्पनियों द्वारा नहीं किया जा रहा जो कि बोली लगाने की पात्र होंगी । इस सर्वेक्षण के परिणाम पात्र कम्पनियों को दे दिये जायेंगे ।

†**श्री वारियर** : अन्तिम निर्णय में, क्या यह केवल एक भारतीय-ईरानी उपक्रम ही होगा अथवा एक संयुक्त उपक्रम के रूप में इसमें अन्य कुछ और देश भी शामिल कर लिये जायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : मैं यह बात इस समय नहीं बता सकता ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : सहभागिता कितनी होगी ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने कहा है कि इस में समय यह नहीं बता सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : वह इस प्रकार की एक बहुत ही सादा जानकारी--सहभागिता का आधार--को देने से क्यों मना कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वास्तव में यह कोई ऐसी बात है जो कि इस समय प्रगट नहीं की जा सकती ?

†**श्री हेम बरुआ** : तब उन्हें यह कहना चाहिये कि इसे प्रगट करना लोक-हित में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को सर्वदा ही आग्रह नहीं करना चाहिये । यदि कोई बात देश के अन्दर ही की है तो कदाचित हम आग्रह कर सकते हैं । इस समय मैं नहीं समझता कि संसद को यह सब जानकारी लेने का अधिकार है, चाहे अन्त में वह जानकारी इसे दी ही जाये । ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जबकि किसी जानकारी को लेने के लिये दबाव डालना उपयुक्त न हो ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अगले सत्र तक वह समय आ जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे विश्वास है कि आप इस बात से हमारे साथ सहमत होंगे कि अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कदाचित यह अवसर नहीं है । जैसाकि श्री कामत ने कहा है कदाचित अगले सत्र तक वह आ जायेगा ।

कोयली तेल शोधक कारखाना

+

†*६६. **श्री भी० प्र० यादव** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री चतर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से कोयली तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) गुजरात के कोयली तेल शोधक कारखाने का कार्य कब से आरम्भ होने की आशा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मैया)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तेल शोधक कारखाने में दस दस लाख टन क्षमता वाली दो वायुमण्डलीय यूनिटें[1], एक उत्प्रेरक सुधारक यूनिट[2] तथा २४ मैगावाट का एक तापीय विद्युत् स्टेशन[3] होगा। तेल शोधन कारखाने की क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन अशोधित तेल का शोधन करने की होगी।

(ग) पहला दस लाख टन १९६४ के अन्त तक और दूसरा दस लाख टन १९६५ के मध्य तक।

†**श्री भी० प्र० यादव** : क्या रूस सरकार ने टैक्नीकल तथा आर्थिक सहायता देने का कोई आश्वासन दिया है, यदि हां, तो वह आश्वासन क्या है ?

†**श्री तिम्मय्या** : जी हां। भारत-रूसी करार के अधीन हमें लगभग १० करोड़ रुपये मिलने की आशा है।

†**श्री पु० र० पटेल** : तेल शोधक कारखाना २० लाख टन का होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तेल शोधक कारखाने के लिये हमें अंकलेश्वर से पर्याप्त तेल प्राप्त हो जायेगा ?

†**श्री तिम्मय्या** : जी, नहीं। अंकलेश्वर तथा कलोल दोनों ही क्षेत्रों से हम तेल शोधक कारखाने के लिये अपेक्षित मात्रा में अशोधित तेल लेंगे।

†**श्री यशपाल सिंह** : रशिया के अलावा किसी और देश से भी इस मामले में क्या बातचीत की गई थी ?

†**श्री तिम्मय्या** : जी, नहीं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र में प्रथम नूनमाती तेल शोधक कारखाने में बार बार भारी कठिनाइयों के आने और समय समय पर असफलताओं के होने का कटु अनुभव होने के पश्चात् .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक शिकायत है कि सदस्यों को जब प्रश्न पूछने होते हैं तो वे भाषण देने लगते हैं। प्रश्न बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिये ; तर्कों, अनुमानों, व्यक्तियों और मानहानि की कोई बातें नहीं होनी चाहियें ; जानकारी मांगने वाला सीधा प्रश्न सरल पूछा जाना चाहिये।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : जो तेल शोधक कारखाना बनने जा रहा है उसकी सभी मशीनों को चलाने और कारखाने के संचालन कार्य के सभी मदों में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कोयली तेल शोधक कारखाने के परियोजना प्रतिवेदन में पर्याप्त व्यवस्था की गई है ?

†**श्री तिम्मय्या** : यह किया जा रहा है।

†**श्री दे० जी० नायक** : क्या इस तेल शोधक कारखाने में भारत सरकार के साथ गुजरात सरकार भी भागीदार है ?

†**श्री तिम्मय्या** : जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Almospheric Units.

[2] Catalytic Reforming Unit.

[3] Thermel Power Station.

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कोयली तेल शोधक कारखाने के परियोजना प्रतिवेदन में नवीनतम और आधुनिकतम, बरौनी तथा नूनमती की डिजाइन से भी अधिक विकसित, डिज़ाइन प्रस्तुत की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : किसी तेल शोधक कारखाने की डिज़ाइन कई बातों पर आधारित होती है। सबसे पहले यह अशोधित तेल से सम्बन्धित होती है। उस अशोधित तेल की किस्म को ध्यान में रखते हुए जो कि इस तेल शोधित कारखाने में शोधन के लिये उपलब्ध होगा, परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : या हमारे अशोधित तेल के अतिरिक्त रूस का अशोधित तेल भी इस कारखाने में शोधन करने के लिये उपलब्ध होगा ?

†**श्री अलगेशन** : इस तेल शोधन कारखाने में हमारे अपने स्वदेशी अशोधित तेल का शोधन किया जायेगा।

†**श्री याज्ञिक** : क्या मशीनों के बड़े बड़े हिस्से सोवियत संघ से आयात किये जा रहे हैं और क्या सरकार उनका तेल शोधन कारखाने के स्थल तक इस कारणपरिवहन नहीं कर पा रही है कि कोयले को निकटतम रेलवे स्टेशनों से मिलाने के लिये रेलवे लाइनें नहीं बिछाई गई हैं ?

†**श्री अलगेशन** : कुछ उपकरण तो अब तक पहुंच गये हैं और अन्य कुछ उपकरण पहुंचने वाले हैं। हमें एक रेलवे साइडिंग बनानी है जिससे कि इन चीजों को कारखाने तक ले जाया जायेगा। थोड़ी सी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कुछ झगड़ा है और मुझे पता चला है कि सम्बन्धित पक्षों ने न्यायालय का आश्रय लिया है। जैसे ही यह मामला तय हो जायेगा तो हन रेलवे साइडिंग बना सकेंगे और फिर चीजों का परिवहन किया जा सकेगा।

विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता

†*६७. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स्वैल :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की जानकारी में गत वर्ष विद्यार्थियों की कितनी बार हड़तालें हुई और विद्यार्थियों में कथित अनुशासनहीनता की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में किये गये व्यवहार का और परिस्थितियों का कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता को रोकने के विषय में क्या विशेष कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) गत वर्ष राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी विशिष्ट घटना के सम्बन्ध में भारत सरकार को नहीं लिखा गया था ।

(ख) जी, हां । विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता की समस्या का कई बार अध्ययन किया गया है और अन्तिम अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दीवान आनन्द कुमार की अध्यक्षता में स्थापित की गई समिति के द्वारा किया गया था । समिति ने उन कारणों की जांच की जिनकी वजह से विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता की घटनायें हुई और स्थिति का सुधार करने के लिये बहुत सी सिफारिशें की हैं ।

(ग) समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्र तथा विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थीं और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विद्यमान स्थितियों का सुधार करने के लिये बहुत से कदम उठाये गये हैं । इनमें शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन, परीक्षाओं का सुधार, अधिक भीड़-भाड़ की कमी, शिक्षक-शिष्य अनुपात का सुधार, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुविधाओं का सुधार तथा अध्यापकों की अर्हताओं, गुण और सामाजिक स्थिति में सुधार, आदि सम्मिलित हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: क्या सरकार ने समस्या के अखिल- भारतीय रूप पर कोई विचार किया है और क्या समस्त देश में विद्यार्थियों के अनुशासन की भावना लाने के सम्बन्ध में विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को एक करने की कार्यवाही की है और यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों की प्रक्रिया संतोष जनक रही है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : एक अर्थ में तो यह एक अखिल भारतीय समस्या है परन्तु सभी क्षेत्रों में घटना एक ही सी नहीं होती । सभी राज्य सरकारें इससे सम्बन्धित हैं । वे हालतों का सुधार करने के लिये प्रयत्न करने में अपना पूर्ण सहयोग देती हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सिफारिशों की क्रियान्विति के बावजूद भी विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता की अधिकाधिक वृद्धि के लिये भारत सरकार का क्या स्पष्टीकरण है ? क्या भारत सरकार यह सोचती है कि इनकी कार्यान्वित संतोषजनक है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : मैं यह तो स्वीकार करता हूं कि स्थिति पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है परन्तु मैं यह नहीं समझता कि माननीय सदस्य का यह कथन ठीक है कि स्थिति का निरन्तर अधिकाधिक ह्रास हो रहा है। यदि हम विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि तथा उसके अनुसार अध्यापकों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त न कर पाने की बात को ध्यान में रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि वास्तव में स्थिति बिगड़ी नहीं है । हमने स्थिति संभाले रखी है ; मुझे आशा है कि गत दो अथवा तीन वर्षों में किये गये उपायों के परिणामस्वरुप शीघ्र ही स्थिति में निश्चित सुधार देखा जायेगा । जिन संस्थाओं में शिक्षक शिष्य का अनुपात अधिक अच्छा है और जहां अध्ययन के विषय ऐसे हैं कि उनके अध्ययन से तुरन्त रोजगार मिल जाता है, वहां अनुशासन हीनता की घटनायें कम होती हैं । इस लिये अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम माध्यमिक स्तर पर ही अधिक प्रविधिक तथा व्यावसायिक प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं ; मेरा विचार है कि यदि ऐसा हो जाता है तो यह समस्या बड़ी हद तक हल हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोबिन्द दास: क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है, जैसा कि उन्होंने अभी कहा भी, कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली ही इस प्रकार की है कि वह अनुशासनहीनता के लिये जिम्मेदार है, और शिक्षकों और विद्यार्थियों के आपस के सम्बन्ध जैसे होने चाहिये वैसे नहीं हैं, यह भी इसका एक प्रधान कारण है। ऐसी हालत में जितनी बातें उन्होंने अभी बतलायी कि की जा रही हैं, क्या मंत्री जी बतला सकते हैं कि उनमें से कितनी बातें केवल कागज पर हैं और कितनी की जा रही हैं, और वे की जायें इसके लिये गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को दो भागों में बांटता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इसके भाग किये जा सकते हैं तो किसी भी एक भाग का उत्तर दे दिया जाये ।

†**श्री हुमायून कबिर** : इस स्थिति में प्रश्न के प्रथम भाग का—कि क्या शिक्षा की वर्तमान प्रणाली अनुशासनहीनता के लिये उत्तरदायी है— उत्तर एक जोरदार नहीं है। मेरे माननीय मित्र इस बात के साक्ष्य हैं कि इस प्रणाली के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं।

डा० गोबिन्द दास : मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का कोई उत्तर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : बहुत सी बातें मिला दी गई थीं, इसलिये मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि पूरा जवाब आयेगा।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : अनुशासनहीनता की घटनाओं को कम करने के लिये शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थी संघों का सहयोग कहां तक प्राप्त किया गया है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कई वर्ष पहले हमने एक बहुत ही चित्तरंजक विचारगोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें कि प्रत्येक विश्वविद्यालय यूनियन से एक विद्यार्थी को तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक शिक्षक को प्रतिनिधि के रूप में भेजने के लिये कहा गया था; और हमने विचार गोष्ठी की थी जिसमें कि लगभग एक सप्ताह तक आपस में मिले तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच स्पष्ट तथा उदार चर्चा हुई और उस गोष्ठी में कुछ बहुत ही हितकर निष्कर्ष निकाले गये। यह इस बात का द्योतक है कि अनुशासन बनाये रखने के कार्य में हम विद्यार्थियों की यूनियनों का भी समर्थन तथा सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

श्री त्यागी : क्या गवर्नमेंट यह अनुभव करती है कि सिक्यूलर स्टेट होने के कारण जो धार्मिक शिक्षा स्कूलों और कालेजों में दी जाती थी उसके हट जाने के बाद कोई इन्तिजाम नैतिक शिक्षा देने का नहीं हुआ है, यह भी एक कारण है इनडिसिप्लिन का ?

श्री हुमायून कबिर : मेरे ख्याल में नतिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जार ही है यह इसकी वजह नहीं है, पुराने जमाने में भी ऐसी नैतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती थी, लेकिन यह जरूरी है कि . . .

एक माननीय सदस्य : यह बात सही नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य जब ऐसा कहते हैं कि यह बात सही नहीं है तो कदाचित उनके अध्ययन काल में धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एक अंग रही होगी, परन्तु मेरे अध्ययन काल में ऐसा नहीं था। मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से यह बात कह रहा हूं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि कम से कम बहुत समय तक तो धार्मिक शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रम का अंग नहीं रही है। परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी यह ठीक ही कहते हैं कि नैतिक स्तर का एक आम ह्रास हुआ है और इसके मुख्य कारणों में से एक शिक्षक तथा शिष्य के बीच सम्पर्क और सहानुभूति का न होना है।

†**डा० मा० श्री अणे** : माननीय मंत्री ने बताया है कि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना को भरने के लिये अध्ययन में व्यावसायिक प्रोत्साहन का होना आवश्यक है। सरकार को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को चलाने में जिसमें कि इस व्यावसायिक प्रोत्साहन की व्यवस्था हो कितना समय लग जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : लगभग चार वर्ष पहले हमने जूनियर प्रविधिक स्कूल प्रारम्भ करके इस कार्य का आरम्भ किया था और हाल ही में दिल्ली में जो एक शिक्षा मंत्रियों और उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था उसमें यह बात स्वीकार की गई थी कि इन जूनियर प्रविधिक स्कूलों के पाठ्यक्रम को सामान्य माध्यमिक स्कूलों में चलाया जाना चाहिये। हमारा उद्देश्य चतुर्थ योजना के अन्त तक माध्यमिक स्तर के लगभग १० से १५ प्रतिशत तक विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक प्रविधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रयत्न करना है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जहां कहीं भी यह अनुशासनहीनता देखी गई है वहीं पर विद्यार्थियों को इस अनुशासनहीनता के लिये भड़काने में शासकीय दल का हाथ स्पष्ट दिखाई दिया है . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**एक माननीय सदस्य** : यह एक दूसरी ही बात है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : विद्यालय से बाहर के तत्वों को शिक्षा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायेगा; (**अन्तर्बाधा**) . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : . . . . और क्या सरकार इस दृष्टि से कार्यवाही करेगी कि यह छात्र संघ राजनीति में भाग न लें ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जिस धारणा पर प्रश्न आधारित है वह गलत है, परन्तु यह सच है कि जब कोई राजनीतिक दल विद्यार्थियों के कार्य कलापों में अनुचित हस्तक्षेप करता है तो परिणाम दुःखद होते हैं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में हमारे साथ सहयोग करें और यह देखें कि विद्यार्थियों के कार्यकलापों में कोई राजनीतिक दल हस्तक्षेप न करे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यदि आप इसे पसन्द करें तो मैं बहुत प्रसन्नता से सहयोग करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। कम से कम इस समय तो वह सहयोग दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कपूर सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या, समस्या के वास्तविक पहलू के अतिरिक्त जिसका कि माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है और जिसके लिये उन्होंने एक उपाय का सुझाव दिया है अर्थात् यह कि हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाये, सरकार ने जो जांच की है क्या उसके दौरान उन मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वों के वास्तविक स्वरूप का मूलभूत कारण मालूम हुआ है जिसने कि आज की पीढ़ी के विद्यार्थियों को जकड़ रखा है और यदि हां, तो सरकार की क्या धारणा है और उसके लिये क्या हल ढूंढा गया है ?

†**श्री हुमायूंन कबिर** : यह सच है कि हम एक संक्रमण काल में रह रहे हैं और इसलिये विद्यार्थियों पर भी प्रभाव पड़ता है और हम ऐसे उपाय खोज निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनसे स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी धर्म विशेष का निश्चित उल्लेख किये बिना ही अधिक नैतिक अध्ययन सामग्री सम्मिलित हो जाये ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को यह महसूस करना चाहिये कि इतने सारे सदस्यों को पुकारना मेरे लिये अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है, (**अन्तर्बाधायें**) ।

†**श्री हेम बरुआ** : यहां कोई अनुशासन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसेवक यादव ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी गया है कि विद्यालयों के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के खिलाफ विद्यार्थियों को इम्तिहान में पक्षपात, नम्बर बढ़ाने और फेल करने की शिकायतें हो रहीं हैं, और अधिकारियों ने इनको नहीं सुना है, यह भी एक कारण है हड़ताल का ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जहां कहीं कोई सच्ची शिकायत होगी तो उसकी जांच की जायेगी । माननीय सदस्य कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख कर रहे हैं जिनमें परीक्षा फलों में गड़बड़ी की गई है । यदि यह सच है तो अत्यंत खेदजनक है ।

†**डा० सरोजिनी महिषी**: क्या मैं जान सकती हूं कि उन मामलों को जिनमें कि गत वर्ष कुछ विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हड़तालें की हैं विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता कहा जा सकता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : थोड़ी ही देर पहले मैंने स्वयं ही बताया है कि यह एक संक्रमण काल है और इस समय बहुत अशान्ति है । इसलिये, सभी मामले अनुशासनहीनता के ही कारण नहीं हुए हैं । उनमें से कुछ का कारण देश में फैली सामान्य अशान्ति है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शा० ना० चतुर्वेदी** : क्या अपनी जांचों के परिणामस्वरूप सरकार को यह पता चला है कि उन विश्वविद्यालयों और शिक्षा के केन्द्रों में हालात बहुत खराब है जहां कि अधिकांश सिफारिशों को, जो की गई थीं, क्रियान्वित कर दिया गया है और जहां शिक्षक-शिष्य अनुपात अधिकतम है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : मेरा विचार है कि यह धारणा ठीक नहीं है । जिन विश्वविद्यालयों में सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं उनमें उन विश्वविद्यालयों की अपेक्षा अनुशासन की हालत अच्छी है जहां कि ये कार्यान्वित नहीं की गई हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को—जो कि अब शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे—विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में यह जानकारी कहां से मिली है जब कि वह यह कहते हैं कि उन्हें कोई समाचार नहीं मिला है । होशियारपुर में अभी हाल ही में विद्यार्थियों ने चार सप्ताह की हड़ताल की थी और वह यह कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि वह किस साधन से अपनी जानकारी लेते हैं ? क्या यह सच नहीं है कि जानकारी देने वाले साधन को यथासम्भव उचित तथा पर्याप्त बनाया जाना चाहिये ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अपने उत्तर में मैं ने बताया है कि किसी भी विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार ने ऐसा कोई मामला हमारे पास नहीं भेजा है । मैंने जानकारी के इस स्त्रोत का उल्लेख किया था ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या दीवान आनन्द कुमार कमेटीने यह जानने का यत्न किया कि विद्यार्थियों में यह अनुशासनहीनता दक्षिण के राज्यों में अधिक है या उत्तर भारत के.राज्यों में अधिक है, यदि हां, तो उस दीवान आनन्द कुमार कमेटी ने मुख्य रूप से क्या क्या सिफारिशें की हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस चीज़ में जाना कि अनुशासनहीनता कहां अधिक है और कहां कम है, ठीक नहीं है ।

†**श्री हुमायूंन कबिर** : मैं भारत में विभिन्न प्रदेशों की तुलना करना पसन्द नहीं करूंगा । यही कारण है कि मैंने यह कहा था कि किन्ही राज्यों में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है तथा किन्हीं में नहीं है और मैं ब्योरे नहीं बता पाऊंगा । परन्तु मैं माननीय सदस्य का ध्यान शिक्षा मंत्रालय द्वारा १९५४, १९५५ तथा १९५६ में लिये गये दो कदमों की ओर दिलाता हूं । सभी राज्य सरकारों को बहुत से पत्र लिखे गये थे जिनमें अनेक बातों पर विशेष अनुदेश दिये गये थे और कुछ राज्यों द्वारा उनमें से बहुत से अपना लिये गये थे । दीवान आनन्द कुमार कमेटी ने उन सिफारिशों में से कुछ पर बल दिया है और हमने उन राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से फिर प्रार्थना की है जो कि उन्हें क्रियान्वित करने के लिये मुख्य रूप से सम्बन्धित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य उठे——

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने इस प्रश्न पर लगभग १२ मिनिट व्यय किये हैं । मुझे यह आशंका हो रही थी कि यहां पर अनुशासनहीनता बढ़ रही है । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ह्विटले परिषदें

+

†*६८. श्री यशपाल सिंह :
श्री उमानाथ :
श्री भक्त दर्शन :
श्री जं० बि० सिं० बिष्ट :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री स्वैल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेडा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बसुमतारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ह्विटले परिषदों की स्थापना के विषय में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श और अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था करने के लिये एक तंत्र स्थापित करके क्या फैसला किया गया है । इस कार्य के लिए बनाई गई योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० १८४७ / ६३]

योजना की प्रतियां सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई थीं और उनसे कहा गया था कि वे सम्बद्ध प्रमुख कर्मचारी संघों को इसकी प्रतियां दे दें । योजना को कार्यान्वित करने की मोटी रूपरेखा तैयार की जा रही है और प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग योजना की क्रियान्वित के संबंध में परामर्श करने के लिये प्रमुख कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करेंगे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के निर्माण में आखिरी तारीख कोई सरकार ने दी है कि कब तक हम उस का निर्माण कर देंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इसमें कोई लम्बे अर्से का सवाल नहीं है। लेबर आरगेनाइज़ेशंस को ख़बर दे दी गई है। उनके पास यह स्कीम पहुंच चुकी है। मिनिस्टरीज़ यह अपने डिटेल्स वग़ैरह का फैसला कर रही हैं और कुछ दिनों तक उनके नुमायन्दों को बुलाया जायेगा और उस के बाद चर्चा करके उसका फैसला कर दिया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों के पास पहले से ही सैल्फ़ सफिशिएंट कमेटीज़ हैं और किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, वहां भी इनकी स्थापना की जायेगी ?

श्री नन्दा : जो मशीनरी अभी जारी है उसको बंद करने का कोई इरादा नहीं है।

†**श्री ज० ब० सि० बिष्ट** : योजना की कंडिका ५(३) के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उस मंत्रालय के लिये एक पृथक परिषद् की आवश्यकता क्यों है ?

†**श्री नन्दा** : अन्य वर्गों के कर्मचारियों के समान उनको भी एक परिषद् की सेवाओं की आवश्यकता होगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इन परिषदों की स्थापना से, कर्मचारी परिषदों का कोई उपयोग नहीं रहेगा। क्या उनको समाप्त कर दिया जाएगा ?

†**श्री नन्दा** : उनके संघ काम करते रहेंगे, परन्तु इन अन्य परिषदों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : विवरण की कंडिका १ के मद संख्या (घ) से यह स्पष्ट होता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी इन योजनाओं को अन्तर्गत नहीं आयेंगे। इस बात के क्या कारण हैं कि उनको इन लाभों से वंचित किया गया है ?

†**श्री नन्दा** : यह योजना सचिवालय सेवाओं, और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये है। इसके अन्दर सभी राज्य नहीं आते। इस बात पर पृथकत: विचार किया जा सकता है।

†**श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या सरकार ने, इस ह्विटले परिषदों की प्रस्तावित योजना में, रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संथान द्वारा दिनांक ३०-१०-६३ के उनकी कार्यकारिणी समिति के संकल्प द्वारा सुझाये गये विभिन्न परिवर्तनों के बारे में विचार किया है ताकि यह रेलवे कर्मचारियों के लिये स्वीकार्य बन सके, यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है?

†**श्री नन्दा** : रेलवे मंत्रालय ने रेलवे कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के लिये इसे अलग से बनाया है और इसने एक योजना भी बना ली है, जिसके अन्दर रेलवे कार्मिक संघों के साथ मामलों का निबटारा करने के तरीके और ब्योरे आ जायेंगे।

†**श्री स्वैल** : इन परिषदों की सदस्यता की एक शर्त यह है कि कार्मिक संघ हड़तालों का त्याग करेंगे। क्या कार्मिक संघ इस शर्त को स्वीकार कर रहे हैं और कितने संघों ने हड़तालों को त्यागने की रजामन्दी व्यक्त की है ?

†**श्री नन्दा** : जब पहले मैंने इन निकायों के प्रतिनिधियों के साथ प्रारम्भिक बातचीत की थी, मैंने सोचा था कि इसके लिये उनकी प्रतिक्रिया अच्छी थी। अब हमें पता चलेगा जब सम्बद्ध मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के इन प्रतिनिधियों के बीच पुन: बातचीत होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : योजना से पता चलता है कि एक ओर तो यह निर्धारित किया गया है कि श्रमिकों की ओर से इन सब विविध परिषदों में प्रतिनिधान मान्यता प्राप्त संघों द्वारा नाम निर्देशन के आधार पर होगा और साथ ही योजना में कहा गया है कि जो व्यक्ति कर्मचारी नहीं होगा वह संयुक्त परिषद् का सदस्य नहीं होगा। क्या यह बात परस्पर विरोधी नहीं, जिनमें संघों और संस्थाओं के मूलभूत अधिकारों को कम किया जा रहा है, जिनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी नहीं ?

†श्री नन्दा : इस बात पर गुण दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है। जिस ढंग में यह योजना या खण्ड बनाया गया है उसमें कोई परस्पर विरोध नहीं। नाम निर्देशन के मामले में, यह उनके सदस्यों तक ही सीमित है। और भी स्पष्टीकरण है कि जो सदस्य नौकरी छोड़ देगा उसे परिषद् का सदस्य बने रहने की अनुमति होगी।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो लोग कर्मचारी नहीं, परन्तु संघों के पदाधिकारी हैं, उनको स्पष्ट रूपेण इस परिषद् से निकाल दिया गया है ।

†श्री त्यागी : केवल राजनीतिज्ञों को ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस योजना का उद्देश्य हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाना न हो कर हड़ताल को बेकार बना देना है ?

†श्री नन्दा : माननीय सदस्य ने ठीक उद्देश्य बता दिया है। हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रश्न नहीं। अन्यथा, हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने की विधि बनाई जाती। हमने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया।

अन्धों का शिक्षण

+

†*६९. श्री विश्वनाथ राय :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
श्री रा० गि० दुबे
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री दे० जी० नायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्धे बच्चों के लिये शिक्षण सुविधायें बढ़ाने और कृषि-कार्य में अन्ध-वयस्कों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोई परियोजना आरम्भ कर रही है ;

(ख) अंधों को कृषि-कार्य में प्रशिक्षण देने के लिये कितने केन्द्र स्थापित किये जाने वाले हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार इन केन्द्रों पर कितना धन व्यय करने का विचार कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) से (ग). अभी परियोजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। परन्तु आशा है कि अन्धे लोगों की शिक्षा तथा एकीकरण की योजना आगामी वित्तीय वर्ष में आरम्भ कर दी जाएगी

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार चालू योजना के अन्त तक या अधिक से अधिक चौथी योजना की समाप्ति तक भारत के सभी अन्धे लोगों को इस योजना के अन्तर्गत ले आने की अपेक्षा करती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं इसका उत्तर हां में देना चाहता हूं। परन्तु क्योंकि अब हम केवल एक प्रतिशत को ले रहे हैं, इतनी अधिक आशा नहीं की जा सकती।

†**श्री दे० (चौ०) नायक** : क्या कोई समाज सेवी संगठन कृषि के सम्बन्ध में अन्धे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, और यदि हां, तो राज्य सरकारें इनको कोई वित्तीय सहायता दे रही हैं?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मुझे इसका पता नहीं, परन्तु आगामी वर्षों में—संभवतः अगले वर्ष या उसके बाद वाले वर्ष में कुछ प्रशिक्षण केन्द्र चलाने का विचार कर रहे हैं, जहां अन्धे लोगों को कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : सरकार ने नौजवान कृषकों के बजाए नेत्रहीन कृषकों को किस कारण इस काम के लिये पन्सद किया है ?

†**श्री हुमायन् कबिर** : यह नेत्रहीन कृषकों को अधिमान देने का प्रश्न नहीं। यह केवल नेत्रहीन लोगों को समाज में एकबद्ध करने का प्रयास है। सामान्य अनुभव यह है कि यदि नेत्रहीन लोगों को उनके प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाए और यदि उनको समाज में स्थान दिया जाए जिसमें वे पैदा हुए हैं, तो वे अलग स्थान पर रखें जाने की अपेक्षा कार्य कर सकते हैं।

श्री क० ना० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि गृहस्थियों के अलावा अंधे बच्चों और अंधे एडल्ट्स को गृह-उद्योग और कुटीर-उद्योग की शिक्षा देने की कोई स्कीम सरकार के पास है या नहीं; यदि है, तो उसके अन्तर्गत अब तक कितनों को शिक्षा दी गई है और कितनों को काम में लगाया गया है ?

श्री हुमायून् कबिर : अभी हिन्दुस्तान में अन्दाजन १०० स्कूल हैं, जिनमें ४०० लड़के और १००० लड़कियां हैं और उनको चेयर-कैनिंग, वीविंग, बास्केट-मेकिंग, कैंडल-मेकिंग, नेट-मेकिंग और निटिंग वगैरह यह सब सिखाया जाता है।

श्री क० ना० तिवारी : कितनों को काम में लगाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। श्री कछवाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : क्या यह सच है कि इस समय अंधे बच्चों के लिए जो कुछ विद्यालय हैं, उनको ठीक प्रकार से सहूलियतें नहीं मिलती हैं और क्या भविष्य में बच्चों के अलावा और भी लोगों को शिक्षा देने का सरकार का विचार है ?

श्री हुमायून् कबिर : अभी जो विद्यालय हैं, वहां वहां तो कुछ सहूलियत दी जा रही है, लेकिन इसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए सारी दुनिया में अब यह खयाल है कि जो मामूली स्कूल हैं, जो आर्डिनरी स्कूल हैं, उन्हीं में अंधे बच्चों को तालीम देने का इन्तज़ाम करना चाहिए। इसलिए हम भी यह रुख बदल रहे हैं। एडल्ट्स के बारे में इस वक्त देहरादून में कुछ काम हो रहा है, जिसको हम मदद देने की कोशिश करते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री जी को दिल्ली के पंचकुंइयां रोड के अंधे बालकों के विद्यालय के मैनेजमेंट के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं; यदि हां, तो उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह तो इस सवाल में नहीं आता है, लेकिन आनरेबल मेम्बर को मालूम है कि उस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री किशन पटनायक : क्या शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री के बीच इसके बारे में कोई सलाह हुई है कि कृषि क्षेत्र में अभी बेरोजगारी की संख्या बहुत कम है, इसलिए अंधों से भी कृषि की वृद्धि हो ?

श्री हुमायन् कबिर : इस सवाल का तो मैं जवाब दे चुका हूं।

डा० गोबिन्द दास : क्या इनकी शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ विशषज्ञों से और प्रान्तीय सरकारों से भी राय ली गई है और क्या इस पर भी विचार किया गया है कि इनको इनकी मातृ-भाषा में ही शिक्षा दी जाय ?

श्री हुमायून् कबिर : इस बारे में तो हमेशा हर एक के साथ सलाह की जा रही है और आनरेबल मेम्बर ने जो कुछ कहा है, उसको जरूर याद रखा जायेगा।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : मैं नेत्रहीन लोगों को शिक्षा देने के अतिरिक्त, स्कूलों को ऐसे बच्चे देनें, विशषकर उनको जो अर्ध नेत्रहीन हैं, या जो पौष्टिक आहार न मिलने के कारण नेत्रहीन हो रहे हैं, विशिष्ट प्रकार के विटामिन देनें के लियें विशेष हिदायते दी गई हैं, ताकि किशोरावस्था में उनकी आंखों पर कुप्रभाव न पड़ने पाय ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता परन्तु हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि साधारण पाठशालाओं में कुछ अध्यापकों को नेत्रहीन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। नेत्रहीनों की परिभाषा में व लोग भी आतें हैं जिन्ह पूर्णतः दिखाई नहीं देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिल्म स्टूडियो की तलाशी

†*७०. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कच्छराय :
श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री बम्बई में कुछ फिल्म स्टूडियों की तलाशी लिये जाने के संबंध में पूछे गये १८ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पड़ताल का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजर नवीस) : (क) इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरि विष्णु कामत : जांच पड़ताल किसके द्वारा की जा रही है ; साधारण पुलिस के द्वारा या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के द्वारा, या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा भी ?

†श्री हजरनवीस : जांच पड़ताल कलकत्ता पुलिस के कहने पर बम्बई पुलिस द्वारा की जा रही है, न कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा गुप्तचर विभाग द्वारा।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या राजधानी में प्रचलित इन सूचनाओं में कोई लक्ष्य है कि कुछ प्रमुख मंत्री और एक या दो भूतपूर्व मंत्री इस मामल में अवांछित दिलचस्पी ले रहे हैं; और जांच के अन्दर हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर रहे हैं; और इस मामले को ठप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अन्तर्ग्रस्त लोगों ने सरकार के कुछ काम किये हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : 'क्योंकि' इसमें नहीं आता।

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : माननीय सदस्य ने जो अफवाहे सुनी हैं उनका कोई भी आधार नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : यह सच है कि परन्तु मंत्री जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या इस विशिष्ट मामले का कोई संबंध, बाद में देश में पाकिस्तानी कर्मचारियों द्वारा की जा रही जासूसी की कार्रवाई से है ?

†अध्यक्ष महोदय : अभी इसकी जांच हो रही है, अतः इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या इस मामले में अन्तर्ग्रस्त किसी व्यक्ति का उनके साथ कोई सम्बन्ध था, जिनको बाद के जासूसी के मामले में दोषी पाया गया था जिन पर वैसा संदेह था ?

†श्री नन्दा : मैं कोई सूचना इस बारे में नहीं दे सकता, क्योंकि यह मामला जांचाधीन है।

†अध्यक्ष महोदय : वह यह बता सकते हैं कि जो लोग इस मामले में अपराधी हैं, क्या वे जासूसी के अन्य किसी मामले में भी अपराधी हैं ?

†श्री नन्दा : जहां तक मुझे पता है, नहीं हैं, परन्तु मैं यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कहता।

†श्री रंगा : यह जांच किस स्तर पर हो रही है ? क्या इस मामले से संबंधित तथ्यों की सूचना गृह-कार्य मंत्रालय को दी गई है, और यदि हां, तो किस स्तर पर ?

†श्री नन्दा : हमें समय समय पर सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमें पहले भी सूचनाएं प्राप्त हुई और उनके आधार पर मैंने पहले सभा को सूचित किया। हमने अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से आधुनिकतम स्थिति पूछी है।

श्री कछवाय : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हुं कि यह जो जांच को गई, क्या इसके लिए कोई विशेष कमेटी बनाई गई थी और जिन लोगों के सम्बन्ध में जांच की गई क्या उनके साथ किन्हीं विदेशी राष्ट्रों का हाथ है; यदि हां, तो किन किन विदेशी राष्ट्रों का।

अध्यक्ष महोदय : तहकीकात हो रही है। कमेटी का तो कोई सवाल नहीं है। और दो या तीन दिन पहले ही यह उत्तर आया था कि वे इस समय और कोई अधिक निश्चित रूप से बताने में असमर्थ हैं। जांच चल रही है।

†श्री रंगा : क्या जांच भारत सरकार द्वारा की जा रही है या महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही ?

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है।

†श्री त्यागी : कुछ अपराधी लोगों ने गृह-कार्य मंत्री पर इस मामले को वापिस ले लेने के लिए जोर डालने का कुछ प्रयत्न किया। मुझे संदेह है कि क्या गृह मंत्री के पास उनकी ओर से ऐसा कोई अभ्यावेदन आया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : वह मेरे प्रश्न को बल दे रहे हैं।

†श्री नन्दा : मुझे ऐसे किसी प्रयास की सूचना नहीं। ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं डाला गया।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या सरकार यह पता लगा सकी है कि क्यों इन दो फिल्म कलाकारों के बीच तथा भूतपूर्व रक्षा मंत्री और दूसरी ओर हमारी सामरिक बातों की सूचना पाकिस्तान के द्वारा चीन को पहुंचाने के बीच कोई तारतम्य है, जिस के साथ इन फिल्म कलाकार का.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इस की अनुमति नहीं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या उन को पता है कि ज्यों ही कलकत्ता पुलिस बम्बई पहुंची, भूतपूर्व रक्षा मंत्री दिल्ली से बंबई तक इसी मामले के सम्बन्ध में भागे और वापिस आ गये और यहां आ कर एक प्रस्ताव रखा और इस के आपके द्वारा स्वीकृत होने से पहले ——

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं नहीं।

†**श्री हेम बरुआ :** यह तथ्य है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मा० मंत्री को जो सूचना प्राप्त है क्या उस के अनुसार कही गई ये सब बातें सच हैं ?

†**श्री नन्दा :** किसी भूतपूर्व मंत्री द्वारा मुझे किसी के हक म कोई बात नहीं कही गई।

†**श्री हेम बरुआ :** तथ्य यह है कि क्या उन को पता है कि ज्योंही कलकत्ता पुलिस बम्बई पहुंची इस मामले के सम्बन्ध में, भूतपूर्व रक्षा मंत्री दिल्ली से बम्बई गये और वापिस आ गये और यहां एक प्रस्ताव रखा और यहां इस के स्वीकार हो जाने से पूर्व, तथ्य ब्लिट्ज में प्रकाशित हो गये और इसके बारे में कुछ चर्चा हुई।

†**श्री नन्दा :** इस का कोई सम्बन्ध नहीं। वह उस उत्तर का उल्लेख कर रहे हैं जो मैंने श्री कामत को दिया। वह उत्तर ठीक है। मैं सभी भूतपूर्व मंत्रियों की गतिविधियों की निगरानी नहीं रखता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयले के मूल्य

†*७१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री १४ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन

†*७२. श्री यशपाल सिंह :
श्री जे० बी० सि० बिष्ट :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या दोनों सरकारों के बीच हुये पत्र-व्यवहार की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) भारत, पाकिस्तान और इंगलैंड की सरकारों के बीच अभी बातचीत हो रही है।

(ख) अन्य सम्बन्धित सरकारों से शीघ्र निर्णय करने की प्रार्थना की गई है ।

(ग) अन्य सम्बन्धित दो सरकारों की समत्ति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता ।

शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा युवक कल्याण

*७३. श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० समान्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री २१ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कुछ वर्ष पूर्व शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा युवक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में समन्वय करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार कर ली है, किन्तु कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर अभी होने बाकी हैं। सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

'अग्रेनयन' नियम'

†*७४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के उन निर्णय के परिणाममों की जांच कर ली गई है जिसमें पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये लोक सेवाओं में पदों का आरक्षण करने वाले "अग्रेनयन नियम, १९५५" को असांवैधानिक घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) अभी इस मामले की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय पंचांग

†*७५. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुओं के त्योहारों के लिये छुट्टियां निर्धारित करते समय सरकार उस राष्ट्रीय पंचांग का अनुसरण करती है जिसे कि वह स्वयं प्रकाशित करवाती है ;

(ख) १९५५ से लेकर १९६३ तक प्रतिवर्ष किन-किन त्यौहारों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पंचांग का अनुसरण किया गया ; और

(ग) यदि किसी अवसर पर राष्ट्रीय पंचांग का अनुसरण नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतबीस) : (क) और (ग), सामान्य प्रथा यह है कि गत वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचांग में दी गई तिथियों को छुट्टियां मनाई जाती हैं। किन्तु, जब वे तिथियां उन तिथियों से भिन्न होती हैं जिन पर किसी स्थान पर लोग उन त्यौहारों को मनाते हैं, तो सरकार भारत के दफ्तरों को उस दिन बन्द रखना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राष्ट्रीय पंचांग १९५८ के लिए १९५७ में प्रकाशित हो गया था। १९५८ से आगे, नीचे दिये गये त्यौहारों को छोड़ कर, राष्ट्रीय पंचांगों में दी गई तिथियां ही अपनाई गई हैं :—

वर्ष	त्यौहार
१९६०	दीवाली
१९६१	जन्म अष्ठमी
१९६२	जन्म अष्ठमी
१९६३	दशहरा, दीवाली, और महर्षि बाल्मीकि जन्म दिवस

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द व्यक्ति

†*७६. **श्री प्र० के० देव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चतर सिंह :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री स० मो० बनर्जी
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दीनेश भट्टाचार्य :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री पू० चं० देवभंज :
श्री हेमराज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द सभी व्यक्तियों के मामलों का पुनर्विलोकन किया जाता है ;

(ख) कितने व्यक्ति अभी तक भी नजरबन्द हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य में नजरबन्द व्यक्तियों की अलग अलग संख्या क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में सितम्बर, १९६३ से लेकर अब तक कितने व्यक्ति रिहा कर दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) भारत प्रतिरक्षा नियमों १९६२ के अन्तर्गत, प्रत्येक नजरबन्दी आदेश, पर पुनर्विचार, छः महीनों से अधिक अवधियों पर संबद्ध अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

(ख) ५१५ (८ नवम्बर, १९६३ को)

(ग) और (घ). अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८४८ / ६३ ।]

सामान्य शिक्षा का अवलोकन

*७७. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वारियर :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के संबंध में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में विशेषतया माध्यमिक स्तर में हुई प्रगति का जो मध्यकालीन अवलोकन किया गया, उससे पता चला कि देश में प्रशिक्षित अध्यापकों की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं ;

(ग) इस अवलोकन से और किन कमियों का पता लगा है; और

(घ) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) बहुत से राज्यों में तथा विशेषकर कुछ विषयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है ।

(ख) इस स्थिति को दूर करने के लिए सोचे गए उपाय निम्नांकित हैं :—

(१) और अधिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करना;

(२) वर्तमान संस्थाओं में भर्त्ती की संख्या में यथासंभव बढ़ोत्तरी करना; और

(३) बहूद्देशीय स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्रीय कालेजों की स्थापना ।

(ग) एक अन्य महत्वपूर्ण कमी जो ध्यान में आई वह थी बढ़ती हुई संख्या के विस्तार को ध्यान में रखते हुये शिक्षा के स्तर को कायम रखने तथा उसे सुधारने में कठिनाई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को सूचना भेज दी गई है जो १९६४–६५ से तैयार होने वाली अपनी वार्षिक योजनाओं में इन कमियों को दूर करने के बारे में उपाय सुझाएंगे ।

हल्दिया बन्दरगाह में तेल शोधक कारखाना

†*७८. श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री त० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास ने हल्दिया बन्दरगाह पर एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई विचार किया है ; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय जीवविज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला

†*७९. श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री ओझा :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत में एक राष्ट्रीय जीवविज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किस प्रकार की सोवियत सहायता देने का वचन दिया गया है ; और

(ग) प्रयोगशाला कहां स्थापित की जायेगी ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†*८०. श्री महेश्वर नायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही क्षेत्रों में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के भारत में अवैध प्रवेश में कोई कमी नहीं हुई है ; और

(ख) भारत में अवैध दस्तावेजों के बगैर रहने वाले उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या क्या है जो पिछली अप्रैल से लेकर अब तक गिरफ्तार किये गये थे तथा उन मामलों में क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले का लक्ष्य

†*८१. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेडा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स्वैल :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के अध्यक्ष लार्ड राबन्स ने कहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा गया है और यह पूरा नहीं हो सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) सरकार ने अभी चौथी योजना को कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। लार्ड रौबन्स के मन में संभवतः १८०० लाख टन का लक्ष्य था जो १९७०–७१ तक कोयले की उपभोक्ता मांग का प्रारंभिक अनुमान था, और जिसकी इस समय छानबीन की जा रही है। सरकार अन्ततोगत्वा कोयले

†मूल अंग्रेजी में

पर आधारित उद्योगों के अपेक्षित विकास तथा अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के लिये कोयला उद्योग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, कोयले का यथार्थ लक्ष्य निश्चित करेगी। एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाने पर उसे पूरा करने के लिये तेजी से काम करने के निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कावेरी बेसिन में तेल

†*८२. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) कावेरी बेसिन में तेल की खोज के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से पहले तेल संबंधी छिद्रण कार्य आरम्भ होने की क्या संभावना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) भूतत्वीय मानचित्रण और गुरुत्वाकर्षण-एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। कुछ भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया गया है। भूकम्पीय कार्य अगले वर्ष मार्च में आरंभ किया जाएगा। एक संरचनात्मक कूप, १०५० मीटर की गहराई तक पट्टुकोट्टाई के समीप उप-तलीय भूतत्वीय सूचना प्राप्त करने के लिये, खोदा जा रहा है।

(ख) कराईकाल के समीप एक गहरा प्रयोगात्मक कूंआं खोदने के लिये व्यवस्था की जा रही है। खुदाई कार्य जनवरी १९६४ में आरंभ होने की संभावना है।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†*८३. **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री बाल्मीकी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य प्राथमिक किन किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में चालू की जा चुकी है ;

(ख) शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जम्मू व काश्मीर तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र को छोड़ कर, सभी राज्यों में चुने गये क्षेत्रों में आरंभ की गई है।

(ख) सामान्य नीति यह है कि प्रारंभ में सधन शैक्षणिक प्रचार में, शैक्षणिक संस्थाओं की व्यवस्था की जाए और गरीब तथा जरूरतमन्द बच्चों को अपेक्षित प्रोत्साहन देने की योजनाएं बनाई जाएं। विधि द्वारा अनिवार्यता तभी जारी की जाती है जब इन उपायों के द्वारा पर्याप्त सफलता प्राप्त हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जब स्थिति अनुकूल होगी।

बहादुरशाह जफर की अस्थियां

†*८४. श्री हो० ना० मुखर्जी :
श्री ल० चं० बरुआ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्राट बहादुरशाह जफर की मृत्यु शताब्दी मनाने के लिये उनकी बर्मा में गड़ी हुई अस्थियों को मेहरौली में लाने के लिये क्या कोई योजना बनाई गई है?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० म० मो० दास) : जी नहीं।

स्त्री शिक्षा

†*८५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती बिमला देवी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा क्षेत्र में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो कितना सुधार हुआ है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय की गई है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : लड़कियों के लिये शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने और महिलाओं के लिए पॉलिटैक्निक खोलने के विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त, महिला शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् स्थापित की गई है, ऐसी परिषदें राज्यों में भी स्थापित की गई हैं; राज्यों में लड़कियों की शिक्षा के लिए, उप या संयुक्त शिक्षा निदेशक नियुक्त किये गये हैं और महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयं सेवी संगठनों को सहायता दी जाती है।

(ख) १९६०–६१ में विद्यार्थियों की संख्या ६–११ आयु स्तर पर योजना अनुमानों से ४००,००० तथा ११–१४ आयु स्तर पर २००,००० बढ़ गई थी। आशा है १९६५–६६ में, स्कूलों में ६–११ आयु स्तर पर ६३.३ प्रतिशत और ११–१४ आयु स्तर पर १८.२ प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।

(ग) लड़कियों की शिक्षा समेत सामान्य शिक्षा पर खर्च की गई राशि के अतिरिक्त, ३ करोड़ रुपये से अधिक राशि १९६२–६३ में इन विशेष कार्यक्रमों के लिए खर्च की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में मकानों के किराये

†*८६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री ६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी भी दिल्ली तथा नई दिल्ली में मकानों के किराये बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो मकान-किरायों में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस):** (क) जी नहीं । ६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २८१ के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया था कि यह सही नहीं कि दिल्ली में मकानों की कमी के कारण किराये बहुत अधिक हैं और दिल्ली में किरायों का नियंत्रण दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम १९५८ के अन्तर्गत किया गया था । इस समय वही स्थिति जारी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरों के लिये एक समान वेतन ढांचा

†*८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में इंजीनियरों के लिए एक समान वेतन ढांचा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, तथा वह इस समय किस अवस्था में हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिजो राष्ट्रीय आन्दोलन

†*८८. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिज़ो नेताओं की मुख्य मांगें तथा शिकायतें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) से (ग). मिजो जिलों समेत आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण स्वायत्तता देने और प्रशासनिक ढांचे के प्रश्न पर, ४ और ५ अक्तूबर, १९६३ को, प्रधान मंत्री तथा अखिल-दलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के बीच बातचीत हुई थी । पहाड़ी नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने इस के लिए प्रस्तावों पर अग्रतर विचार करने के लिये प्रधान मंत्री के साथ मूलाकात करने के लिए कहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्पीरियल गजेटियर

†८९. श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री चतर सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० के० देव :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ५० वर्ष पहले प्रकाशित भारत के इम्पीरियल गजेटियर का पुनरीक्षण करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य किसे सौंपा गया है; और

(ग) उक्त पुनरीक्षण की नीति तथा कार्यक्रम क्या होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां। पहले चार खंडों का संशोधन किया जा रहा है और (गजेटियर आफ इंडिया यूनियन) के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है।

(ख) काम इस मंत्रालय के केन्द्रीय गजेटियर एकक को सौंपा गया है।

(ग) ऐसे संशोधन का मुख्य उद्देश्य साधारण व्यक्ति के लिए एक ऐसी पुस्तक तैयार करना है, जो भारत के सभी पहलुओं, भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का पर्याप्त और व्यापक चित्र प्रस्तुत करे। प्रथम खंड छपने के लिए जून, १९६२ में भेजा गया था और दूसरा खंड जून, १९६४ तक छपने के लिये तैयार होने की आशा है।

पालम पर हुई घटना

†*९०. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर १२ सितम्बर, १९६३ को, जब कि ११ सितम्बर, १९६३ को आगरा के निकट इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमान की दुर्घटना

†मूल अंग्रेजी में

में मरे व्यक्तियों के शव पालम लाये गये, कुछ हिंसात्मक घटनायें हुईं जिनमें कुछ पुलिस कर्मचारी तथा प्रेस फोटोग्राफर अन्तर्ग्रस्त हुए; और

(ख) यदि हां, तो क्या घटना हुई ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). कोई हिन्सात्मक घटना नहीं घटी। क्योंकि पालम हवाई अड्डा, भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन 'सुरक्षित स्थान' घोषित किया जा चुका है, पुलिस अधिकारियों को प्रेस के फोटोग्राफरों को फोटो लेने से रोकना पड़ा।

बहादुरशाह जफर का जन्म शताब्दी समारोह

†१६३. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहादुर शाह जफर की जन्म शताब्दी समारोह इस वर्ष नवम्बर, में मनाया जा रहा है ;

(ख) क्या समारोह के लिए कोई तारीख निश्चित की गई है और यदि हां, तो क्या उन तारीखों की ऐतिहासिक दृष्टि से जांच की गई है; और

(ग) दिल्ली के अन्तिम भारतीय सम्राट की याद मनाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) तथा (ख) बज्मे जफर समिति दिल्ली ने ७ नवम्बर, १९६३ को बहादुर शाह जफर की १०१ वां मरण दिवस मनाया था। चूंकि इस उत्सव का आयोजन सरकार ने नहीं किया था अतः तारीखों की जांच का प्रश्न पैदा नहीं हुआ।

(ग) दिल्ली नगर की एक सड़क का नाम बहादुर शाह जफर मार्ग रख दिया गया है ।

मदुरे में विश्वविद्यालय

†१६४. श्री थैनगौंडर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै (मद्रास) में क विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जाएगा; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिये कितना पैसा दिया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) तथा (ख). यह पता लगा है कि मद्रास सरकार ने इस प्रश्न की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ग) नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई धन नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में प्रविधिक छात्रवृत्तियां

†१६५. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्रविधिक संस्था को गुणों व संसाधनों सम्बन्धी कितनी छात्रवृत्तियां दी गई; और

(ख) इसी कालावधि में इस प्रयोजन के लिए उस राज्य को कितनी राशि दी जानी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८४९ / ६३]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कानूनी सहायता

†१६६. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को अब तक कोई कानूनी सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां तो इस अवधि में कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पीड़ित

†१६७. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर १९६३ तक उत्तर प्रदेश में राजनतिक पीड़ितों में कुल कितनी राशि बांटी गई है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** १,६७,८३० रुपये।

उड़ीसा में कालेंजों को अनुदान

†१६८. **श्री पू० चं० देव भंज :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उड़ीसा के कितने कालजों को दूसरी और तीसरी योजनावधियों में अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिले हैं ; और

(ख) उन कालिजों के नाम क्या हैं और उन्हें मिले अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) १८ कालेज।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८५० / ६३]।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

†१६९. **श्री पू० चं० देवभंज :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर १९६३ के आखिर तक आंध्र उच्च न्यायालय में कितने मामल विचाराधीन थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये जन-कल्याण योजनायें

†१७०. **श्री पू० चं० देवभंज :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तीसरी-योजना में उड़ीसा के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई है उनका व्यौरा क्या है ; और

(ख) अब तक कौन सी योजनाएं पूरी हो गई है और उन पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) यह जानकारी श्री उलाका के १४ मई १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९५ के भाग (क) के उत्तर में सभा पटल पर रखी गई थी ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की सब योजनाएं निरंतर चलने वाली है और इसलिए किसी योजना के अभी तक पूरा होने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

उड़ीसा में तूफान

†१७१. **श्री पू० चं० देवभंज :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) सितम्बर १९६३ के आखिर में उड़ीसा में जो तूफान आया था उससे कितने लोग मारे गये और कितने लोगों की सम्पत्ति नष्ट हुई और कितनी हानि हुई ; और

(ख) इस विपत्ति से पीड़ित लोगों को केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) ३२ लोग मारे गये । ३८,९११ घर और १०२,६८३ एकड़ क्षेत्र की फसल नष्ट हो गई । राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि तूफान से ५५ लाख रुपये तक की हानि हुई है ।

(ख) ऐसे मामलों में सहायता देने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकार की है । केन्द्रीय सरकार से तो तभी कहा जाता है जब खाद्यान्न, कम्बलों आदि के सम्भरण जैसे

†मूल अंग्रेजी में

विशेष मामले में सहायता की आवश्यकता होती है अथवा राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्यों के लिए रखी गई राशि कम हो जाती है। इस मामले में राज्य सरकार से सहायता की कोई प्रार्थना नहीं मिली।

उत्कल विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग

†१७२. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा) को पुस्तकालय विज्ञान विभाग आरम्भ करने के लिए कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि दी गई है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

स्कूलों के पुस्तकाध्यक्ष

†१८३. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों के बारे में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए निदेश दिया है; और

(ख) कितने राज्यों ने अपने माध्यमिक स्कूलों में पूरा समय काम करने वाले पुस्तकाध्यक्षों की नियुक्ति का कार्यक्रम आरम्भ किया है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) अन्य ऐसी सिफारिशों की तरह जिन पर राज्य सरकारों को निर्णय करना होता है; यह सिफारिश भी राज्य सरकारों को विचार के लिए भेज दी गई है?

(ख) भारत सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विदेशों में अध्ययन के लिए ऋण

†१७४. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करके कितने छात्र १९६२-६३ में विदशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये थे;

(ख) इनमें से कितने छात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के थे और कितने उड़ीसा के थे; और

(ग) उपरोक्त अवधि में सब छात्रों को कितनी राशि दी गई और उड़ीसा के छात्रों को कितनी राशि दी गई?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) ५

(ख) (१) जातिकर जानकारी देना उचित नहीं।

(२) शून्य।

(ग) (१) १०,००० रुपये।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संगीत नाटक अकादमी

†१७५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध किया गया मुकदमा निबटाया गया है ; और

(ख) कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया और कितने लोगों को दण्ड दिया गया ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) तथा (ख) नहीं श्रीमान्। यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

†१७६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए १९६३–६४ में कितनी राशि की छात्रवृत्तियों मंजूर की गई ; और

(ख) क्या यह राशि १९६२–६३ में मंजूर की गई राशि से कितना कम है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) शिक्षा मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों देने के लिए उत्तर प्रदेश को ३५,५२,४०० रुपये की मंजूरी दी है। यदि राज्य सरकार की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति गृह-कार्य मंत्रालय करेगा।

उत्तर प्रदेश में आदिम जातियां नहीं है।

(ख) नहीं श्रीमान्।

आसाम के कोयला निक्षेप

†१७७. **श्री हेम बरुआ** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कोयला निक्षेप अनुमानत : २ अरब टन है ;

(ख) यदि हां तो सरकार इन संसाधनों का शोषण करने के लिए क्या कदम उठा रही है या उठाना चाहती है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां श्रीमान।

(ख) इस समय राज्य का कोयले का उत्पादन ८ लाख टन है। असम में कोयला उत्पादन की मुख्य समस्या यह है कि राज्य के कुछ कोयला उत्पादन में से कितना खरीदा जाता है। उपरोक्त

†मूल अंग्रेजी में

बात को दृष्टिगत रखते हुए असम कोयला क्षेत्रों में उत्पादन के विकास का प्रश्न चौथी योजना के कोयला उत्पादन के लक्ष्य के संदर्भ में विचाराधीन है ?

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अर्हतायें

†१७८. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कार्यपालिका यह प्रयत्न रहा है कि किसी राज्य में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए अर्हताएं निर्धारित की जायें।

(ख) यदि हां तो क्या उस विश्वविद्यालय या संबंधित विश्वविद्यालयों ने इस पर आपत्ति की है और यदि हां तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग का क्या रुख है।

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) हां श्रीमान उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में साहित्य विज्ञान, वाणिज्य और, विधि के विभागों में अध्यापकों और रीडरों के पदों के लिए अर्हताएं निर्धारित की हैं।

(ख) हां श्रीमान्। इलाहबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने राज्य के शिक्षा मत्री के लिए कर प्रार्थना की थी कि सरकार का आदेश वापस ले लिया जाए। जहां तक लखनऊ विश्वविद्यालय का संबंध है इस की साहित्यकी और कार्यकारी परिषदें इस विषय पर विचार कर रही हैं ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह मत है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धरित अर्हताओं से अध्यापन और गवेषण के लिए उपयुक्त अध्यापकों को चुनने में सहायता नहीं मिलेगी। आयोग का यह भी विचार है कि यदि यह आवश्यक समझा जाए तो अध्यापकों के लिए न्यूनतम या सामान्य अर्हतायें निर्धारित की जाएं और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हताएं संतोषजनक हैं तथ। उनकी ओर उत्तर प्रदेश की सरकार और विश्वविद्यालयों का ध्यान दिलाया जाए।

कच्चे लोहे की खानें

१७९. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में काफी मात्रा में कच्चे लोहेकी खानें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो १९६३ में कच्चे लोहेका कितना उत्पादन हुआ और कितना कच्चा लोहा निर्यात किया गया ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी १९६३ से लेकर अगस्त १९६३ तक लोह धातुक का उत्पादन और निर्यात निम्न प्रकार था।

(मिलियन मीटर टन)

	उत्पादन	निर्यात
(१) भारत (गोआ को शामिल नहीं करते हुए) . .	९.८७०	२.५९३
(२) गोआ	३.७५०	३.१७५

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में प्राविधिक शिक्षा

†१८०. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिक शिक्षा के लिये तृतीय योजना काल में दिल्ली के लिये और धन मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना था और आगे कितना और किया गया है ; और

(ग) इस वक्त कितने स्कूलों में प्रविधिक शिक्षा दी जा रही है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा की योजना के लिए खर्च की रकम को बढ़ा कर ११४.५ लाख रुपयों से ३६७.० लाख रुपए करने के एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, जिस में दिल्ली पोलिटेक्निक के विकास के लिए होने वाला ५०.० लाख रुपयों का खर्च शामिल नहीं है।

(ग) इस समय दो जुनियर टेंकनीकल स्कूल और तीन पोलिटेक्निकें हैं, जिनमें से एक महिलाओं के लिए है।

इंडिया, फाउन्डेशन, पूना

†१८१. श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया फाउन्डेशन जिसका मुख्यालय पूना में है उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों को विदेश भेज रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन छात्रों या फाउंडेशन को अब तक कोई सहायता दी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) तथा (ख) सरकार के पास कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है।

(ग) नहीं श्रीमान्।

सरकारी कर्मचारियों का वाणिज्यिक फर्मों में शामिल होना

१८२. श्री बड़े :
श्री बूटा सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने (आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों ने) सरकार से १९६३ में अब तक प्रार्थना की है कि उन्हें वाणिज्यिक फर्मों में शामिल होने की अनुमति दी जाएं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने लोगों को अनुमति दी गई ;

(ग) विदेशी और भारतीय फर्मों ने कितने लोगों को नौकरी दी और किस किस वेंतन पर ?

†गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) (ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८५१ / ६३।]

तालचेर में कोयला निकालना

†१८३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के विदेश प्रविधिक सहयोग अभिकरण के सर्वेक्षण मंडल ने सुझाव दिया है कि तालचेर में और कोयला निकाला जाए; और

(ख) क्या तालचेर की वर्तमान कोयला खानों और नयी कोयला खानों में मशीनें लगाने की विशेष परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) वर्तमान तीन खानों अर्थात् तालचेर दमोलबेरा और दक्षिण बेथंडा के अतिरिक्त जहां पहले ही मशीनें लगी हुई है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की योजना तालचेर कोयला क्षेत्र में जगन्नाथ और नंदीडा की दो और खाने खोलने की है। जगन्नाथ से १० लाख टन कोयला निकलेगा और वहां आधुनिक फावड़े आदि प्रयोग किये जाएंगे। नंदीड़ा की खान भूगर्भ में होगी जहां से ६ लाख टन कोयला निकलेगा। उसका विकास पोलेंड की यांन्त्रिक सहायता से किया जायेगा ।

उद्योगों के बचे कचरे से माल तैयार करना

†१८४. { **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूड़की की केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसन्धान परिषद् ने औद्योगिक कचरे से जैसे ताप भट्टी के कांच मल और भट्टी के कंचरे को उपयोगी भवन-निर्माण सामग्री तैयार करने के नये ढंग निकाले हैं ; यह माल पुरानी भवन निर्माण सामग्री के स्थान पर जिनका संभरण आजकल कम होता है, प्रयोग किया जा सकेगा, और

(ख) यदि हां, इस संस्था में औद्योगिक कचरे से किस किस प्रकार की भवन सामग्री तैयार की जा रही है और पहले प्रयोग की जाने वाली सामग्री की तुलना में इस का मूल्य क्या होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) केन्द्रीय भवन निर्माण गवेषणा संस्था रुड़की में कुछ औद्योगिक कचरों के बारे में गवेषणा कार्य किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कारखाने के स्तर पर भी उपयोगी सामान की निम्नलिखित किस्मों को प्रयोग किया गया है :

(१) कंकरीट में आंशिक रूप से सीमेंट के स्थान पर मिश्रण सामग्री के रूप में और हल्के वजन का सिंटर तैयार करने के लिए पोर्टलेंड मोज़ोलेना सीमेंट के उत्पादन के लिए फ्लाई एश ।

(२) पोर्टलेंड ब्लास्ट फर्नेस के सीमेंट के निर्माण में ताप भट्टी का कचरा, झागदार या फैला हुआ कचरा हल्के वजन के माल के रूप में और चूने के कचरे और रेत के मरटर जो पुराने गारे के स्थान पर काम आयेंगे ।

(३) सादा हल्का कंकरीट बनाने में कुछ दर्जों का सिंडर ।

यह पता लगा है कि इन सब वस्तुओं का मूल्य पैसों की दृष्टि से और पुरानी निर्माण सामग्री की बचत दोनों दृष्टियों से लाभकारी होगा ।

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

†१८५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स्वैल :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी तेल शोधक कारखाने में उसकी निर्धारित क्षमता के अनुपात में कितना कार्य किया जाता रहा है और क्या गत तीन महीनों में किसी यूनिट में कोई गड़बड़ी हुई है;

(ख) गत तीन महीनों में प्रत्येक में विभिन्न यूनिटों से तेल शोधक कारखाने का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) इन में से प्रत्येक महीने में तेल शोधक कारखाने की कितनी गैस फालतू गैस के रूप में जला दी गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तेल शोधक कारखाना अगस्त, १९६३ से पूरा अथवा लगभग पूरा कार्य करता रहा है । यूनिटों में भी संतोषजनक कार्य किया जाता रहा है सिवाय मिट्टी के तेल शोधक यूनिट के जो कि भारी पुनःकल्पन और मरम्मत के पश्चात् २५ अगस्त, १९६३ से पुनः चालू की गई थी । तेल शोधक कारखाना २६ अक्टूबर, १९६३ से जल-सम्भरण संकट के कारण बन्द कर दिया गया था । यह संकट ब्रह्मपुत्र नदी के अपना मार्ग बदल देने के कारण उत्पन्न हुआ था जिससे कि तेल शोधक कारखाने द्वारा चलाये जाने वाले पम्पिंग स्टेशन को पानी पम्प करना कठिन हो गया था । कोकिंग और डिस्टिलेशन यूनिटों ने क्रमशः १५ और १६ नवम्बर, १९६३ को पुनः कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था । मिट्टी के तेल की शोधक यूनिट के शीघ्र ही पुनः चालू होने की सम्भावना है ।

(ख) अगस्त, १९६३ . . ४२,६९३ टन
सितम्बर, १९६३ . . . ४४,९१३ टन
अक्टूबर, १९६३ . . . . . ५६,८४७ टन

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अगस्त, १९६३ . . . . . ८६३ टन
सितम्बर, १९६३ . . . . . ६७९ टन
अक्टूबर, १९६३ . . . . . १,०२० टन

अंशकालिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

†१८६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिये अंशकालिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के हेतु कोई योजना तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना की वित्तीय उपलक्षणायें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) से (ग). अंशकालिक राष्ट्रीय उपाधिपत्र तथा राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की पहली योजनाओं और अनेक मान्यता प्राप्त व्यवसायी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाली परीक्षाओं के लिये विद्यार्थियों को तैयार करने की अंशकालिक शिक्षा के अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनायें हाल ही में तैयार की गई हैं :—

(१) इंजीनियरिंग में राज्य उपाधिपत्रों के लिये अंशकालिक पाठ्यक्रमों की योजना

यह इंजीनियरिंग में राज्य उपाधिपत्र परीक्षाओं के लिये विद्यार्थियों को तैयार करने के हेतु एक चार-वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम है । यह पाठ्यक्रम विशेषतया उन लोगों के अपने अपने व्यवसाय में उन्नति करने के लिये है जो कि उद्योगों और अन्य प्रविधिक संस्थाओं मे कार्य कर रहे हैं । प्रयोगात्मक आधार पर देश में २५ केन्द्र खोलने का विचार है, जिन में १० ने तो अब तक कार्य करना आरम्भ भी कर दिया है और १२ अन्य के लिये मंजूरी दे दी गई है । ये केन्द्र विद्यमान पोलिटेकनिक संस्थाओं में होंगे । प्रत्येक केन्द्र में असैनिक, विद्युत् तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग में १०० विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा ।

प्रत्येक केन्द्रों की अनुमानित लागत निम्नलिखित होगी :—

अनावर्ती	आवर्ती
५०,००० रुपये	१,७०,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(२) असैनिक, यांत्रिक तथा विद्युत् इंजीनियरी में अंशकालिकडिग्री पाठ्यक्रमों की योजना

उद्योगों तथा अन्य प्रविधिक संस्थानों में लग हुए उपाधिपत्रधारियों को उन के सम्बन्धित विषयों में डिग्री स्तर पर इंजीनियरी की शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने एक अस्थायी योजना तैयार कर ली है। मामला अब सरकार के विचाराधीन है ।

नूनमाटी तेलशोधक कारखाने की बेकार गैस

†१८७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री वारियर :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमाटी तेल शोधक कारखाने से उस गैस को जो कि इस समय बेकार गैस के रूप में जला दी जाती है शोधन करने के पश्चात् गोहाटी और शिलौंग को घरेलू उपयोग के लिये सम्भरण करने की योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी गैस उपलब्ध है; और

(ग) योजना की मोटी मोटी रूपरेखायें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) ६,००० टन प्रति वर्ष ।

(ग) इंडियन रिफ़ाइनरीज़ लिमिटेड द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जिस में विनियोजित की जाने वाली कुल पूंजी, योजना की लाभ-हानि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी ।

नेफ़ा और लद्दाख में कल्याण बोर्ड

†१८८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :

क्या **शिक्षा** मंत्री २८ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा नेफ़ा और लद्दाख को मिला कर सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं का जो अध्ययन किया गया है उसका क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या नेफ़ा के सीमावर्ती लोगों के भारत के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों के साथ नैतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों का केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) नेफ़ा में अब तक कितने बहुप्रयोजनीय कल्याण विस्तार परियोजना केन्द्र खोले गये हैं और क्या उक्त भाग (ख) में उल्लिखित सम्बन्धों को दृढ़ करना उन केन्द्रों के उद्देश्यों में से एक होगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामस्वरूप, नेफ़ा और लद्दाख को मिलाकर सीमावर्ती क्षेत्रों की समाज कल्याण की आवश्यकताओं को मोटे तौर पर आंक लिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) नेफ़ा के लिये दस कल्याण विस्तार परियोजनायें मंजूर की गई हैं जिन में से एक-एक केन्द्र वाली पांच परियोजनाओं में अब तक कार्य आरम्भ हो गया है । यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के देश के शेष भाग के लोगों के साथ नैतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ हो जायेंगे ।

(घ) जी, नहीं ।

मनाली और दार्जिलिंग की पर्वतारोहण संस्थायें

†१८९. श्री यशपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनाली की पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्था को दार्जिलिंग की हिमालय पर्वतारोहण संस्था के साथ मिलाने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय और पंजाब सरकार के बीच बातचीत चलती रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेक्शन आफिसरों का वेतन

†१९०. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री २९ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्शन आफिसरों के लिये निर्धारित पुनरीक्षित वेतन क्रम के सातवें वर्ष में उनके वेतन में भारी वृद्धि करने की व्यवस्था करने के लिये इस बीच कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय क्या हैं ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो निर्णय के कब किये जाने की सम्भावना है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग). यह निर्णय किया गया है कि सेक्शन आफिसरों के विद्यमान विलयित वेतन-क्रम में, जो कि द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया गया था, कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० प्रताप सिंह के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

†१९१. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० के० देव :
श्री बसुमतारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री १८ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० प्रताप सिंह के मुकदमे के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के कानूनी सलाहकारों के परामर्श में इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था। महान्यायवादी का यह निश्चित मत है कि संविधान के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

रिहन्द बांध

१९२. श्री भक्त दर्शन : क्या गृह-कार्य मंत्री २८ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहन्द बांध में उत्पन्न बिजली के वितरण के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के मध्य जो समझौता हुआ था, क्या उस संबंध में कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस समझौते की शर्तों आदि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच मध्य प्रदेश को रिहन्द बांध से बिजली देने के बारे में मध्य-क्षेत्रीय परिषद की पिछली १ और २ जुलाई १९६३ को नैनीताल में हुई बैठक में एक समझौता हुआ था। इस समझौते की शर्तें, आदि निम्नलिखित हैं :—

"उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष प्रति वर्ष रिहन्द से उत्पन्न होने वाली बिजली का पन्द्रह प्रतिशत भाग देगा। ये बिजली रिहन्द बिजली घर के स्टैप-अप सब-स्टेशन के अन्तिम छोर से दी जायेगी। ये बिजली असली लागत और उस पर ५ प्रतिशत लगाकर दी जायगी और ये कीमत श्री एम० आर० सचदेव के सभापतित्व में एक समिति द्वारा जिसमें कि केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के चेयरमैन और बिजली से सम्बन्धित मेम्बर भी होंगे, दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के विचार सुनने के बाद निर्धारित की

†मूल अंग्रेजी में

जाएगी। इस तरह निर्धारित की गयी कीमत इससे संबंधित सब को मान्य होगी और हर दस साल में एक दफा उपरोक्त तरीके से पुनरीक्षण की जायेगी।

बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालय

१६३. श्री भक्त दर्शन :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या शिक्षा मंत्री १४ अगस्त, १६६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साम्प्रदायिक नामों को हटाने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि अभी तक कोई निश्चय नहीं हो पाया है तो इस में इतनी देरी होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). विषय अभी भी विचाराधीन है।

सर्वे आफ इंडिया

१६४. श्री भक्त दर्शन :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २१ अगस्त, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्वे आफ इंडिया और नेशनल एटलस आर्गेनाइजेशन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : रिपोर्ट की ४१ मुख्य सिफारिशों में से ६ के बारे में फैसला किया जा चुका है और उन्हें अमल में लाया जा रहा है। बाकी सिफारिशों पर विचार हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

१६५. श्री भक्त दर्शन : क्या शिक्षा मंत्री ११ सितम्बर, १६६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को

प्राथमिक शिक्षा के लिये पहिले से अधिक वित्तीय सहायता देने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को तुरन्त सहायता की योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार को १९६३–६४ के दौरान ५०·५७ लाख रुपये की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में नियत की गई है। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को इतनी ही राशि अपने साधनों से जुटानी होगी।

दरभंगा में बेलीराजगढ़ में खुदाई

†१९६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिले में बेलीराजगढ़ में १९६२–६३ में की गई खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) क्या खुदाई जारी है अथवा १९६३–६४ में आगे जारी रहेगी ;

(ग) क्या वहां प्राप्त वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो क्या ;

(घ) क्या एक संग्रहालय बनाने का विचार है ; और

(ङ) उस स्थान पर उन मुख्य स्थलों के नाम क्या हैं जहां कि खुदाई की जानी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) काली पालिश वाले उत्तर के बर्तनों और लाल बर्तनों की ठीकरियां, पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियां, अर्द्ध-मूल्यवान पत्थरों के मनके, तांबे के सिक्के, हड्डी से बनी आकृतियां, पकाई हुई मिट्टी के फलक आदि।

(ख) खुदाई १९६३–६४ में जारी रहेगी।

(ग) प्राप्त वस्तुयें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के पास हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) बेलीराजगढ़ के किले की अवशेष दीवार, जो कि इसवी सन् के प्रारम्भ होने से सदियों पूर्व के समय में किलों के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

मद्रास में माध्यमिक शिक्षा

†१९७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिये निःशुल्क करने का निश्चय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रस्तावों का यथार्थ स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस प्रस्ताव के साथ किसी भी रूप में कोई सम्बन्ध रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सम्बन्ध किस प्रकार का है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). मद्रास सरकार से इस आशय की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

इंडियन आयल कम्पनी के व्यापारियों के बट्टे की दर

†१६८. श्री अ० व० राघवन : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी के व्यापारियों को दिये जाने वाले लाभ की सीमा अन्य गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभ की सीमा की तुलना में कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आयल कम्पनी के व्यापारियों को दिये जाने वाले बट्टे की दर को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इंडियन आयल कम्पनी और अन्य गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा बेचे जाने वाले पैट्रोल और डीजल तेल के मूल्य में कोई अन्तर है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). इस जानकारी को प्रगट करना इंडियन आयल कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

अफगानिस्तान के साथ सांस्कृतिक समझौता

†१६६. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान के अपने हाल ही के दौरे में उन्होंने अफगान सरकार के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) समझौता किस समय तक मान्य होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक आदान प्रदान की वृद्धि करके, गोष्ठियों, व्याख्यानों, कलात्मक और वैज्ञानिक प्रदर्शिनियों की व्यवस्था करके, विद्वानों और विद्यार्थियों के दौरों की व्यवस्था करके, ज्ञानवान संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके, विश्वविद्यालयों और उच्चतर ज्ञान की अन्य संस्थाओं में पीठों की स्थापना करके ; पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी का प्रसार करके ; चलचित्रों का प्रदर्शन करके ; पुरातत्वीय नमूनों का आदान प्रदान करके और रेडियो प्रसारण के माध्यम से ; खेलकूद प्रतियोगिता की व्यवस्था करके और स्काउटों और गाइडों के संगठनों के बीच सहयोग करके दोनों देशों के परस्पर सम्बन्धों को मजबूत करना ।

(ग) यह समझौता दृढ़ीकरण के लेखों का आदान प्रदान होने वाली तिथि से लागू होगा और पांच वर्ष तक लागू रहेगा, और उसके बाद उस दिन के छ महीने बाद तक लागू रहेगा जिस दिन कि समझौता करने वाले पक्षों में से कोई पक्ष समझौते को समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना दे।

एम० वी० अन्दमान्ज

†२००. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ और २३ जुलाई, १९६३ के बीच एम० वी० अन्दमान्ज की कलकत्ता/पोर्ट ब्लेयर यात्रा के दौरान ७० से अधिक यात्रियों ने जहाज की परिवाद पुस्तिका में एक जैसी शिकायतें दर्ज की थीं ;

(ख) यदि हां, तो बंक यात्रियों की कठिनाइयों और शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) जहां कहीं आवश्यक था वहां भारतीय नौवहन निगम ने शिकायतों को दूर करने के उपाय किये थे ; सिवाय एक शिकायत के मामले में जिसकी की जांच हो रही है ?

पोर्ट ब्लेयर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

†२०१. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूह के पोर्ट ब्लेयर के सरकारी स्कूलों में १९६३ की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे ;

(ख) कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ; और

(ग) उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या कम होने के क्या कारण हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) बयालीस ।

(ख) बारह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के विषय को गलती से लेना, योग्य अध्यापकों और भारत भूमि से उपयुक्त पुस्तकों के मिलने में कठिनाई होना, स्कूल के शिक्षा सत्र तथा परीक्षा में समय का अन्तर आदि ।

अन्दमान में जहाजों में यात्री किराये

†२०२. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने भारत भूमि तथा इन द्वीपसमूहों के बीच चलने वाले सरकारी जहाजों में यात्रा करने के यात्री किराये हाल ही में १५ प्रतिशत तक बढ़ा दिये हैं ; और

(ख) बंक में यात्रा करने के भाड़े को जो कि पहले केवल ३५ रुपये था बढ़ा कर ४१ रुपये कर देने के क्या कारण हैं जबकि नया किराया हिसाब से केवल ४० रुपये २५ नये पैसे बैठता है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) इन जहाजों को चलाने में जो भारी हानि हुई है उसको ध्यान में रखते हुए बंक में यात्रा करने का किराया १५ प्रतिशत बढ़ा दिया गया था जोकि हिसाब से ४० रुपये २५ नये पैसे बैठता है । इसे पूरे रुपयों में करके ४१ रुपये कर दिया गया था । यह बढ़ोतरी भी देश के तटीय अथवा समीपवर्ती समुद्री मार्गों की अन्य सेवाओं के भाड़ों के मुकाबले में बहुत कम है ।

लौह अयस्क की पट्टियों का सर्वेक्षण

†२०३. श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत पर लौह अयस्क का परिवहन करने के लिये कार्यसाधक सड़क सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से योजना आयोग ने उनके मन्त्रालय से देश की लौह अयस्क की पट्टियों का सर्वेक्षण करने के लिये एक योजना तैयार करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षणों में क्या करने का विचार है ; और

(ग) कार्य के कब पूरा होने की सम्भावना है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में तेल की खुदाई के कार्य

†२०४. { श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हेम राज :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में तेल की खुदाई के कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) सितम्बर १९६३ तक इन कार्यों पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) कितने कुएं खोदे गये हैं, कितनों में सफलता मिली है और ऐसे कितने कुएं हैं जिनमें गहरी खुदाई करना ठीक समझा जाता है ; और

(घ) किन नये क्षेत्रों में खोज की जानी है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ज्वालामुखी के क्षेत्र में दूसरा गहरा कुआं खोदने का सामान एकत्र किया जा रहा है । होशियारपुर के समीप जनोरी में भी दूसरा गहरा कुआं खोदने का प्रस्ताव है ।

(ख) ३१–३–१९६१ तक खुदाई के कार्य की लागत परियोजनावार नहीं फैलाई गई थी । अतः ३१-३-१९६१ तक के पंजाब में खुदाई के खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । पंजाब क्षेत्र में १–४–१९६१ से २५–९–१९६३ तक परियोजनाओं पर लगभग ८१ लाख रु० व्यय हुए ।

(ग) अब तक पांच समन्वेषी गहरे कुएं और आठ संरचनात्मक कुएं खोदे गये हैं । एक कुएं को छोड़ कर (ज्वालामुखी कुआं संख्या १) किसी कुएं में भी हाइड्रोकार्बन के चिह्न नहीं मिले हैं । तथापि इन सब कुओं से लाभदायक भू-विज्ञान सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुई है ।

ज्वालामुखी और जनोरी में जो दो नये कुएं खोदे जाने हैं वे पहले खोदे हुए कुओं से अधिक गहरे होंगे । अग्रेतर कार्यक्रम इन कुओं के तेल के परिणामों पर निर्भर होगा ।

(घ) नये क्षेत्रों में समन्वेषी खुदाई उक्त दो क्षेत्रों में गहरी खुदाई के परिणामों पर आधारित होगी ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां योजना

†२०५. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २२ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां योजना के अन्तर्गत राज्यों को जो १,३२,४०,००० रु० की राशि सौंप दी गई है उसका राज्यवार आवंटन किस प्रकार है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में छात्रों को अब तक कितनी राशि वितरित की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियों की १,३२,४०,००० रु० की राशि के राज्यवार आवंटन को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १८५२/६३ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १,२९,०२,९६० रु० की राशि विभिन्न राज्यों को, चुने हुए छात्रों को देने के लिये, सौंप दी गई है। तथापि नवम्बर तक विद्यार्थियों को कोई राशि नहीं दी गई थी क्योंकि विज्ञापन के उत्तर में बहुत कम आवेदन पत्र आये और आवेदन पत्रों के देने की तिथि को बढ़ाना पड़ा।

उच्च शिक्षा के लिये अध्यापकों की कमी

२०६. **श्री बाल्मीकी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर के शिक्षकों का अभाव है ;

(ख) क्या यह अभाव दिन-ब-दिन बढ़ रहा है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) और (ख). जी हां।

(ग) अध्यापन-व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा उन्हें वहां बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें, विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतन-मान बढ़ाना, विश्वविद्यालयों में ऐसे उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना जहां उत्कृष्ट छात्रों को शिक्षण तथा अनुसन्धान के अवसर मिल सकें, अध्यापकों को अपनी व्यावसायिक योग्यता सुधारने के लिए अनुसन्धान अनुदानों की व्यवस्था, डाक्टर-सम्बन्धी अनुदान तथा उत्तर डाक्टर-सम्बन्धी अधिछात्रवृत्तियां, प्रमुख रिटायर्ड प्रोफेसरों को वित्तीय सहायता का अनुदान ताकि विश्वविद्यालय/कालेज उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें, अपने-अपने क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की जानकारी रखने के लिए अध्यापकों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता का अनुदान शामिल है। अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए, आवासीय स्थान की व्यवस्था, पेंशन-एवं-उत्पदान-एवं बीमा और विश्राम छुट्टी जैसी अन्य कार्रवाइयों पर विचार किया जा रहा है ताकि अध्यापन-व्यवसाय को अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

पश्चिमी जर्मनी और भारत के बीच प्रोफेसरों का आदान प्रदान

†२०७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी और भारत के बीच प्रोफेसरों के आदान प्रदान को कार्य रूप में लाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) इस बीच में कितने प्रोफेसरों का आदान-प्रदान किया गया है और किन किन विषयों में ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

झांसी की रानी का महल

२०८. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी की रानी के महल को जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली कर दिया है उस समय से पुरातत्व विभाग ने अपनी देख-रेख में उस महल को क्यों नहीं लिया ;

(ख) इस महल कय सुरक्षित रखने की दिशा में पुरातत्व विभाग ने क्या किया है ; और

(ग) जितने दिन यह महल बिना चौकसी के खाली पड़ा रहा उस समय में इस महल को कोई क्षति पहुंची, यदि हां, तो क्या ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास):(क) आर्क्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया ने यह स्मारक ३१ दिसम्बर, १९६२ को उत्तर प्रदेश सरकार से ले लिया था ।

(ख) महल की सुरक्षा और सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जा चुके हैं । महल की मरम्मत के लिए खर्च का तख्मीना लगा लिया गया है और काम जल्दी शुरू हो जाएगा ।

(ग) राज्य सरकार के नियन्त्रण और आर्क्योलौजिकल सर्वे आफ इण्डिया के नियन्त्रण के बीच कोई समय नहीं लगा । जब महल को हाथ में लिया गया उस समय उसकी दशा अच्छी नहीं थी और कई दरवाजों वगैरह की हालत गिरी हुई थी ।

केरल में एक और विश्वविद्यालय

†२०९. **श्री कोया**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक और विश्वविद्यालय चालू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**:(क) और (ख). इस मंत्रालय के निर्देश पर कालीकट और एरणाकुलम में दो नये विश्वविद्यालय चालू करने का केरल राज्य की सरकार का एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

मल ढोना

†२१०. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री ५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने स्थानीय स्वायत्त शासनों, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को सिर पर मल उठाने की प्रथा को समाप्त करने के निमित्त सहायता देने के लिये १९६१–६२ और १९६२–६३ में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदानों का उपयोग नहीं किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : भंगियों और मेहतरों के कार्य करने की दशा में सुधार की योजना पर विभिन्न राज्यों द्वारा १९६१-६२ और १९६२-६३ में जो खर्च किया गया और उनको जो राशि आवंटित की गई उसे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८५३/६३ ।]

शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों का कल्याण

†२११. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री १८ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्धे, बहरे और गूंगे, मानसिक रूप से विकल और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के कल्याण के लिये, श्रेणीवार और राज्यवार १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितनी राशि का अनुदान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को दिया गया ; और

(ख) १९६१-६२ में १९६०-६१ की अपेक्षा अनुदान में कमी होने के क्या कारण हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) अपेक्षित जानकारी दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १८५४/६३ ।]

(ख) १९६१-६२ में अनुदानों में कमी का कारण यह था कि "विकलांगों के लिये स्वयं सेवी संगठनों की सहायता" की योजना के कार्य पर पुनर्विलोकन किया जा रहा था और पुनरीक्षित योजना केवल १९६१ के अन्त में अनुमोदित हुई थी ।

अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†२१२. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्त्रियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के अन्तर्गत १९६१-६२ और १९६२-६३ में दिल्ली में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें स्त्रियों और वेश्यालय चलाने वालों की पृथक पृथक क्या संख्या थी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ के अन्पर्गत गिरफ्तार होने वालों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पुरुष	महिलायें	उनमें वेश्यालय चलाने वाले
१९६१-६२ . .	८८	११३	१२
१९६२-६३ . . .	२६	९७	१४

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी शब्दकोष

२१३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई हिन्दी शब्दकोष न होने के कारण हिन्दी अनुवाद में कठिनाइयां होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). जी नहीं, क्योंकि पहले ही कई प्रामाणिक शब्दकोश बाजार में उपलब्ध हैं। तकनीकी सामग्री का अनुवाद करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने शब्दावली तैयार की है जो "पारिभाषिक शब्द संग्रह" नामक प्रकाशन में मिल सकती है।

अनुवाद की समस्या

२१४. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ४ सितम्बर १९६३ के अंतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय आयोग को जो अनुवाद की समस्याओं के संबंध में लिखा गया था उसमें क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : कुछ विश्वविद्यालयों ने विशेष कोर्स शुरू करने में अपनी असमर्थता बताई है दूसरे विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जवाबों का इंतजार किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस कर्मचारी

†२१५. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर में चलने वाली बसों में पुलिस कर्मचारियों को, जिनमें यातायात नियंत्रण कर्मचारी भी शामिल हैं, बिना किराया दिये यात्रा करने का अधिकार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का पुलिस के कर्मचारियों को दिल्ली परिवहन की और अन्य बसों में बिना टिकट चलने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) जी नहीं।

(ख) यह पता लगाने के लिये कि काई पुलिस कर्मचारी सार्वजनिक बसों में बिना टिकट तो यात्रा नहीं कर रहा है दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा समय समय पर छापा मारती रहती हैं। अपराधियों को उचित दण्ड दिया जाता है।

दिल्ली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

†२१६. **श्री ज० ब० सह० बिष्ट** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पिछले उच्च माध्यमिक (हायर सैकण्डरी) परीक्षा के बुरे नतीजे की ओर गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस बुरे नतीजे के कारणों के विश्लेषण के लिये कोई यत्न किया गया है और क्या कमियों का दूर करने के लिये काई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी स्कूलों में, जहां कि पास होने वालों की संख्या ३० प्रतिशत के आसपास कम रही, शिक्षण स्तर को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) पिछली उच्च माध्यमिक (हायर सैकडंरी) परीक्षा (जिसमें कम्पार्टमेंटल परोक्षा भी शामिल है) में सरकारी स्कूलों की औसत पास प्रतिशत ६६.१ थी जबकि इसके विरूद्ध बोर्ड की औसत पास प्रतिशत ६९.८ थी ।

(ख) जैसा कि २१.८.१९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९९ के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में बताया गया है उन सरकारी स्कूलों के बारे में, जिनका नतीजा ४० प्रतिशत से भी कम रहा है, में बुरे नतीजे के कारणों की जांच करने के लिये इस बीच एक समिति का गठन किया गया है जो उनके नतीजे सुधारने के तरीके निकालेगा ।

(ग) जी नहीं । उन स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों के लिये उपचारीय शिक्षण चालू कर दिया गया है । अंग्रेजी, जिसमें कि ज्यादातर विद्यार्थी फेल हुये थे, के शिक्षण को सुधारने के लिये विचार गोष्ठियों का भो प्रबन्ध किया जा रहा है । ग्रामीण विद्यार्थियों के पर्यवेक्षण शिक्षण के लिये छुट्टियों में शिक्षण शिविरों के प्रबन्ध करने और अस्थायी छात्रावास की सुविधाओं का प्रबन्ध करने का भी विचार है ।

बुनियादी शिक्षा

२१७. **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि बुनियादी शिक्षा को कृषि-शिक्षा अथवा फार्म शिक्षा के साथ मिला दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नई योजना का क्या ब्यारा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं परन्तु कृषि का सदैव ही शिक्षा प्रणाली के शिल्पों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अमरीका को भारतीय विद्यार्थी

†२१८. **श्री ओझा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे एक सौ शिद्यार्थी, जिन्होंने एम० एस सी० सीनियर कम्ब्रिज अथवा प्री–डिग्री कोर्स पास किया हो, इंडिया फाउंडेशन द्वारा अमरीकन फील्ड सर्विस के सहयोग से अमरीका में एक वर्ष के अध्ययन पाठ्य क्रम के लिये चुने जाने वाले हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन विद्यार्थियों को अग्रेतर पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् भारत लौटने पर किस काम पर लगाया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) सरकार के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में खनिज

†२१९. { **श्री स्वैल :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने, जो कि आसाम सरकार के भूतत्वीय और खान निदेशालय के साथ मिल कर काम कर रहा है, हाल ही में आसाम के स्वायताशासी जिलों में विभिन्न मूल्यवान खनिजों के बड़े निक्षेपों के पता चलने का समाचार दिया है ;

(ख) यदि हां, तो खनिजों के नाम, उनकी अनुमानित मात्रा तथा मिलने के स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार की उनको खोजने की कोई योजना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** :(क) और (ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और आसाम सरकार के भूतत्वीय और खान निदेशालय द्वारा मिलकर जो खोज की गई थी उसमें किसी नई वस्तु का पता नहीं चला ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एम० ए० और बी० ए० परीक्षा में अनुतीर्ण विद्यार्थी

२२०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भारत के किस विश्वविद्यालय में सब से अधिक विद्यार्थी एम०ए० और बी०ए० की परीक्षा में वर्ष १९६३ में अनुतीर्ण हुये ; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

†२२१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पाकिस्तानी प्रतिनिधि कांग्रेस की कार्यवाही और इसकी विभिन्न समितियों में उपस्थित हुए बिना ही वापस चले गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुसीनगर (देवरिया) में बुद्ध की मूर्ति

†२२२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कसाया (कुसीनगर) जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में बुद्ध की जो मूर्ति और इसका मन्दिर है उसकी दशा दिन-प्रति-दिन तेजी से बिगड़ती जा रही हैं और अक्तूबर, १९६३ के दूसरे सप्ताह में विभिन्न देशों के बौद्ध सारनाथ में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार से इनके संरक्षण के लिये शीघ्र कार्यवाही करने की प्रार्थना की ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी, नहीं ; जिस मन्दिर में बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति है वह पहले से ही केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है और भलीभांति परिरक्षित हैं।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२२३. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जी हां। १९५६ से आगे की गई खोजों के परिणाम निम्नलिखित हैं :—

मैंगनीज़ अयस्क	भंडारा नागपुर	१२१.९ लाख टन अयस्क जिसमें ४० प्रतिशत या इससे अधिक मैंगनीज़ हैं
डोलोमाइट	नागपुर	१८६० लाख मीट्रिक टन
लौह अयस्क	पुसेर, चन्दा	२६८,००० मीट्रिक टन जिस में उच्च श्रेणी का अयस्क है
	लोहारा, चन्दा	२१३ लाख मीट्रिक टन
क्रोमाइट	नागपुर	४.८५ लाख मीट्रिक टन अयस्क, जिसमें ३३.९४—५२.४८ प्रतिशत Cr २°३ हैं

†मूल अंग्रेजी में

चूने का पत्थर (लाइम स्टोन)	यवतमाल	४३६.९ लाख मीट्रिक टन
कोयला	वार्धा	५०००० लाख मीट्रिक टन
	घाटी, बन्दर	१०८० लाख मीट्रिक टन

केरल के खनिज संसाधन

†२२४. **श्री कैप्पन :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में केरल के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) हां। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अब तक किया गया सर्वेक्षण निम्न महत्वपूर्ण निक्षेप बताता है :

१. कुन्दरा, क्विलोन, और वरकल में उत्तम प्रकार की मिट्टी।

२. पन्डरेतु, चेकनफिमलाई और नेटुंवर्गे और सीमेन्ट की श्रेणी का चूने का पत्थर। ३५०,००० मीट्रिक टन निक्षेप होने का अनुमान है।

३. त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन जिलों में वाक्साइट।

४. शेरतलाई में कांच का रेत। ६८० लाख मीट्रिक टन निक्षेप होने का अनुमान हैं।

५. परनथोली में ग्रेफाइट/अपर सतह से ०.६ मीटर तक उत्तम निक्षेप और ४.५ मीटर तक तितर बितर निक्षेप।

६. आकुलम अरुमाइर, मरकमपुजा, पुट्टन कोइ और वरकल में काओलिन। निक्षेप फैले हुए हैं और अच्छी किस्म के हैं।

७. एटाकड, कचेरी, मलापुरम, नदवल्लूर, निलम्बूर तथा कोजीकोड और पालघोट, जिलों में अन्य स्थानों पर लोह-अयस्क। अब तक ३२ से ५८% तक लोहे वाले कुल १७,०००,००० मीट्रिक टन लोह-अयस्क का अनुमान लगाया गया हैं।

८. वेमवनद झील पर पीट और नीलम्बर में भी सोने के निक्षेपों का पता लगा है।

९. इसके अतिरिक्त, इनमें नाइट, शेल चूने का पत्थर, क्रिसोवरिल, लिग्नाइट और अभ्रक के निक्षेपों का भी पता लगा है औ उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एशियाई भाषायें

†२२५. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने आठ एशियाई भाषाओं के अध्ययन की एक अग्रिम योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या सहायता देने का है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय ने अभी तक सरकार से सहायता नहीं मांगी हैं।

कोयले का स्टाक

†२२६. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने एक ऐसा आदेश निकाला है कि पत्थर की कोयला रखने के लिये या स्टाक रखने के लिये व्यापारीगण अब ज्यादा मात्रा में कोयला ले सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो एक व्यापारी ज्यादा से ज्यादा कितना कोयला ले सकता हैं और क्या वह कोयला बगैर परमिट ले सकता है ; और

(ग) क्या यह आदेश सभी राज्यों को भेज दिये गये हैं ?

खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग), कोयला नियन्त्रक ने सारे राज्यों और केन्द्रीय प्रायोजक अधिकारियों को कहा है कि वे अपने सामान्य कोटा के अलावा कोयले की अतिरिक्त आवश्यकताओं के नियतन के लिए सिफारिशें भेजें ताकि कोयले को इकट्ठा करने में सुविधा हो। कोयले के प्रेषण से पूर्व परमिट को प्राप्त करना निस्सन्देह जरूरी हैं। ऐसी आशा है कि कोयले के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और रेल परिवहन की पर्याप्त उपलब्धि के कारण परमिट बिना रुकावट जारी किये जा सकेंगे। केवल इतना ही प्रतिबन्ध होगा कि कोयले के विशेष ग्रेडों के लिए उपभोक्ताओं के अधिकार में सामान्यता छूट नहीं होगी।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, जयपुर

†२२७. श्री कर्णी सिंहजी :
श्री वि० भू० देव :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, जयपुर को आज तक कितना ऋण और सहायता अनुदान दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्यों के विकास में असमानताओं को कम करने की सामान्य नीति के विरुद्ध पहिले की अन्य राजधानियों को छोड़कर जयपुर में यह संस्था खोलने के क्या विशेष कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) कालेज को छात्रावास/कर्मचारी आवास बनाने के लिए अभी तक कोई ऋण नहीं दिया गया है। कालेज को सहायता अनुदान के रूप में १,००,००० रु० दिये गये हैं।

(ख) जयपुर में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज खोलने का निश्चय राजस्थान सरकार के परामर्श से किया गया है।

छिद्रण परियोजनायें

†२२८. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग १९६३–६४ में कौनसी छिद्रण परियोजनायें आरम्भ करेगा ;

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए सहायता देने का किन देशों ने वचन दिया है ; और

(ग) तकनीकी सहायता तथा सामान का, जिसे देने का वचन दिया गया है, ब्यौरा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) छिद्रण कार्य निम्न क्षेत्रों में किये गये थे। किये जायेंगे :

(एक) गुजरात प्रदेश

(१) अंकलेश्वर ;
(२) आलपद ;
(३) दाथल ;
(४) किम ;
(५) अटाली ;
(६) केम्बे ;
(७) नवगांव ;
(८) कलोल ;
(९) सानन्द ;
(१०) वावेल ; और
(११) मेहसाना।

(दो) आसाम प्रदेश :

(१) शिवसागर ;
(२) लकवा ; और
(३) वियोक।

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) गंगा का मैदान :

(१) उझानी ;
(२) कासगंज ;
(३) तिल्हर ; और
(४) रक्साल।

(चार) पंजाब प्रदेश :

(१) ज्वालामुखी ;
(२) जनौरी।

(पांच) कावेरी बेसिन :

(१) पट्टूकोट्टई ;
(२) कराईकल।

(ख) छिद्रण कार्य के लिए तकनीकी और/या वित्तीय सहायता रूस, इटली, और फ्रांस ने दी है। देने का वचन दिया है।

(ग) रूस ने एक बड़ा ऋण दिया है, जिसके अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग छिद्रण रिग और छिद्रण का सामान तथा तकनीकी कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त कर रहा है।

इटली ने गंगा के मैदान और पंजाब में इटेलियन ठेकेदार द्वारा गहरे छिद्रण करने के लिए ऋण दिया है।

फ्रांस ने जेसलमेर क्षेत्र में फ्रांसीसी ठेकेदारों द्वारा रचनात्मक तथा गहरे छेद किये जाने के लिए (साथ ही भूकम्प कार्य तथा तेल खोज-कार्य के निदेशन और देख-रेख के लिए) एक ऋण दिया है।

बरनी गांव (मध्य प्रदेश) में पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना

†२२६. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बरनी गांव में अशोक-काल से पहिले की कुछ मुहर और कुछ मिट्टी की सजावटी वस्तुयें मिली हैं जिन पर बौद्ध-स्तूप तथा सूत्र खुदे हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खोज में मिली वस्तुओं का पूरा ब्यौरा तथा महत्व क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** (क) बरौनी गांव में (गांव का ठीक नाम नहीं है) या उसके पास अशोक काल या उससे पहिले की कोई मुहरें नहीं मिलीं। हाल की खोज में पाई गई वस्तुओं को ध्यान में रख कर, वह स्थान अशोक-काल से पहिले या उसके काल का नगर प्रतीत नहीं होता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पैरा-साइकालाजी[1] का अध्ययन

†२३०. **श्री स्वैल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पैरा-साइकालाजी का अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर आरम्भ हो गया है;

(ख) किन विश्वविद्यालयों में अध्ययन आरम्भ हुआ है और उसमें क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इस अध्ययन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई अनुदान दिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) से (ग). अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में पैरा-साइकालाजी के अध्ययन के लिए कोई अलग विभाग नहीं है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिद्धान्त स्वरूप यह स्वीकार कर लिया है कि प्रयोगात्मक परियोजना के रूप में अधिमानत: आन्ध्र विश्वविद्यालय में पैरा-साइकालाजी सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए एक केन्द्र खोला जाये। इस बारे में विश्वविद्यालय से विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच राजस्थान विश्वविद्यालय ने पैरा-साइकालाजी सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था बनाने के लिए आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है जो विचाराधीन है ।

समझा जाता है कि श्री गंगानगर, राजस्थान में पैरा-साइकालाजी सम्बन्धी सेठ सोहन लाल स्मारक संस्था पैरा-साइकालाजी के सम्बन्ध में कुछ कार्य कर रही है ।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

†२३१. **श्री हेम राज :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, १९६३ में चण्डीगढ़ में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में किन विभिन्न बातों पर विचार किया गया ;

(ख) उस पर क्या निश्चय किये गये हैं और वे कैसे लागू होंगे; और

(ग) क्या अन्तर्राज्यीय परिवहन तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री कर सम्बन्धी मामलों पर भी विचार किया गया था और यदि हां, तो उस पर क्या निष्कर्ष किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) से (ग). उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक में, जो चण्डीगढ़ में १४ और १५ अक्तूबर, १९६३ को हुई थी, जिन बातों पर विचार किया गया उनकी सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १८५५/६३**]. बैठक की कार्यवाही का लेख जिसमें इस बारे में परिषद् के निश्चय सम्मिलित हैं अन्तिम रूप प्राप्त करते ही सदा की भांति संसत्सदस्यों की जानकारी के लिए संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Para-Psychology.

पाकिस्तान की जासूसी

†२३२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पश्चिमी बंगाल के सब-डिवीजन, बसिरहाट में पाकिस्तान को सैनिक रहस्य बताने के षड़यन्त्र का, जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, पता लगा है;

(ख) क्या इस जासूसी गिरोह के व्यक्ति पकड़े गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि अब तक भारतीय नागरिक पकड़े गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में आठ भारतीय नागरिक पकड़े गये हैं और मामला न्यायाधीन है ।

विश्वविद्यालयों के लिये औद्योगिक बस्ती

†२३३. **श्री ब० कु० दास :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सीखो और कमाओ" योजना के अन्तर्गत कोई औद्योगिक बस्ती किसी विश्व-विद्यालय के पास बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सम्पदा के संचालन का क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी हां । एक अग्रिम उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्र रुड़की विश्वविद्यालय में खोला गया है ।

(ख) इस केन्द्र में एक बढ़ई कारखाना, एक ढलाई कारखाना और एक छोटा डाई तथा टूल्स रूम सहित एक आंशिक अश्व शक्ति मोटर निर्माण कारखाना है । बढ़ई गिरी तथा ढलाई कारखानों में कार्य आरम्भ कर दिया है ।

बढ़ईगिरी और ढलाई कारखानों के लिए ३,२१,३०० रु० का और आंशिक अश्व-शक्ति मोटर निर्माण कारखाने के लिए ३,४७,००० रु० का पूंजीगत अनुदान दिया गया ।

बढ़ईगिरी कारखाने में लगभग ५० विद्यार्थी आ गये हैं और ढलाई कारखाने में १२ विद्यार्थी आ गये हैं । आंशिक अश्व-शक्ति वाले मोटर का निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

कालेज

†२३४. **श्री रा० बरुआ** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कला कालेजों की स्थापना सीमित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या फालतू विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में खपाने का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) और (ख). पिछले वर्ष राष्ट्रीय संकट की घोषणा होने के तत्काल बाद यह प्रस्ताव रखा गया था कि अभी कला कालेजों की स्थापना रोक दी जाये और विद्यमान छोटे कालेजों की क्षमता बढ़ा कर प्रवेश पाने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी की जाये। फिर भी, नये कला कालेजों की स्थापना के खिलाफ यह कोई निदेश नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिलता है, तो वह इस तरह खपाया जा सकता है, क्योंकि उनकी योग्यताओं के आधार पर उन्हें सामान्यतया तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलता।

पुरातत्वीय खुदाई

†२३५. श्री भो० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुसन्धान संस्थाओं तथा पुरातत्व विभागों ने १९६२–६३ में कितनी खुदाई की ;

(ख) उन खुदाइयों से क्या परिणाम प्राप्त हुए ;

(ग) क्या सरकार यह पता लगाने के लिए कि संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत की सभ्यता एक ही थी, इनसे सम्बद्ध प्रदेशों का सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) १९६२–६३ में भारत में उनत्तीस खुदाइयां की गईं।

(ख) उनसे नव-पाषाण युग से लेकर मूल ऐतिहासिक युग तथा महापाषाण युग में होकर ऐतिहासिक युगों पर प्रकाश पड़ता है।

(ग) जी हां।

(घ) सम्बन्धित प्रदेशों की सरकारों से अभी इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है।

(ङ) अभी नहीं कह सकते। कार्य मामले में निश्चय करने पर ही आरम्भ हो सकता है।

सिक्किम में जस्ता

†२३६. श्री रिशांग किशिंग : क्या खान और धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमापकों को पूर्वी सिक्किम में कम खर्च पर जस्ते के निकाले जाने वाले निक्षेप मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो निक्षेप अनुमानतः कितने हैं ; और

(ग) क्या जस्ते के निक्षेपों की खोज आरम्भ कर दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब में स्मारकों का सर्वेक्षण

†२३७. श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में स्मारकों का सर्वेक्षण इस बीच पूरा हो चुका है ;

(ख) स्मारकों के परिरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उनके राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए उनके परिरक्षण के लिए कितना वार्षिक अनुदान स्वीकार किया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, जो पंजाब में १३६ हैं, का परिरक्षण करता है । आवश्यक होने पर इनकी आवश्यक मरम्मत की जाती है ।

(ग) ऐसे स्मारकों की मरम्मत के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत में पुरातत्वीय सर्वेक्षण के आय-व्यय में ३८,१५० रुपये का उपबन्ध है ?

पंजाब में समाज प्रतिरक्षा (केयर) योजनायें

†२३८. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में राज्य में समाज प्रतिरक्षा (केयर) योजनाओं की क्रियान्विति के लिए केन्द्र द्वारा पंजाब सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) १९६२–६३ में पंजाब सरकार को समाज प्रतिरक्षा (केयर) योजनाओं के लिए ४७,४५० रुपये दिए गए थे । १९६३–६४ वर्ष के लिए अस्थाई रूप से ८०,००० रुपये आवंटित किए गए थे परन्तु पहली तिमाही में किए गए वास्तविक व्यय तथा १९६३–६४ वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के अनुमानित व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय की स्वीकृति दी जायेगी ।

(ख) १९६२–६३ के आंकड़े इस प्रकार हैं :–

(१) शरणार्थियों के लिए परिवीक्षा सेवायें .	२९,४३० रुपये
(२) जेलों में कल्याण सेवा . . .	९,६६५ रुपये
(३) संरक्षणात्मक गृह	८,३५५ रुपये
	४७,४५० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में क्षेत्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्था

†२३९. श्री प० कुन्हन :
श्री महेश्वर नायक :
श्री पू० चं० देवभंज :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक क्षेत्रीय औद्योगिक अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान संस्था की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) अनुसंधानशाला के कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग). क्षेत्रीय अनुसंधान संस्था की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया है तथा योजना और कार्यक्रम बनाने के लिये तथा अनुमानित लागत बनाने के लिये योजना समिति स्थापित की जा रही है ।

वानस्पतिक उद्यान

†२४०. श्रीमती विमला देवी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आठ और वनास्पतिक उद्यान स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) नये उद्यानों के लिये कहां कहां पर स्थानों को चुना गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं । देश में आठ और वानस्पतिक उद्यान स्थापित करने का कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । परन्तु दिल्ली और गोआ में उद्यान की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिमालय का वैज्ञानिक सर्वेक्षण

†२४२. श्री विभूति मिश्र : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को हिमालय के संयुक्त सर्वेक्षण के लिये जर्मन वैज्ञानिकों से प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

ढेबर आयोग का प्रतिवेदन

†२४३. **श्री ह० चं० सोय** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र अथवा राज्यस्तर पर ढेबर आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति का अधीकरण करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). केन्द्र के गृह-कार्य मंत्रालय में विशेष कार्य के अधिकारी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को परामर्श दे विभिन्न सिफारिशों को जांच कर रहे हैं । राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव इसकी क्रियान्विति का अधीकरण करते हैं ।

क्योंकि ढेबर आयोग की सिफारिशों की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्यों पर आती है इसलिये पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्रियों का सम्मेलन २५ तथा २७ जुलाई को बुलाया गया था । सम्मेलन में किये गये निर्णयों का विवरण २८ अगस्त १९६२ को सभा पटल पर रख दिया गया था । राज्य सरकारें वार्षिक योजना कार्यक्रम बनाते समय तथा कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करते समय आवश्यक कदम उठायेंगी । वह क्रियान्विति की प्रगति के संबंध में सार्वाधिक प्रगति प्रतिवेदन देंगी ।

भ्रष्टाचार निरोध अधिकारियों का सम्मेलन

†२४४. **श्री हेम राज :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में हुये भ्रष्टाचार निरोध अधिकारियों के सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये हैं तथा क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) उनकी क्रियान्विति में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) और (ख). सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा राज्य भ्रष्टाचार निरोध अधिकारियों का १९६३ में हुये सम्मेलन की सिफारिशें अभी नहीं मिली हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रायगढ़ (भोपाल) में तेल का मिलना

†२४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के रायगढ़ में एक कूएं में तेल मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अभ्रक की खानें

†२४६. **डा० उ० मिश्र :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की कई अभ्रक खानें बन्द हो गई हैं क्योंकि अभ्रक के मूल्य बहुत कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वतमान संकट से अभ्रक उद्योग को बचाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५८ के अधीन भारतीय खान ब्यूरो के निदेशक द्वारा प्राप्त सूचनानुसार जनवरी से सितम्बर, १९६३ में ४२ अभ्रक की खानें अस्थाई रूप में बन्द कर दी गई हैं तथा ४ खानें स्थाई तौर पर बन्द हो गई हैं और ३६ खानें पुनः चालू हो गई हैं तथा १७ नई खानें खोल दी गई हैं । इस प्रकार इस अवधि में खोली गई खानें बन्द की गई खानों से अधिक हैं । अभ्रक की विभिन्न किस्मों के मूल्य स्तर बताया जाता है इस अवधि में स्थिर हो रहे हैं ।

तंजौर में ड्रिलिंग

†२४७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजौर के अलादिकुविलै ग्राम में खोज के लिये ड्रिलिंग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). चट्टानों के बारे में मालूम करने के लिये पोट्टुकोट्टई के उत्तर में दो मील पर अलादिविलै ग्राम के निकट एक कुआं ड्रिल किया गया था । कूवां १०५० मीटर गहरा ड्रिल किया जायेगा । इस गहराई तक खोद लिये जाने के बाद परिणामों का पता लगेगा ।

संग्रहालय

†२४८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय संग्रहालय मंत्रणा बोर्ड ने मध्य प्रदेश के संग्रहालयों के लिये कुछ रकम स्वीकृत की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता स्वीकार की गई है ; और

(ग) इस सहायता से किन संग्रहालयों को लाभ होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). केन्द्रीय संग्रहालय मंत्रणा बोर्ड की सलाह पर भारत सरकार द्वारा तीसरी योजनावधि में मध्य प्रदेश के संग्रहालय विकास के लिये ३,१५,००० रुपये आवंटित किये गये हैं। इस आवंटन में से अब तक मध्य प्रदेश सरकार की उनकी आवश्यकता के आधार पर ३९,५०० रुपये दिये गये हैं।

(ग) १. एम० जी० एम० म्यूजियम, रायपुर।

२. सेंट्रल म्यूजियम, इन्दौर ।

३. सेंट्रल म्यूजियम, ग्वालियर

४. स्टेट म्यूजियम, धुब्रेला, नवगांव

५. डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम, धार

६. गवर्नमेंट म्यूजियम, विदिशा

७. शिवपूरी म्यूजियम, शिवपूरी

८. न्यू म्यूजियम, भोपाल

९. न्यू म्यूजियम, जगदलपुर ।

पुरंदरदास का ४००वां वर्ष दिवस

†२४९. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के संत कवि, पुरन्दर दास का ४००वां वर्ष दिवस मनाने के लिये सरकार की कोई योजना है, जो १९६४ में पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी नहीं। परन्तु संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली संत कवि का सम्मान करने के लिये १९६४ में समारोह कर रहा है।

रूसी विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी

†२५०. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी विश्वविद्यालयों तथा उच्च संस्थाओं में 'कंडीडाट' तथा/अथवा अन्य एम० ए० एम० एस०सी० के बाद में डिप्लोमा कोर्स की डिग्री के लिये कितने भारतीय राष्ट्रजन पढ़ रहे हैं ;

(ख) वे किन विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) क्या रूस में पढ़ रहे भारतीयों के विद्योचित कार्यों को मान्यता देने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जुलाई, १९६३ में रूस के विभिन्न भागों में पढ़ रहे लगभग १७५ भारतीय विद्यार्थी थे।

(ख) अधिकांश विद्यार्थी वैज्ञानिक तथा प्रविधिक विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। ये विषय हैं : अर्द्धसंवाहक क्रिस्टलों का विकास, यांत्रिक तथा विद्युत इंजीनियरिंग, भूतत्व शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायन, भौतिकी, मृदा संरक्षण, कपास सुधार, आदि। कुछ विद्यार्थी, राजनैतिक अर्थशास्त्र, रूसी भाषा, कोरियोग्राफी, इतिहास आदि।

(ग) मामला विचाराधीन है।

अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†२५१. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित आदिम जातियों के उन विद्यार्थियों को सरकारी छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं जो विशिष्ट क्षेत्र से बाहर रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं। विशिष्ट क्षेत्रों से बाहर रह रहे अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी अन्य पिछड़े वर्गों में समझे जाते हैं तथा उनको इन वर्गों को प्राप्त छात्रवृत्तियां दी जायेंगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में प्रक्रिया

†**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाने वाली सूचना। श्री मोहन स्वरूप।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : ध्यान दिलाने वाली सूचना का कार्य आरम्भ करने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

यह एक प्रथा बन गई है कि ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में उन्हीं सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है जिनके नाम उस सूचना में दिये होते हैं। मैंने इस विषय में विस्तृत अध्ययन किया है और नियम देखे हैं। नियम १९७ में जिसके अधीन यह सूचनायें दी जाती हैं ऐसा कोई निर्बन्धन नहीं है; अन्य सम्बन्धित नियम २२१, ३७८ और ३५० में भी ऐसे कोई शर्त नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस अवसर पर नियमों का निर्देश न करें।

†**श्री कपूर सिंह**: न तो नियमों में ही और न ही अध्यक्ष द्वारा दिये गये तत्सम्बन्धी निदेशों में ऐसा निबन्धन है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि नियमों और निदेशों के बावजूद भी आप अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा निवेदन तो यह है कि यह नियम कि जिन सदस्यों के नाम सूचना में हैं उनके अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता कुछ कठोर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसी प्रथा है कि जब ध्यान दिलाने वाली सूचना दी जाती है और मन्त्री महोदय वक्तव्य देते हैं तब प्रक्रिया के अनुसार कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। नियम १६७ के अधीन न तो प्रश्न ही पूछा जा सकता है और न ही वाद-विवाद हो सकता है।

इस संसद् के आरम्भ होने के बाद मैंने सभा के समक्ष यह बात रखी थी कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने की अपेक्षा, जिसमें निन्दा का आभास होता है, जब कभी सदस्यों को वक्तव्य प्राप्त करने की इच्छा हो वे अधिकतर ध्यान दिलाने वाली सूचनायें ही दें। अतः वस्तुतः नियमों में ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के बारे में कुछ नहीं था। मैंने कोई निर्बन्धन लागू नहीं किया अपितु यह कहा कि जिन लोगों के नाम सूचना में हैं उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये और सभा इससे सहमत हो गई।

अब यदि सदस्य उस रियायत को समाप्त करने की बात करें तो मैं नहीं समझता कि वे अपने अधिकारों को कम करना चाहेंगे।

माननीय सदस्य ने जिन दूसरे नियमों का निदश किया है उनका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल नियम १६७ ही यहां लागू होता है और उसके अधीन कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

यदि वे इस नियम में परिवर्तन करना चाहें तो वे इस सम्बन्ध में सूचना दे सकते हैं। हम नियम समिति को इसका निर्देश कर देंगे और यदि उन्होंने रूप भेद करने का सुझाव दिया तो मैं सभा के सम्मुख यह सुझाव रख दूंगा।

†**श्री कपूर सिंह:** आपने जो यह कहा है कि ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं का विषय क्षत्र बढ़ गया है उससे मेरी इस प्रार्थना को ही बल मिलता है कि इस निर्बन्धन को शिथिल करना उचित है। दूसरी बात यह है कि इस बात से कि निर्बन्धन के शिथिल करने से केवल वही लोग लाभ उठायें जिनके नाम सूचना में हैं उन लोगों के लिये कठिनाई उत्पन्न होती है जोप्सभा की कार्यवाहियों में उचित दिलचस्पी रखते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वे दिलचस्पी रखते हैं तो सूचना भी दें।

†**श्री रंगा** (टित्तूर) : अच्छा यही होगा कि कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक बुला कर वहां विभिन्न दलों के नेता इस विषय पर चर्चा करें। क्योंकि मैं भी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपने नियम को शिथिल किया है। और सदस्यों के विशेषाधिकारों में वृद्धि की है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने यह कहा था कि मैंने नियम को शिथिल किया था और सभा ने उसका अनुमोदन किया था। सभा ऐसा कर सकती है।

यदि सदस्य इसमें परिवर्तन करना चाहते हों तो आज कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में इस विषय को पेश किया जा सकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरा निवदन है कि आपने निश्चय ही ध्यान दिलाने वाली सूचना का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। पहले किसी को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब सूचना देने वालों को प्रश्न पूछने का अधिकार है जिससे हम प्रश्न को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिये इस प्रश्न का पुनर्विलोकन करने के लिये दलों के नेताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों के सम्बन्ध में भी पूरक प्रश्नों को पूछने वालों ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनका नाम प्रश्नों की सूचना में नहीं होता, अधिक होती है। इससे मुझे काफी कठिनाई होती है। प्रश्नों की सूचना २०,३०, ४० सदस्य एक साथ देते हैं। सबको सन्तुष्ट करना मेरे लिये कठिन होता है क्योंकि हम यह भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न निबटा दिये जायें। किन्तु हम १० प्रश्नों से अधिक नहीं कर पाते। इसका कारण यह भी है कि पूरक प्रश्न लेने होते हैं और बीच में बहस भी की जाती है।

इंग्लैण्ड में भी जबकि पहले १०० प्रश्न एक घरे में होते थे अब ४०, ३५ या ३० ही हो पाते हैं। उसका भी कारण उन्हें यही मिला है।

†**श्री हेम बरुआ** : हम इस प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम कार्य मन्त्रणा समिति में इस पर चर्चा करेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैंने एक ध्यान दिलाने की सूचना दी थी। वह काश्मीर की युद्ध विराम रेखा और आसाम के दुभावादी लाटीटीला क्षेत्र की हाल की घटनाओं के बारे में थी। मुझ से कहा गया कि दूसरे विषय के सम्बन्ध में २५ को प्रश्न पूछा जाने वाला है। मेरी प्रार्थना है...

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें अवसर दूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर हाल की घटनायें

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें : काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर हाल में हुई गतिविधियां।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : कई सप्ताहों से पाकिस्तान के समाचारपत्रों में.....

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में यह तै हो चुका है कि जो हिन्दी में प्रश्न उठें उसका उत्तर हिन्दी में हो, और बगल में ही डिप्टी मिनिस्टर बैठे हैं जो कि हिन्दी में उत्तर दे सकते हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कई हफ्तों से पाकिस्तान के अखबार युद्ध-विराम रेखा पर भारतीय सेना के कथित जमाव के बारे में जबर्दस्त प्रचार कर रहे हैं। अखबारों की सुर्खियों में यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध उन हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है जो उसे अपनी सीमा पर चीनी आक्रमण से बचाव करने के लिये मित्र देशों से प्राप्त हुये हैं। इन आरोपों को असलीयत का जामा पहनाने के लिये पाकिस्तान ने समूची युद्ध विराम रेखा पर तनाव पैदा करने की कोशिश की है।

१६ अक्तूबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कराची स्थित हमारे हाई कमीशन को एक नोट दिया था जिसमें और बातों के साथ-साथ, यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय सेनायें

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्ध-विराम रेखा के साथ-साथ विशेषकर चकनोट नामक गांव के समीप, अपनी कारवाइयां बढ़ा रही है। यह गांव केरान से कुछ मील पूर्व में बसा हुआ है। यह आरोप भी लगाया गया कि भारतीय अधिकारी 'जब-तब मुसलमानों को निकालने की' कारवाई में लगे हुये थे। यह कारवाई विशेषकर चकनौट नामक गांव में की गई जो पाकिस्तान के अनुसार हमेशा से तथाकथित आजाद कश्मीर सरकार के प्रशासन में रहा है, गोकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह गांव युद्ध-विराम रेखा पर भारत की तरफ बसा हुआ है। इस नोट में भारत को चेतावनी दी गई कि अगर चकनोट पर जबर्दस्ती कब्जा किया गया तो तथाकथित आजाद कश्मीर सरकार की सेनायें अपना बचाव करने और पूर्व स्थिति को बनाये रखने के लिये जो भी कदम उठाना आवश्यक समझेंगी, उठाने के लिये मजबूर होंगी। पाकिस्तानी नोट में जो धमकी दी गई थी, उसका समर्थन पाकिस्तान के मंत्रियों के भड़े बयानों से भी किया गया जिनमें नागरिकों के आचरण और नागरिक प्रशासन से संबद्ध युद्ध-विराम करार की वैधता को भी चुनौती दी गई थी।

२२ अक्तूबर को पाकिस्तान ने युद्ध-विराम रेखा पर अपनी तरफ उस नहर के पानी का बहाव रोक दिया जिससे पूंछ नगर का बिजली उत्पादन यंत्र चलाया जाता है। जब हमारे कर्मचारियों ने बिजलीघर को पानी देते रहने के लिये अपनी तरफ युद्ध विराम रेखा पर और विसैन्यीकृत क्षेत्र से ५०० गज की दूरी पर बहाव मोड़कर लानेवाली एक नहर बनाने की कोशिश की, तब पाकिस्तान की तरफ से उन पर गोलियां चलाई गईं और इसके फलस्वरूप राइफल की गोली से हमारा एक कर्मचारी घायल हो गया। बड़ी मुश्किल से इस नहर को बनाने का काम २ नवम्बर को पूरा किया गया और बिजली उत्पादन यंत्र फिर से काम करने लगा। इस पर भी पाकिस्तानी अखबारों में झूठी खबरें छपीं कि भारतीय सेनाओं ने हमला किया और तथाकथित आजाद कश्मीर की सेनाओं ने उसका मुकाबला किया। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि पुंछ को बिजली देने वाली नहर के पानी को इस तरह रोकना सिंधु जल संधि का स्पष्ट उल्लंघन है। यह नहर युद्ध-विराम रेखा पर पाकिस्तान की तरफ बेता नाले से निकलती है। हमने इस नहर पर गोली चलाये जाने की वारदात की सूचना संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को दे दी थी और हमारे सिन्धु कमिश्नर ने संधि भंग करने के सवाल को भी सरकारी तौर पर पाकिस्तान के साथ उठाया है।

अभी हाल ही में पाकिस्तान के अखबारों ने और पाकिस्तान रेडियो ने एक और खबर का व्यापक प्रचार किया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय सैनिक पोलस गांव में संक्रिय हैं जोकि पुंछ के उत्तर-उत्तर पश्चिम में कुछ मील पर है और यह कहा गया ह कि तथाकथित आजाद फौज को उन्हें रोकने का हुक्म दिया गया है।

निस्सन्देह, पाकिस्तान के ये सभी आरोप बिल्कुल निराधार हैं। युद्ध विराम रेखा पर भारतीय सैनिकों का कोई जमाव नहीं है। चकनोट या पोलस गांव के पास किसी भी जगह पर और किसी भी तरह हमने अपनी सैनिक शक्ति नहीं बढाई है। युद्ध विराम रेखा पर होने वाली सभी कारवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की बराबर निगाह रहती है। हमें पता चला है कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम करार भंग किये जाने की हमने जो शिकायत की थी उस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने चकनोट का और पुंछ के पास बेतार नाले का भी दौरा किया है। उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। युद्ध विराम रेखा के इधर हमारी तरफ जितने भी गांव आते हैं उन सब पर हमने पूरी तरह अपना प्रशासन रक्खा है और युद्ध विराम करार का किसी तरह भी उल्लंघन किये बिना हम इस तरह का वैध अधिकार बराबर बनाये रक्खेंगे। अगर पाकिस्तान को इस तरह की कोई शिकायत है कि हमने युद्ध विराम रेखा पर अपनी ओर किसी स्थान पर सैनिक जमाव किया है तो इस बात की आजादी है कि वह संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों से मामले की जांच करवाये और मौके पर मामले

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

की जांच पड़ताल करके उनसे रिपोर्ट देने के लिये कहे जैसाकि युद्ध विराम करार के अन्तर्गत उन्हें अधिकार है। अगर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की सहायता नहीं लेता तो हम सही समझेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ भारत को बदनाम करने की गरज से प्रचार कर रहा है।

हम अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान के साथ शांति से रहना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बार-बार कहा है कि हमें अपने मित्र देशों से जो हथियार मिल रहे हैं वे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न तो किये जा रहे हैं और न किये जायेंगे। हमने यह भी बार-बार कहा है कि यद्यपि जम्मू और काश्मीर के भारत में पूर्ण विलयन के परिणामस्वरूप हम उस पर अपनी पूर्ण प्रभुसता का दावा करते हैं और करते रहेंगे फिर भी, हमने हमेशा यही उम्मीद की है, और उसके लिये कोशिश भी, किन्तु पाकिस्तान के साथ हमारे सारे झगड़े शांति के साथ निपट जायें। किन्तु पाकिस्तान ने मित्रता और सद्भावपूर्ण हमारे सभी प्रस्तावों को हमेशा ठुकराया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने पड़ौसियों के साथ मित्रता और सहयोग के संबंध चाहने की नीति बदल देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन स्वरूप।

श्री रामसेवक यादव: मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सिलसिले में श्री सिंहासन सिंह ने ठीक ही अभी यह सवाल उठाया था कि इस तरीके से कोई एक कन्वेंशन बन जाय और उस पर यदि अमल न किया जाय तो फिर ठीक से इस सदन का काम नहीं चल पायेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी तो यह भी है कि कभी कभी हिन्दी या हिन्दुस्तानी में पढ़ दिया जाता है तो उसका तुर्जमा अंग्रेजी में होता था लेकिन अब जबकि मूल प्रश्न आदि हिन्दुस्तानी या हिन्दी राष्ट्रभाषा में किया जाय तो उसका जवाब अंग्रेजी में दिया जाय और उस अंग्रेजी जवाब का हिन्दी में अनुवाद भी नहीं हो, अब श्रीमन्, इस तरह से कैसे यह काम चल पायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में देखूंगा। अंग्रेजी जवाब का हिन्दी अनुवाद आप को दे दिया जायगा। मैं करवाये देता हूं।

श्री रामसेवक यादव : हिन्दी में किये गये प्रश्न का अंग्रेजी में जवाब दिया जाना माना जा सकता है यदि किसी मंत्रालय में ऐसा मंत्री हो जोकि न तो हिन्दी जानता हो, जिसे राष्ट्रभाषा न आती हो, और इस देश की कोई बोली न आती हो लेकिन इस मंत्रालय में उप विदेश मंत्री हैं जोकि हिन्दी जानते हैं और स्वयं प्रधान मंत्री वहां मौजूद हैं, वहां पर इस तरह से काम चले तो इसका साफ मतलब है कि यह सरकार जानबूझ कर इस देश की मातृभाषाओं की उपेक्षा या अवहेलना करती है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जायें मैं उसका जवाब देता हूं।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर–नगर): जब भी हिन्दी का प्रयोग होता है हम कुछ नहीं कहते। किन्तु अंग्रेजी का प्रयोग होते ही वे लोग शिकायत करने लगते हैं। यह हिन्दी के विकास के लिये अच्छी मनोवृत्ति नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने यह बात कही....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायं, मैं खड़ा हूं।

कुछ माननीय सदस्य : बैठ जाओ (इंटरप्शंस)।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं झुंड के इस तरह से बैठ जाओ कहने से बैठने वाला नहीं हूं। (**इंटरप्शंस**)।

अध्यक्ष महोदय: डा० साहब, आप बैठ जायं, मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे बात कहने दीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप का हुक्म मैं माना करता हूं लेकिन अगर इस झुंड के हुक्म के साथ साथ आप का भी हुक्म होता है तो फिर मैं क्या करूं ? (**इंटरप्शंस**)।

डा० राम मनोहर लोहिया : हिन्दी कानून में है ... (**इंटरप्शंस**)।

श्री मुहम्मद इलियास : बैठ जाओ।

श्री बागड़ी: शट अप। तुम कौन होते हो बैठने के लिये कहने वाले ?

डा० राम मनोहर लोहिया: यह सवाल हिन्दी का नहीं बल्कि अंग्रेजी को खत्म करने का सवाल है (**इंटरप्शंस**)।

श्री मुहम्मद इलियास : हिन्दी हम भी चाहते हैं मगर ऐसी नहीं।

श्री बागड़ी : तुम हिन्दी नहीं बल्कि रूस और चीन की गुलामी चाहते हो। (**इंटरप्शंस**)।

अध्यक्ष महोदय: क्या इस हिन्दी और अंग्रेजी के झगड़े का फैसला इस तरीके से हम करेंगे ? (**इंटरप्शंस**)।

श्री किशन पटनायक : अगर आप पहले से मंत्री जी से ...

अध्यक्ष महोदय : मैं जवाब देने लगा हूं लेकिन बीच में इस तरह से आप सब लोग खड़े हो जांय और एक दूसरे पर चिल्लाने लगें तो इस तरह से कोई फैसला नहीं होगा, न ही इससे मुल्क की एकजहती चल सकेगी और न हम इकट्ठा रह सकेंगे। इस शोरशराबे का आखिर मतलब क्या है? इतने जिम्मेदार आदमी इस तरह से बर्त्ताव करके सारी दुनिया को अपना तमाशा दिखा रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या इस भय से कि कुछ लोग हिन्दी पर ऐतराज करते हैं हम इस देश की बोलियों को प्रोत्साहन न दें और अंग्रेजी को ही इस देश पर सदा के लिये लादे रहें। हम सिर्फ अंग्रेजी का बहिष्कार करना चाहते हैं। खाली कोई हिन्दी बुलवाने का सवाल नहीं है। अंग्रेजी को छोड़ कर आप हिन्दी, तामिल, बंगला या मलयालम बुलवाइये, कोई भी देश की मातृभाषा बुलवाइये लेकिन अंग्रेजी का बहिष्कार कीजिये।

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाइये।

डा० रानेनसेन : (कलकत्ता-पूर्व) : श्री यादव ने कहा कि यदि वे हिन्दी नहीं जानते तो किसी अन्य भाषा में बोलें (**अन्तर्बाधायें**) क्या हिन्दी ही एकमात्र भारतीय भाषा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका दृष्टिकोण भिन्न है (**अन्तर्बाधायें**) आवेश में आने की कोई बात नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह हंगामा क्यों हो रहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मलयालम बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मलयालम नहीं बोल सकते हैं। यहां मलयालम बोलने की इजाजत नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : बोल सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय: इसकी इजाजत नहीं है। डा० साहब आप बैठ जाइये। यहां दो ही जबानों में चर्चा चल सकती है और वह हैं हिन्दी और अंग्रेजी। जब कोई दूसरा आदमी सिर्फ प्रश्न के लिये या जब वह स्पीच देता है तो उसके लिये उसको खास इजाजत लेनी पड़ती है यहां मलयालम में बोलने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह से अगर हम चौदह जबानों में बोलना शुरू कर दें और एक दूसरे को समझें नहीं तो यह बिलकुल गलत बात है और यहां ऐसा कभी नहीं होगा।

श्री रामसेवक यादव : अंग्रेजी भी सब नहीं समझते हैं। **(इंटरप्शंस)**।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। न समझें मगर आप को याद रखना चाहिये कि आज तक चूंकि कार्यवाही चली आयी है अंग्रेजी में इस वास्ते.... **(इंटरप्शंस)**

श्री बागड़ी : अंग्रेज के गुलामों....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। श्री बागड़ी अपनी जगह पर बैठ जायं। क्या इस तरह से आप इसका फैसला करना चाहते हैं? जो सवाल है मुझे उस पर आने दीजिये यह जो सीन हमने क्रीएट किया है यह बड़े अफसोस की बात है क्योंकि सारी दुनिया देखेगी, अखबारों में यह सब जायेगा।

श्री रामसेवक यादव : हमें इस अंग्रेजों की गुलामी को भी तो तोड़ना है।

अध्यक्ष महोदय : यहां इस तरह से आपस में लड़ने से क्या अंग्रेजी चली जायगी? मैं बोलने के लिये खड़ा हूं और इस तरह से बीच में एक दूसरे पर चिल्लाना बहुत ही नामुनासिब है। मेरे बार बार मना करने पर भी कोई शांति से मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है।

श्री कछवाय : अध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती अंग्रेजी थोंपना चाहते हैं....

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई भी सदस्य क्यों न हो मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा। मैं इतनी देर से खड़ा हूं और सदस्य मेरी नहीं सुन रहे। वे एक के बाद एक उठ रहे हैं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता।

सवाल सिर्फ यह उठाया गया था कि पहले हम यह कोशिश करते रहे हैं कि अगर हिन्दी में कोई सवाल या कोलिंग अटैंशन नोटिस या कोई दूसरा दिया जाय तो उसका जवाब हिन्दी में दिया जाय, हमेशा हिन्दी में जवाब देने की कोशिश की जाय। उसमें भी एक्सैप्शन माना गया है कि अगर कोई मिनिस्टर हिन्दी न जानता हो तो वह अपना जवाब अंग्रेजी में दे दे लेकिन यहां एतराज सिर्फ इस बात पर किया गया है कि इस मिनिस्टरी में एक मिनिस्टर हैं जोकि हिन्दी जानते हैं और वह हिन्दी में जवाब दे सकते थे लेकिन जवाब हिन्दी में नहीं दिया गया। यही सवाल है न आपका?

श्री रामसेवक यादव : मेरा सवाल यह है.... **(इंटरप्शंस)**

†**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जायं। इस तरह जोश दिखलाने से क्या होगा यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज तक हम इस पर अमल करते चले आये हैं। अगर मिनिस्टरी में कोई ऐसा हो जोकि हिन्दी में जवाब दे सकता हो तो हिन्दी में सवाल पूछने वाले को हिन्दी में जवाब देने की जरूर कोशिश की जाय तभी हम इसको चला सकते हैं। अगर हमने आहिस्ता आहिस्ता हिन्दी को वृद्धि देनी है, हिन्दी को उन्नत करना है तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिये। अगर प्राइम मिनिस्टर जवाब दे सकते हों तो वे दे दें। यहां कहा गया कि उनके एक दूसरे मिनिस्टर भी

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में जवाब दे सकते हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या कारण हुआ कि इसका जवाब हिन्दी में न दिया जाकर अंग्रेजी में दिया गया। अब अगर यह उनमें आपस में बांटा हुआ भाग हो और यह श्रीमती लक्ष्मी मेनन के जिम्मे हो और इसका उनको जवाब देना पड़ता हो तो इतना तो मैम्बर साहबान को टौलरेट करना ही चाहिये। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसका तर्जुमा करवा कर दे सकता हूं। मैं फिर दुबारा कहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस बात की जरूर कोशिश करें कि जब नोटिस वगैरा हिन्दी में आयें तो उनका जवाब भी हिन्दी में ही देने की कोशिश की जाय। हिन्दी सवालों, और कौलिंग अटैंशन आदि का जवाब हिन्दी में देने की अवश्य कोशिश की जानी चाहिये तभी हम आगे चल सकेंगे।

†**एक माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में भी बोलिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): कोई भी। नहीं समझता अध्यक्ष को भी हिन्दी भाषी होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह वांछनीय समझा जाता है कि अध्यक्ष हिन्दी भाषी हो और मेरी हिन्दी पर्याप्त स्तर की नहीं है तो मुझे पद छोड़ना होगा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय): यदि इन लोगों की ऐसी भावना है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही होंगी। हिन्दी को हौवा समझने की आवश्यकता नहीं है अंग्रेजी को होवा समझा गया है और उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल गई है। किन्तु हिन्दी को होवा समझने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि श्री फ्रैंक एंथनी समझ रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: इस प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं है।

हम अभी तक इस प्रथा पर चलते रहे हैं कि यदि प्रश्न हिन्दी में पूछा जाय और मंत्री हिन्दी बोल सकें तो हिन्दी में ही उत्तर देने का प्रयत्न होना चाहिये। अभी यह आपत्ति उठाई गई थी कि इस मंत्रालय के मंत्री हिन्दी में बोल सकते हैं और इसलिय उन्हें उत्तर देना चाहिये था किन्तु यह बात शांतिपूर्वक कही जानी थी। उनसे भी मैं कहूंगा यदि कोई विशेष कारण नहीं था तो उत्तर हिन्दी में दिया जाना चाहिये था किन्तु अब उत्तर दिया जा चुका है अतः मैं हिन्दी में इसका रूपान्तर करवाने की व्यवस्था करूंगा। मंत्री महोदय भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि प्रश्न हिन्दी में पूछा जाय और वे हिन्दी में उत्तर दे सकें तो उन्हें हिन्दी में ही उत्तर देना चाहिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे अफसोस है कि श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने जो बयान पढ़ा उसका हिन्दी अनुवाद इस वक्त हमारे पास नहीं था। वह आज सुबह तैयार हुआ है। मैं उसका हिन्दी अनुवाद आज तीसरे पहर तक तैयार करवा कर आपके सामने पेश कर दूंगा और आपने जो हिदायत की है, आईन्दा वह याद रखी जायगी और उस पर अमल होगा।

†**श्री हनुमन्तैया** : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मेरा ख्याल है कि अब इस बात को खत्म किया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हनुमन्तैया** : मैं आपके विनिर्णय पर आपत्ति नहीं उठाता ; किन्तु यदि इस परम्परा को अपनाया गया तो अहिन्दी भाषी मंत्री किसी विषय के संबंध में कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य नहीं दे सकेगा ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, अंग्रेजी में बोलीं । यदि आपके द्वारा कही गई परम्परा का पालन किया गया, हर बार महत्वपूर्ण प्रश्न हिन्दी में पूछा गया तो अन्ततः प्रथा इस प्रकार की चल पड़ेगी कि कोई भी महत्वपूर्ण मंत्री अहिन्दी भाषी नहीं होगा ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : एक औचित्य प्रश्न है । इसका अर्थ होगा अहिन्दी भाषी लोगों का मंत्री परिषद् के महत्वपूर्ण पदों से जानबूझ कर बाहर रखना ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस बात से अंग्रेजी का महत्व कम हो जायेगा । इस समय अंग्रेजी में प्रश्न पूछने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है । उन्हें अंग्रेजी में ही उत्तर दिया जायगा किन्तु जिस स्थिति तक हम लोग पहुंच चुके हैं उससे वापिस जाने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । हमने जो उद्देश्य हमारे सामने रखा है, उसे प्राप्त करने के लिये अग्रसर होना है ।

†**श्री रंगा** (त्रिचूर) : मैं नहीं जानता कि वह कौनसा उद्देश्य है और अग्रसर होने से आपका क्या तात्पर्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान में इस संबंध में उपबन्ध है और मैं उसका पालन करूंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : गत सत्र में आपने कहा था कि आप हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रजी से हिन्दी में साथ साथ अनुवाद की प्रणाली लागू करने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यथा संभव शीघ्र इसे लागू करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं । शीघ्र ही वह चालू हो जायेगा और फिर यह कठिनाई समाप्त हो जायगी ।

श्री मोहन स्वरूप : २७ अक्तूबर के नवभारत टाइम्स में यह खबर छपी है कि भारत ने पाकिस्तान को काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा न पार करने की चेतावनी देते हुये कल जो पत्र लिखा वह पाकिस्तान द्वारा कल शाम को ही यह कह कर लौटा दिया गया था कि इसकी कुछ बातें पाकिस्तान के लिये अपमानजनक हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण इस संबंध में क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस पर और कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई । उन्होंने वापस कर दिया था, लेकिन उनको मालूम हो गया कि हमने क्या कहा है । उसको पढ़ कर उन्होंने वापस किया । उनको इत्तिला करनी थी, वह हो गई और उन्होंने वापस कर दिया । उसके बाद हमने और कोई कार्यवाही उस सिलसिले में नहीं की ।

†**श्री हनुमन्तैया** : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाइये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अपील है कि इस संबंध में माननीय सदस्य धैर्य से काम लें ।

श्री मोहन स्वरूप : मैं जानना चाहता हूं कि वे आपत्तिजनक बातें क्या हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उसमें और कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी गई। उन्होंने जो पत्र लौटा दिया था, उसके बाद और कुछ नहीं लिखा गया।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : काश्मीर की सरहद पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच बराबर आरोप और प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं। अभी हाल में जो यू० एन० आबजर्वर टीम आई थी, उसका एवार्ड अभी तक नहीं मिला है। मैं जानना चाहूंगा कि उसका एवार्ड मिलने के बाद क्या यू० एन० ओ० के ऊपर भरोसा कर के हम बैठेंग या हमारी सरकार कुछ प्रत्यक्ष कदम उठाने के लिय तैयारी कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यू० एन० आबजरर्वर्ज के सामने ऐसी बातें रखी जाती हैं। ये छोटे छोटे वाकयात हैं। वे कहते हैं कि इसका कुसूर है या उसका कुसूर है। जहां तक उसके बाद कोई कार्यवाही करने का सवाल है, आज तक तो कोई कार्यवाही का सवाल उठा नहीं है। मालूम नहीं माननीय सदस्य कैसी कार्यवाही समझते हैं। एक एक्सिडेंट हो चुका है। उस पर उन्होंने राय दी कि इसमें पाकिस्तान का कुसूर था या हिन्दुस्तान का कुछ कुसूर था। बात हीं खत्म हो जाती है।

श्री ब्रजराज सिंह : मेरे सवाल का पूरा उत्तर नहीं दिया गया। मेरा मतलब यह है कि यू० एन० आबजर्वर टीम अगर किसी को दोषी ठहरा देती है, तो क्या उसको उससे कोई सजा मिल जायेगी, जब तक यू० एन० ओ० डिसाइड न करे, या यह सरकार डिसाइड न करे कि वह कोई कार्यवाही करेगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया है कि वह रिकार्ड पर रहता है। जिस को वे दोषी ठहरायें, वे लिख देते हैं। अगर मामला फिर उनके देखने का होगा कि किस देश ने कितने दोष किये, तो उस वक्त उसका रिकार्ड देखा जायगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रधान मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लाठीटीला और दुमाबारी के एरिया में, जहां पर पाकिस्तानियों ने गोली चलाना बन्द कर दिया था—कम से कम कहा यह गया था—उन्होंने अपनी सेनाओं को भेज रखा है और वहां पर ट्रेंचिज और खंडकें वगैरह खोद दी हैं। यदि ऐसा है, तो वहां पर क्या इन्तजाम किया गया है कि उसका मुकाबला किया जाये, ताकि वहां पर कोई ऐसी बात न होने दी जाये और उस एरिया उनको हटा दिया जाये, जहां पर वे मौजूद हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, कुछ खाई-खंदकें खोदी गई हैं उधर और उनसे कहा गया है कि वे हटाई जायें। इस तरफ उनकी तवज्जह दिलाई गई है। माननीय सदस्य की तजवीज यह है कि एक फ़ौजी ज़रिये से उस को बन्द किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने यह नहीं कहा। जो कब्जा कर रखा है उन लोगों ने, सीज-फ़ायर के बाद वे वहां से हटे हैं या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे इल्म है, उस खास कोने में वे शायद अभी हैं और इस बात पर दारो-मदार है, जो हम कह रहे हैं कि वहां पर जल्दी से जल्दी बार्डर की लकीर खींच दी जाये—उनके और हमारे लोग मिल कर खींचें, तय हो जायें, वे अपनी तरफ रहें, हम अपनी तरफ़, क्योंकि यह बात बहस की है कि वह इलाका किधर है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री कंडप्पन** (तिरुचेंगोड) : आप प्रधान मन्त्री से कहें कि वे अंग्रेजी में उत्तर दें ।

†**श्री राजाराम** (कृष्णगिरि) : श्री स० मो० बनर्जी अंग्रेजी जानते हुये भी हिन्दी में प्रश्न पूछ रहे हैं । प्रधान मन्त्री अंग्रेजी जानते हुये भी हिन्दी में उत्तर दे रहे हैं । फिर दक्षिण के अहिन्दीभाषी लोगों के यहां बैठने का क्या लाभ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्यों से प्रार्थना की है कि वे इस विवाद को न उठायें ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : यह मामला इस रूप में उठ खड़ा हुआ है कि आपको इस का हल ढूंढने के लिये कुछ प्रतिनिधियों की बैठक अवश्य बुलानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्री दाजी ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर बढ़ते हुये तनाव को देखते हुए क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि पाकिस्तान की वायु सेना को हाल ही में तीव्रगामी जेट यानों से सुसज्जित किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका की सरकार के सम्मुख यह प्रश्न रखा है कि यह उस क्षेत्र में सैनिक सन्तुलन को बिगाड़ देगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान की वायु सेना को किस सीमा तक पुनः सुसज्जित किया जा रहा है, हो सकता है कि कुछ सीमा तक ऐसा हो रहा हो । हमने बारम्बार अमरीका की सरकार के सामने यह प्रश्न रखा है कि पाकिस्तान के सामान्य दृष्टिकोण को और उसकी नीति को देखते हुए दोनों देशों में परस्पर शस्त्र स्पर्धा चालू करना वांछनीय नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के प्रन्यासियों की कार्यकारिणी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्यमंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : श्रीमान्, मैं विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के प्रन्यासियों की कार्यकारिणी समिति के ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुये वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१८४२/६३]

खान और खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : श्रीमान्, मैं (१) (क) खान और खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१४ में प्रकाशित खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४३ में प्रकाशित खनिज रियायत (छठा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(तीन) दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस आर० १२७८ में प्रकाशित खनिज रियायत (सातवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(चार) उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी—१५७९/६३]

(ख) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५६९ में प्रकाशित कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१७३७/६३]

अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) संशोधन नियम और न्यायालयों के अवमान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५२२ में प्रकाशित मध्य भारत नर्स, मिडवाइफ और हेल्थ विजिटर परिषद् (पुनर्गठन) आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१८४३/६३)

(दो) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १४ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४७० में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) संशोधन नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१८४४।६३)

(तीन) न्यायालयों के अवमान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१८४५/६३]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी १८ नवम्बर, १९६३ की बैठक में एक प्रस्ताव पास करके भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६३ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश किये जाने का समय २ दिसम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : श्रीमान्, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब उद्योग मंत्री द्वारा सरकारी उपक्रमों सबधी समिति के बारे में प्रस्तुत दोनों प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ होगी। डा० लोहिया अपना भाषण जारी रखें।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, निजी धंधों ने सरकारी धंधों से बदइंतजामी सीखी है और सरकारी धंधों ने निजी धंधों से लूट सीखी है जिसका नतीजा हुआ है कि मुझे श्री बिड़ला के धंधों में और श्री नेहरू के धंधों में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । निजी धंधों की आत्मा और उसका शरीर सरकारी धंधों के अन्दर है । खाली सरकारी धंधे एक ओढ़नी ओढ़ कर रहते हैं सार्वजनिकता की, लोकप्रियता की लेकिन इसका नतीजा बहुत खतरनाक हुआ है । मैं आपका ध्यान खींच रहा था उन उपायों की तरफ जिन से सरकारी धंधों की आत्मा पवित्र बनाई जा सकती है ।

एक उपाय मैंने समता के चित्त का बताया था और कुछ उदाहरण इसके बताये थे । मैं अर्ज करता हूं कि अंकों के अनुपात पर सोचा जाये, अंकों पर नहीं । उन अंकों को ज्यादा बढ़ाने के लिये अब मैं सुविधा की तरफ आपका ध्यान खींचता हूं । कुछ लोग केवल नौकरी पर ध्यान देते हैं, सुविधा पर नहीं । लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक अफसर जो अढ़ाई हजार रुपये महीना कमाता है, सुविधा के रूप में साधारण तौर पर दस हजार रुपया राज्य का खर्च करता है । इसमें मैं बहुत ऊंचे जो लोग हैं, उनकी सुविधा को नहीं ले रहा हूं । वह लाखों में मामला जाता है । यह मैं एक औसत बात बता रहा । मैं कहता हूं कि जब कभी गैर बराबरी की बात आप किया करें तो कम से कम हिन्दुस्तान में केवल वेतनों के फर्क की बात न किया करें । वेतनों को छोड़कर बड़े लोग अपने लिये चौगुनी और छःगुनी सुविधायें ले लिया करते हैं और उन सुविधाओं के रहते बहुत कुछ कानन भंग भी हुआ करता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा । खाली मैं इतना बताये देता हूं कि किस तरह से कानून भंग होता है । एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर है इन सरकारी धंधों वाला जो दिल्ली में काम करने लग गया । अपने कुटुम्ब के लिये उसने बम्बई में सरकारी खर्चे से बंगला रखा । उसी तरह से एक और बड़ा अफसर है जो हमेशा यहां बम्बई से दिल्ली टेलीफोन किया करता है व्यक्तिगत मामलों में और वह अफसर हर हफ्ते एक बार हवाई जहाज में यहां सफर भी किया करता है ।

उसी तरह से रोमानिया और हिन्दुस्तान के मामले में जो समझौते का तोड़ हुआ, उस पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं । गोहाटी में जो तेल साफ होता है, वहां की केरोसीन इकाई जो है,

---

†मूल अंग्रेजी में

वह बहुत दिनों से बन्द पड़ी है, कभी साल भर में ८० दिन काम करती है कभी ५० दिन काम करती है। आजकल भी बिल्कुल बन्द है। मुझे इत्तिला मिली है कि रोमानिया और हिन्दुस्तान का जो समझौता हुआ था उस समझौते की शर्तों को तोड़ करके और जंग लगा माल लेकर यह सारा कारखाना कायम किया गया है। मैं नहीं कह सकता हूं कि कौन सी सुविधा हिन्दुस्तानी अफसरों को मिली और अगर मिली तो बड़ी खतरनाक सुविधा रही होगी। कानून बहुत ज्यादा टूट रहा है। मैं आपको और भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूं लेकिन इसको बन्द करके खाली मैं इतना कहना चाहता हूं सरकारी धंधों के संबंध में कि यह त्रुटि सारी दुनियां में देखी गई है कि सब अफसर कानून तोड़ते हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। रूस को भी इसका बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था। ये सुविधायें बन्द करना मुश्किल है क्योंकि सरकार की एक मंशा है कि वह भी अपने अफसरों को उसी तरह से रखे जिस तरह से निजी धंधों वाले अपने अफसरों को रखते हैं। मैंने सुना है कि कई बार प्रधान मंत्री ने कहा है कि अगर टाटा, बिड़ला आदि अपने अफसरों को शान से रखते हैं तो हिन्दुस्तान का राज भी अपने अफसरों को शान से रखना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि यही सब से बड़ी खराबी है कि शौकीनी और फिजूलखर्ची का मन बनता चला जा रहा है, समता का मन नहीं। इसका सब से बड़ा उदाहरण स्वयं प्रधान मंत्री देते हैं। वह हमारे सरकारी धंधों का उद्घाटन करते हैं और जब वह या उनके जैसा कोई मंत्री जाता है तो वह देखें कि कितना खर्च होता है। एक बार सिर्फ उन्होंने कहा कि अब से मैं उद्घाटन नहीं किया करूंगा कोई मजदूर उद्घाटन करेगा और एक मजदूरनी ने उनके सामने उद्घाटन भी किया। वह ढोंग फिर बाद में कभी नहीं हुआ है। वह हमेशा उद्घाटन के लिये पहुंच जाते हैं और खर्च करते हैं।

मैं आपका ध्यान खींचूं कि हीराकुड और राउरकेला के इलाके में जो सिर्फ पचास साठ मील का इलाका है, तीन हवाई अड्डे हैं। ये किस लिये हैं? सिर्फ इसलिये कि प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों की शान और शौकत में फर्क न आ जाये, उनकी शान और शौकत के लिये ये हवाई अड्डे बना दिये गये थे और अब उन से कोई काम नहीं होता है, न माल ढोया जाता है और न कोई और जाता है। आप देखें कि यह शान शौकत की फिजूलखर्ची कितनी बढ़ गई है।

अब मैं दाजी जो से कहना चाहता हूं कि क्यों वह आरती उतारते हैं सार्वजनिक धंधों की, लेकिन उसके साथ साथ सब तर्क उसके खिलाफ देते हैं? इसका सबब यह है कि उन्होंने रूस के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। रूस में बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। मैं उसको नापसन्द करता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं हिन्दुस्तान की शौकीन पसन्दगी को भी बहुत नापसन्द करता हूं और अगर यह काम रूस में हुआ होता जो कि हिन्दुस्तान में पिछले १५ वर्षों से चल रहा है, तो न जाने कितने नौकरशाह और न जाने कितने मंत्री दीवार के सामने मुंह कर के उड़ा दिये गये होते। यह एक ऐसा मामला है जिस पर कि मैं ...

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर कहिये कि पबलिक अंडरटेकिंग्स के लिये कमेटी बने या न बने।

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां बने। लेकिन मैं...

अध्यक्ष महोदय : आपने १३ मिनट तो कल लिये थे और आज भी...

डा० राम मनोहर लोहिया : कल तो मैंने पांच सात मिनट ही लिये थे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपने १३ मिनट लिये थे।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं सार्वजनिक धंधों पर बोल रहा हूं, और सार्वजनिक धंधे किस तरह से चलाये जाने चाहिये इसका कमेटी को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्तसर में आप इसको कहें तो कह सकते हैं, लेकिन आपने तो एक बहस शुरू कर दी । यह नहीं होना चाहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय । मैंने केवल एक बात कह दी कि मंत्रियों और नौकरशाहों को रूस में गोली से उड़ा दिया गया होता । यह एक ऐसी चीज नहीं है जिस पर कि उनको आपत्ति हो सकती है । मैं उसको पसन्द नहीं करता । मैं उसको अत्याचार समझता लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह शौकीनी बहुत खराब हो रही है और अब समता का मन कायम किये बिना हिन्दुस्तान में सार्वजनिक धंधों को चलाने से बहुत ज्यादा नुक्सान होगा । यह पहली बात है जो मैंने आपसे कही ।

उसके साथ साथ जहां तक लोकतंत्र का हिसाब है, मजदूर और मालिक के रिश्तों के बारे में भी इतना ही कहूंगा कि निजी धंधों में मजदूर इतना असन्तुष्ट नहीं है जितना कि सार्वजनिक धंधों में है ।

और लोकतंत्र के बारे में एक विचित्र घटना आपको बताता हूं । टाटा नगर, कम्पनी नगर, करोड़पतियों का नगर है, लेकिन चितरंजन तो ऐसा विचित्र नगर हो गया है कि उसके अन्दर घुसने के लिये परमिट लेनी पड़ती है । इस तरह का लोकतंत्र चालू है । मेरे पास उदाहरण तो सैकड़ों हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी फिर आपसे दरखास्त है कि सवाल तो इतना है कि जिस तरह से अभी एस्टीमेट्स कमेटी देख रेख करती है, इसी तरह से चलती रहे या इसके लिय एक अलाहिदा कमेटी बनायी जाये....

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, जब कोई कमेटी बनेगी और उसके सामने ये बातें नहीं होंगी तो हम लोक सभा वाले करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आपको जो कहना था आपने कह लिया और मैंने उसको सुना ।...

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक ही वाक्य में जो सार्वजनिक धंधों की कमियां हैं व्यापारिक दृष्टि से उनको बताये देता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : वह सारी कमियां अब नहीं आ सकतीं । सवाल यह है कि इस वक्त जिस तरह से अभी काम चल रहा है उसी तरह चलता रहे या एक नई कमेटी कायम की जाय । तो उस पर आप कहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : नई कमेटी कायम की जाये, लेकिन वह क्यों कायम की जाय, इसके बारे में तो मैं अपने तर्क दूंगा । अब मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं । मंत्री महोदय को चाहिये कि वह खुद मुझ से वे उदाहरण ले लें जिसे कि सार्वजनिक धन्धे बिगड़े हुये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, अब आप खत्म कीजिये । एक एक मेम्बर को १५ मिनट देते हैं । आपको कल १३ मिनट दिये और दस के करीब आज भी हो रहे हैं । आपको जो कहना

हो वह मुख्तसर में कह दें। अगर आप मिसाल देंगे तो बहुत वक्त लगेगा। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत मसाला है और वह जरूरी मसाला है। लेकिन यह तो देखिये कि जो हमारे सामने मौका है उस पर उनको कहा जा सकता है या नहीं। अब आप खत्म कीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं पांच मिनट में खत्म किये देता हूं। जो मसाला मेरे पास है उसे छोड़े देता हूं।

आज हिन्दुस्तान में जो फौलाद बिक रही है उसका दाम सस्ता होना चाहिये। क्योंकि लोहे और कोयले के मामले में हिन्दुस्तान स्वर्ग है। हम अपना कच्चा लोहा जापान को चार छः हजार मील दूर भेजते हैं और जापान अपना फौलाद यहां सस्ता बेचता है लेकिन हमारे फौलाद के दाम बहुत ज्यादा हैं। मैं समझता हूं कि निजी धंधे वाले इस बात को पसन्द करते हैं कि सरकारी धंधों के सब से दाम ज्यादा रहें और वह भी मुनाफा उठा सकें।

ये सारी चीजें सार्वजनिक धंधों के मामले में हो रही हैं। अगर निजी धंधों में यह होता तो उनका दिवाला निकल गया होता। लेकिन सार्वजनिक धंधों में दिवाले की बात नहीं रहती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय को एक संकल्प दे रहा हूं कि वह अपने यहां लागत हिसाब जरूरी जारी करें। लागत हिसाब में ये सब चीजें सामने आती रहेंगी कि कौन कहां कानून को भंग कर रहा है, कौन दोषी है। दोष के मामले में भी अच्छा हो कि सरकार ध्यान दे। जब कोई दोषी पकड़ा जाता है तो उसकी जगह दूसरा दोषी सामने आ जाता है। अब नए मंत्री आये हैं, उन्हें पता चल जायगा। कभी वित्त मंत्री दोषी समझे जाते हैं, तो फिर पाटिल साहब दोषी समझे जाते हैं, फिर कामत साहब दोषी समझे जाते हैं और इस तरह से दोषी पकड़ा नहीं जाता। इसलिये दोषी पकड़ने के बजाय हिन्दुस्तान की सरकार का ध्यान जाना चाहिये इस तरफ कि दोष को कैसे दूर किया जाये।

अन्त में मैं एक ही वाक्य कहता हूं। जितने मंत्री लगे हैं, ये सरकार में नहीं रहेंगे तो सारे के सारे निजी धंधों के उपासक और हिमायती बन जायेंगे। केवल मेरा जैसा आदमी सार्वजनिक धंधों का हिमायती रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती राम दुलारी सिन्हा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान्, क्या यह सारे दिन चलेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं माननीय मंत्री को ३ बजे बुलाऊंगा। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना भाषण दस मिनट में समाप्त कर दें जिससे अधिक से अधिक सदस्यों को बुला सकूं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री श्री कानूनगो साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि, देर से ही सही, उन्होंने पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में पार्लियामेंट की कमेटी का निर्माण का मोशन पेश किया।

मुझे ऐसा लगता है कि इस कमेटी के निर्माण के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य को ऐतराज नहीं हो सकता है। इस कमेटी के निर्माण का सुझाव काफी विलम्ब से आया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

है। आज यहां पर यह तर्क देना युक्तिसंगत नहीं और मौजूं भी नहीं कि बरतानिया में ऐसी कमेटी के निर्माण में चार वर्ष लगे थे। आज हमारे भारत को औद्योगीकरण के क्षेत्र में योजनाओं के सहारे बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है और जिन तमाम लक्ष्यों को यूरोप में सदियों में प्राप्त किया गया उन्हें हमको चन्द वर्षों में पूरा करना है। ऐसा नहीं होगा तो हमारा आगे बढ़ना उतना ही विकट हो जाएगा।

आज इस कमेटी के निर्माण के सम्बन्ध में सदन के सदस्यों ने हर दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे लोकतंत्र समाजवाद से जुड़ा हुआ है और इसलिए हम समाजवाद के प्रति वफादार सिपाहियों का यह कर्तव्य है कि हम पबलिक सेक्टर में एफिशेंसी और लोकोपयोगिता लाकर उसको उन्नति का एक खम्बा साबित करें, और इसके लिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र के मुकाबले में एफीशेंसी, प्रोडक्शन, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स में प्रगति दिखाई दे। हमारे देश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का सवाल और अन्य अनेकों सवाल इससे जुड़े हुए हैं। हमको पबलिक सेक्टर के द्वारा देश के सामने एक नमूना रखना होगा। लेकिन आज जो पबलिक सेक्टर की हालत है वही आगे भी रही तो यह इस देश का दुर्भाग्य होगा और ऐसा होने पर हमारे समाजवाद पर लोग उंगली उठा सकते हैं। तो मैं इस कमेटी के निर्माण का सुझाव का समर्थन करते हुए कोई सस्ती आलोचना यहां पर नहीं रखना चाहती। कागजात से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में सुधार की काफी आवश्यकता है।

मेरा पबलिक सेक्टर के श्रमिकों से ताल्लुक रहा है और मैंने पबलिक सेक्टर के वर्किंग कार्यों को देखा भी है। मैंने देखा है कि वहां पर बेशुमार गड़बड़ियां हैं। करोड़ों का खर्च है जिस पर पूरा नियंत्रण नहीं है और उफसर लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के बारे में मनमानी करते हैं। तो इन पबलिक सेक्टर के उद्योगों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिससे हमारी जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस तरह की एक कमेटी का निर्माण किया जाए। पबलिक सेक्टर में केवल पबलिक रिलेशन्स के मामले में ही नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं चन्द बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती। हथिया और रूरकेला जैसे पबलिक क्षेत्र के उद्योगों में भी इंडस्ट्रियल रिलेशन्स टाटा के मुकाबले प्रगतिशील नहीं हैं। और सरकारी आदेशों का पालन तो दूर रहा, जो श्रमिकों के सम्बन्ध में स्टेट्यूटरी प्रावीजन्स का भी उल्लंघन होता है।

आज आवश्यकता यह थी कि पबलिक सेक्टर दुनियां के सामने एक माडल एम्प्लायर का नमूना पेश करता। लेकिन आज यह ब्यूरोट्स का आवास बन गया है। मैं इस कमेटी के निर्माण का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस कमेटी के अधिकारों पर रुकावट न लगायी जाए। यह बात सत्य है कि यह कमेटी गवनमेंट की मेजर पालिसीज के बारे में दस्तन्दाजी न करे, लेकिन पबलिक सेक्टर के धन्धों के डे टु डे एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, वहां इसके अधिकार को सीमित करना ठीक नहीं होगा। गवनमेंट का यह कदम बहुत ही समाजवादी और प्रगतिशील है; किन्य इसका क्षेत्र सिर्फ बड़े बड़े कारखानों तक ही सीमित न रख कर सभी सरकारी उद्योगों पर लागू किया जाये।

इस कमेटी के अधिकारों को केवल चंद पबलिक अंडरटेकिंग्स तक ही सीमित न कर उनको वही अभिप्रार देना चाहिए जो कि आज पबलिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी को है। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर इस सुझाव का समर्थन करूंगी और कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश का औद्योगिक भविष्य पबलिक सैक्टर में चलने वाली बड़ी बड़ी अंडरटेकिंग्ज़ की सफलता पर निर्भर करता है। यदि पबलिक सैक्टर में हम सफल हुए तो हमारे देश का औद्योगिक विकास सफल होगा। करोड़ों रुपयों की लागत पर हम देश को जो एक मज़बूत किला बना कर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं तो उसका तात्पय अच्छे उत्पादन से है, जनता के अच्छे लिविंग स्टैन्डड से है, एफिशिएंसी से है और उसके साथ कंज्यूमर्स के हित से है। हम चाहते हैं कि श्रमिकों के उचित व न्यायोचित अधिकार हों। इसलिए मैं उस कमेटी के निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि केन्द्र यदि राज्य सरकारों को भी इस तरह की कमेटी के निर्माण का सुझाव देता तो बहुत अच्छा होता।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : श्रीमान, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इस समिति के गठन के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि सरकारी क्षेत्र का विकास हो रहा है और इसे एक निश्चित और उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ कार्य सौंपा गया है। यह अनुभव किया गया है कि इस क्षेत्र पर संसदीय नियंत्रण पर्याप्त नहीं है। १९५९–६० में प्राक्कलन समिति ने भी अपने तिहत्तरवें प्रतिवेदन में इस तथ्य की ओर निर्देश किया था। दिवगंत श्री मावलंकार ने भी अपने पत्र में इस बात की ओर निर्देश किया था कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का कार्यभार अधिक है। इसलिये इस पृथक समिति की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई। किन्तु मुझे आश्चर्य है कि इस समिति के गठन के संबंध में पृथक पद्धति का विधान क्यों किया जा रहा है। अन्य दोनों समितियों के सदस्य सभा द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। इस पद्धति में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गई। किन्तु इस समिति के सदस्यों के लिये तीन वर्ष की अवधि का सुझाव किया गया है। चूंकि यह समिति सभा की स्थायी समिति होगी इसलिये मेरा सुझाव है कि इसे भी चुनाव और अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में अन्य दो समितियों के बराबरी का दर्जा दिया जाये।

दूसरा प्रश्न है कि समिति का कार्य क्या होगा। अभी संसद लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति द्वारा सरकारी उपक्रमों पर पूर्ण अधिकारों का उपभोग करती है। किन्तु अब इन दोनों समितियों के कार्य इस नई समिति को सौंप दिये जायेंगे। कम से कम वे शक्तियां जो अभी इन दोनों समितियों के पास हैं नई समिति को सौंपी जानी चाहियें।

यह कहा जा सकता है कि इन औद्योगिक उपक्रमों को कुछ सीमा तक स्वायत्त शासन के अधिकार होने चाहियें। यह बात उचित है किन्तु जवाब देही एक दूसरी ही चीज है। स्वायत्त शासन का यह अर्थ नहीं कि यह अपनी सफलताओं-असफलताओं के संबंध में किसी के प्रति उत्तरदायी न हो।

माननीय मंत्री ने कहा है कि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत कई समवाय बनाये जाते हैं और चूंकि यह अधिनियम व्यापक है इसलिये इन समवायों का विनियमन उचित रूप से होता रहता है। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता किन्तु प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कुछ समवायों के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में ३५ महीने तक लग

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मुरारका]

जाते हैं जब कि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत इसे वर्ष समाप्त होने के ९ माह के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिये।

इसके स्थान पर यदि आप निगम बनायें तो इसके लिये मंत्री को विधेयक प्रस्तुत करना होगा और संसद को इस बात का अवसर उपलब्ध होगा कि वह निगम विधेयक के विभिन्न उपबन्धों की जांच करके यह निश्चय करे कि यह उचित है अथवा नहीं। किन्तु समवाय अधिनियम के अधीन यदि कोई समवाय बनाया जाता है तो संसद को ऐसा अवसर नहीं मिल पाता। केवल बजट प्रस्तुत करते समय अथवा अनुपूरक मांगों के समय मंत्री सभा के सम्मुख यह प्रश्न लाते हैं। किन्तु क्या उस समय उसके संबंध में सारी बातों की चर्चा की जा सकती है?

स्वयं सरकारी क्षेत्र, संसदीय लोकतंत्र तथा मंत्रियों के हितों की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सभा तथा सभा की समिति के द्वारा सरकारी उपक्रमों की भली भांति जांच पड़ताल की जाय।

स्वायत्तता तथा उत्तरदेयता में कोई संघर्ष नहीं है। प्रोफेसर गालब्रेथ ने भी इस सम्बन्ध में निम्न विचार व्यक्त किये हैं:

> "यद्यपि समिति सफलता प्राप्त करने के मार्ग में हुई भूलों को क्षमा कर सकती है परन्तु निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त न कर सकने की स्थिति इसको कभी सहन नहीं होनी चाहिये। स्वायत्तता का वह अर्थ नहीं है कि जनता के प्रति उत्तरदेयता में कमी हो।"

प्रस्ताव में समिति के कृत्य निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके कार्य वही होने चाहियें जो लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के इस समय हैं। परन्तु इस प्रस्ताव के खंड २ (घ) के अन्तर्गत इस समिति के कृत्य निश्चित करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को दिया गया है।

मुझे इस खंड के इस परन्तुक पर भी बहुत आपत्ति है कि समिति सरकारी उपक्रमों के व्यापारिक तथा वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न मुख्य सरकारी नीति संबंधी विषयों की जांच-पड़ताल नहीं करेगी। यदि इस परन्तुक को रखा गया तो समिति का कार्य अपूर्ण रहेगा और यह केवल नाम-मात्र को रहेगी, क्रियात्मक रूप से नहीं। दैनिक प्रशासन के मामलों में भी इस समिति को हस्तक्षेप करने का अधिकार न देने से इसके कार्यकरण में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी।

सभी सरकारी उपक्रमों को इस समिति के क्षेत्राधिकार में रखा जाय। अनुसूची रख कर सरकार ने इस समिति के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस अनुसूची को इस प्रकार बनायें कि वे इसमें सरकारी उपक्रम, जिनके प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाते हैं, सूची में सम्मिलित हों।

अनुसूची के भाग ३ के अनुसार यह समिति प्रतिरक्षा समवायों की जांच पड़ताल नहीं कर सकती। मैं माननीय मंत्री के इस अभिप्राय से सहमत हूं परन्तु अनुसूची में निश्चित रूप से संशोधन की आवश्यकता है अन्यथा हिन्दुस्तान विमान बनाने वाला कारखाना तथा ऐसे अन्य इस समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आ सकेंगे।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रस्तावित योजना के अनुसार जिन समवायों में सरकार के ५० प्रतिशत से अधिक अंश नहीं हैं, वे समवाय इस समिति के दायरे से बाहर रहेंगे। मुझे यह बात उचित प्रतीत नहीं होती। ऐसे प्रत्येक समवाय को, जिसमें अधिकांश शेयर सरकार के हैं, समिति के क्षेत्राधिकार में रखा जाये।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी लाए हैं, का मैं स्वागत करता हूं। इसका उद्देश्य सिवाये इसके कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि चूंकि इन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में बहुत कुछ सरकारी पैसा लगा हुगा है, इसलिये यह बहुत जरूरी है कि उस पर पार्लियामेंट का कुछ नियंत्रण और देख-रेख रहे। यद्यपि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास इतना अधिक काम है कि वे पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के साथ न्याय नहीं कर सकते। यहां पर कई दफा यह सवाल उठा कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की जांच-पड़ताल के लिये और उन पर निगरानी रखने के लिये कोई कमेटी मुकर्रर की जाये। इस दृष्टि से यह प्रस्ताव हमारे सामने है।

सब से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक मेम्बरशिप का प्रश्न है, जो दस और पांच, कुल पन्द्रह, की मेम्बरशिप रखी गई है, वह बहुत कम है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, खुद आपको मालूम है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी भी अलग अलग विषयों के लिये सब-कमेटीज बना कर काम करती हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है और बड़ी बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं। अगर हमारा उद्देश्य यह है कि जो कमेटी बनाई जाती है, वह ठीक ढंग से काम करे और जिस मकसद के लिये वह मुकर्रर की जा रही है, वह मकसद हासिल हो, तो यह बहुत जरूरी है कि उस में ज्यादा मेम्बर रखे जायें, ताकि वह कमेटी अलग-अलग पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के लिये अलग अलग सब-कमेटीज बना कर उन की देख-भाल और छानबीन करे और पार्लियामेंट को समय समय पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि लोक-सभा के बीस मेम्बर और राज्य सभा के दस मेम्बर उस कमेटी में होने चाहिये। ऐसी कमेटी अगर बनेगी, तो वह अपना काम ठीक ढंग से कर सकेगी।

एक माननीय सदस्य : राज्य सभा तो परमानेंट बाडी है।

श्री राधेलाल व्यास : तब क्या ? इसकी मियाद जो रखी है, वह जब खत्म हो जायेगी तो मैम्बरशिप भी खत्म हो जायेगी।

इस कमेटी को फंकशंज जो सौंपे गये हैं उसमें कहा गया है कि जो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी काम करती है और उनके जो अधिकार हैं, वे भी इस कमेटी को प्राप्त होंगे। कल ला मिनिस्टर साहब ने बताया था कि पी० ए० सी० और ई० सी० भी काम करती रहेगी और यह भी काम करती रहेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों चीजें कैसे संभव हो सकती हैं। इन सब कमेटियों के अगर अधिकार समान रहें और जो काम हैं उनको ये तीनों कमेटियां देखती रहें तो क्या यह संभव नहीं कि जो रिपोर्ट पेश की जाये उसमें मतभेद हों ? इसलिये यह जरूरी है कि इस कमेटी की तरफ केवल पब्लिक अंडरटेकिंग्ज का ही काम रखा जाये और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी का जो काम है, इनके संबंध में, वह सब इसके सुपुर्द कर दिया जाये। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के परव्यू से वह काम निकाल लिया जाना चाहिये। इस तरह का संशोधन होना बहुत जरूरी है।

अब एक बात मैं प्राविसो के बारे में कहना चाहता हूं। इसका कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्राविसो की क्या आवश्यकता है। इसको निकाल

[श्री राधेलाल व्यास]

दिया जाना चाहिय । इस प्राविसो को रख कर मैं नहीं समझता कि यह कमेटी अपने अधिकारों का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकेगी और ठीक तरह से काम कर सकेगी, इफैक्टिवली और एफिशैंटली काम कर सकेगी । इससे तो जिस मकसद के लिये यह कमेटी बनाई जा रही है, वह ही फौत हो जाता है, वह ही पूरा नहीं होता है । इसकी जरूरत नहीं है । अविश्वास की इसमें कौन सी बात है । पार्लियामेंट सुप्रीम है, मालिक है । क्या उसको यह अधिकार न हो कि वह आपके काम की जानकारी हासिल करने के लिये छानबीन कर सके ? अगर उसको यह अधिकार है तो क्यों उसके इस अधिकार को छीना जाय और क्यों प्रतिबन्ध लगाया जाय । इससे तो जो उद्देश्य है, वह ही नष्ट हो जाता है । डे-टू-डे मैटर्ज को देखने का अधिकार होना चाहिये । मान लीजिये कि कोई जनरल मनेजर गड़बड़ी करता है, एप्वाइंटमेंट्स में, अपने रिश्तेदारों को भर लेता है और कमेटी डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा सकती है तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकल सकते हैं । इन सब चीजों से खराबियां पैदा होती हैं, माल-एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एफिशैंसी पर असर पड़ता है । मैं नहीं समझता हूं कि इसके द्वारा छानबीन किये जाने के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट डाली जानी चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो प्राविसो है, इसको निकाल दिया जाना चाहिये । आपको मालूम ही है कि एस्टीमेट्स कमेटी पालिसी के बारे में विचार कर सकती है, उसको बदलने के बारे में अपने सुझाव दे सकती है । ऐसी सूरत में समझ में नहीं आता है कि जब उसको तथा पी० ए० सी० को अधिकार है और वे सब अधिकार आप इसको दे रहे हैं, तो फिर क्यों मंत्री महोदय चाहते हैं कि अधिकार इस कमेटी को न रहे । यह चीज बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है और जो उद्देश्य होना चाहिये उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल असंगत है । अगर पालिसी के बारे में यह सुझाव दे सकती है तो उसके लिये यह जरूरी होगा कि छानबीन करे क्योंकि बगर उसके वह दे नहीं सकती है । इसमें जो प्रतिबन्ध लगाया गया है और जो रुकावट डालने की कोशिश की गई है, इसको हटा दिया जाना चाहिये । इसको कतई नहीं रखा जाना चाहिये ।

वन फिफ्थ मैम्बर्ज रिटायर हो, यह बात समझ में नहीं आती है । हमने देखा है शुरू से ही कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी . . .

श्री कानूनगो : उसका एमेंडमेंट पेश हुआ है, उसको जरा पढ़ लीजिये ।

श्री राधेलाल व्यास : ड्यूरेशन आफ दी लाइफ आफ दिस हाउस, ऐसा आपने कर दिया है ।

दूसरे मामलों में आपने कहा है कि रूल्ज आफ प्रोसीजर इस हाउस के लागू होंगे । लेकिन उसमें एक अधिकार आपको दिया है । मैं नहीं समझता हूं कि आप वह अधिकार लेना पसन्द करेंगे कि आप कोई वैरिएशंज या माडिफिकेशंज कर सकें । इस तरह की कोई रेस्ट्रेंट लागू हो, ऐसा आप भी नहीं चाहेंगे । मैं नहीं समझता हूं कि आप से पूछ कर यह किया गया है । आप कभी इसको पसन्द नहीं कर सकते हैं कि इतना अधिकार आपको दे दिया जाय कि आप वैरी कर दें या माडिफाई कर दें । यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी एक विभूति यहां मौजूद है कि जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है किसी आदमी का । लेकिन कल या फिर कभी कोई कमजोर आदमी चेयर पर आ जाय तो शासन चाहे जब उन से वैरी करा सकेगा । यह अच्छी बात नहीं है । इससे डिफिकलटीज एराइज हो सकती हैं, बाधा उत्पन्न हो सकती है ।

श्री कानूनगो : रेजिडुअरी पावस स्पीकर की हैं । पार्लिमेंटरी कमेटी के रूल्ज पढ़ लीजिये ।

श्री राधेलाल व्यास : वह ठीक है । जो रूल्ज हैं वे लागू होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उनको दोहराया गया है।

श्री राधेलाल व्यास : जो रूल्ज हैं वे तो हैं ही, फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। शैड्यूल का जो पार्ट २ है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। वे सरकारी उपक्रम जो समवाय अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित सरकारी समवाय हैं इसके नीचे जो इबारत लिखी हुई है, प्रत्येक सरकारी समवाय जिसका वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाता है.... आदि इसको डिलीट करने की जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। इतना ही काफी है वे सरकारी उपक्रम जो समवाय अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित सरकारी समवाय हैं जितनी भी कम्पनियां हैं उनको अपनी रिपोर्ट रूल्ज के मुताबिक सदन में रखनी ही पड़ती हैं। अगर कम्पनी एक्ट के तहत कोई कम्पनी रजिस्टर होती है तो उसके लिये यह लाजिमी है। हमारे मुरारका जी ने कहा कि अगर पब्लिक अंडरटेकिंग्स कोई अपनी रिपोर्ट नहीं रखता है तो क्या हम उस अंडरटेकिंग को डिसकस नहीं रक सकेंगे ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मशीन टूल्ज फैक्ट्री शुरू में जब कायम हुई, उसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ, उसकी एनुअल रिपोर्ट आनी शुरू हुई, उससे पहले वहां पर बड़ी गड़बड़ी सी रही और काम की शुरूआत बड़ी देरी से हुई। आज उसने बहुत काम कर लिया है, बहुत तरक्की कर ली है। अब तो तीन चार मशीन टूल्ज फैक्ट्रीज और बनाने में वह समर्थ हो गई है। लेकिन प्रारम्भिक स्टेज के उसके इतिहास को देखें तो वह अच्छा नहीं रहा है। अगर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी या एस्टीमेट्स कमेटी शुरू से उसको देखती जिसका उसको अधिकार था तो मैं समझता हूं कि जितनी गड़बड़ी शुरू में हुई, जितनी डिले शुरू में हुई जितना पैसे का दुरुपयोग हुआ, अधिकारों का दुरुपयोग हुआ . . .

श्री कानूनगो : रुकावट नहीं थी।

श्री राधेलाल व्यास : यह ठीक है। लेकिन पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के पास अधिक काम था और वह हर एक के लिये समय नहीं निकाल सकती थी। अब मैं चाहता हू कि इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में यह चीज आये और उसको केवल इसी का अधिकार रहे और यह जरूरी नहीं होना चाहिये कि रिपोर्ट आये, उसके बाद ही वह देख सके। शुरू से ही उसको देखने का अधिकार होना चाहिये। जैसे ही वह कम्पनी रजिस्टर हो, जैसे ही प्राजैक्ट रिपोर्टस तैयार हो रही हों, जैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ हो, मशीनरी आ रही हो, कांट्रक्ट्स दिय जा रहे हों, बिल्डिंग्ज बन रही हों, उसको देखने का अधिकार होना चाहिये। जितनी भी गड़बड़ी होती है, जितनी भी खराबी होती है, प्रारम्भिक स्टेज पर ही होती है और बाद में कुछ चैक उस पर लग जाता है। अगर इसको इस तरह से रखा गया तो मैं समझता हूं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी जो है, वह प्रारम्भिक कार्रवाई को देख नहीं सकेगी और उन पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकेगी।

यह जो थोड़े से सुझाव मैंने दिये हैं, इन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। माननीय सदस्यों ने काफी इसमें संशोधन दिये हैं और उन सब पर विचार करके एसी कमेटी बनाई जानी चाहिये जिससे वाकई में जो उद्देश्य हैं, वह हासिल हो और ठीक तरह से काम चले।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मुझे इसका हर्ष है कि इस समिति की स्थापना के लिए बहुत समय से इस सभा में जो सतत तथा जोरदार मांग की जी रही थी, उसकी पूर्ति के लिये सरकार अब तैयार हो गई है। परन्तु इस समिति के स्वरूप का स्वागत करने में असमर्थ हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस कार्य को करने में बहुत अधिक समय लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

चूंकि सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्णतया असन्तोषजनक था, इसलिये मुझे एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ा। सरकारी प्रस्ताव में कुछ एसी बातें रखी गयी हैं जिनकी व्याख्या नहीं की गयी है और इसमें कुछ गम्भीर त्रुटियां हैं। कुछ समय पूर्व, श्री क० च० रेड्डी द्वारा जो प्रारूप रखा गया था वह इससे बहुत अच्छा था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय अन्त में इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि इस समिति की कालावधि संसद की कालावधि होगी और समिति के कुल सदस्यों में से २० प्रतिशत सदस्य प्रति वर्षचक्रानुक्रम द्वारा सेवा निवृत नहीं होंगे। मुझे विश्वास है कि यदि एसा किया जाता, तो यह संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत होता। संसदीय लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत यह कि विरोधी पक्ष को दबाया नहीं जाना चाहिये तथा ऐसे प्रयास किये जाने चाहियें ताकि विचारों का उचित आदान प्रदान हो सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सभा की हठधर्मिता के कारण वर्तमान प्रस्ताव उसको दी गई एक रियायत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मेरे यह कहने का अर्थ आक्षेप लगाना नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट है कि इस सभा में पहिले रखे गये प्रारूपों पर राज्य सभा द्वारा विचार न किये जाने के परिणामस्वरूप ही मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को वर्तमान रूप में लाये हैं।

क्योंकि देश में सरकारी उपक्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, व्यापारिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक मामले जटिल होते जा रहे हैं, अतः समिति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाये। इस समय जो यह छोटी सी समिति बनायी जा रही है, यह कुशलता से और क्रियात्मक ढंग से अपना कार्य नहीं निभा सकेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसमें २१ सदस्य होने चाहियें।

मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ सरकारी उपक्रमों को इस समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा गया है जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, भारत का राज्य बैंक, भारत का रक्षित बैंक, बम्बई पत्तन प्रन्यास, कलकत्ता पत्तन प्रन्यास तथा मद्रास पत्तन प्रन्यास आदि। मेरा यह भी सुझाव है कि ऐसे सभी उपक्रमों को जिनकी सम-पूंजी में सरकार का २५ प्रतिशत या इससे अधिक अंश है, इस समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जाय ताकि इन उपक्रमों को उत्तरदायित्व प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित की जा सके।

इस बात का कोई कारण नहीं है कि खंड (घ) के परन्तुक के अनुसार इस समिति को मुख्य सरकारी नीति तथा दैनिक प्रशासन संबंधी विषयों की जांच पड़ताल से रोका जाय। इस समिति पर इस प्रकार का बंधन लगाने का अर्थ है एक ऐसे शिशु को जन्मू देना है जिसको अपना पूर्ण विकास करने का अधिकार न हो।

समिति को अपना एक शक्तिशाली सचिवालय बनाना होगा और इसके नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद का एक पूर्णकालिक अधिकारी रखना चाहिये। समिति को विशषज्ञों की सहायता भी उपलब्ध की जानी चाहिये।

समिति के नेतृत्व में कार्यकुशलता संबंधी परीक्षायें करने की वांछनीयता पर भी विचार किया जाना चाहिये ताकि सरकारी उपक्रमों के कार्यकलापों का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके।

श्री दाजी द्वारा की गई शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो, इस के हेतु यह आवश्यक है कि सरकार को सरकारी उपक्रमों के लिये एक पृथक लोक सेवा आयोग की स्थापना पर भी विचार करना चाहिये ।

सभा को यह बताया जाय कि इस समिति की स्पष्ट स्थिति क्या है, क्या समिति में राज्य-सभा के सदस्य अपना कार्य कर सकेंगे तथा क्या इस प्रकार का कार्य करना संविधान के अनुरूप होगा ।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर–मध्य दक्षिण): उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं । वस्तुतः यह बहुत पहिले ही आ जाना चाहिये था ।

इस सभा के समक्ष इस समय मुख्य समस्या संसदीय उत्तरदेयता की है ।

इस प्रस्ताव में की गई इस व्यवस्था को स्वीकार करने में कोई कठिनाइ नहीं होनी चाहिये कि यद्यपि समिति दैनिक प्रशासन तथा प्रमुख सरकारी नीति संबंधी विषयों पर विचार नहीं करेगी, यह स्पष्ट है कि इसके वाणिज्यिक नीति संबंधी मामलों पर विचार करने से नहीं रोका जायेगा ।

मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित समिति से नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का अधिक सीधा संबंध होना चाहिये । हम जानते हैं कि लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति पर कार्य का अधिक बोझ है । अतः यह उचित है कि इनका भार कुछ हल्का किया जाना चाहिये । संसद को यह देखना चाहिये कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जो कार्य सौंपे गये थे उनका नई समिति और पुरानी समितियों के मध्य समुचित बंटवारा हो ।

यह नई समिति एक दोषान्वेषी निकाय के रूप में कार्य नहीं करेगी । हमेशा प्रबन्ध संबंधी आलोचना करना इसका ध्यय नहीं होगा ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के दृष्टिकोण में शनैः शनैः बहुत परिवर्तन हुआ है और उसके अन्दर इस देश में सरकारी क्षेत्र के अस्तित्व और विकास के प्रति मेल की भावना का अभ्युदय हुआ है ।

कठिनाई से ही कोई ऐसा देश होगा जहां किसी प्रकार का सरकारी क्षेत्र न हो, अमरीका भी नहीं, जिसको कि संभवतः पूर्णतया पूंजीपतियों का देश कहा जाता है । हमारे देश के सरकारी उपक्रमों ने काफी अच्छा कार्य किया है । नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष १९५९–६० में सरकारी उपक्रमों की संचित रक्षिति लगभग १८.६ करोड़ रुपये थी जो वर्ष १९६०-६१ में २४.३ करोड़ रुपये तक पहुंच गई । हम यह भी जानते हैं कि तृतीय योजना के दौरान इन उपक्रमों से ४५० करोड़ रुपये के लगभग बचत की आशा है । हमें इन उपक्रमों को समुचित रूप से परिणाम दिखाने के लिये अधिक समय देना चाहिये । ये उपक्रम देश में उद्योगों के भावी विकास के लिये आंतरिक संसाधनों के संभरण में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । इनका काम न केवल उत्साहवर्धक है अपितु कभी कभी प्रगति का स्रोत भी है ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस समिति के निर्माण संबंधी विवरण में दिये गये सुझावों का स्वागत करता हूं । परन्तु अब भी इस समिति का स्वरूप भली भांति स्पष्ट नहीं किया गया है । प्रस्तावित समिति केवल दिखावा समिति ही न हो ।

मेरे माननीय मित्र, श्री दाजी ने सरकारी उपक्रमों में विद्यमान कुछ दोषों की ओर संकेत किया है । मैं यह मानता हूं कि सरकारी उपक्रमों में कुछ कमियां हो सकती हैं, परन्तु इस कारण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

यह सुझाव देना कि इनको विघटित कर दिया जाय, स्वयं रोग से भी बुरा उपचार है। यदि कमियों के कारण सरकारी उपक्रमों का विघटन किया जा सकता है, तो गैर सरकारी उपक्रमों का भी विघटन होना चाहिये क्योंकि उनके अन्दर तो हर क्षेत्र में, इनसे भी अधिक दोष विद्यमान हैं।

सरकारी उपक्रम अच्छा कार्य कर रहे हैं इसका प्रमाण पत्र तो गैर सरकारी क्षेत्र ने सरकारी उपक्रमों की सम-पूंजी तथा प्रबन्ध में हिस्सा मांगकर स्वयं दे दिया है। तथ्यों से भी पता चलता है कि ये लाभदायक हैं। इन उपक्रमों में चली आ रही कमियों को दूर करने के लिये केवल समय पर कदम उठाये जायें।

जब यह समिति प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति द्वारा अब किये जा रहे कार्यों का भार संभालेगी, तो इसको वे सब अधिकार क्यों नहीं प्राप्त होने चाहियें जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को प्राप्त हैं। यदि इस समिति को लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समितियों के समान अधिकार नहीं दिये जायेंगे, तो यह एक नाममात्र की समिति बन कर रह जायेगी तथा सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध जिन व्यक्तियों के हाथ में है उनकी दृष्टि में यह समिति अपना सम्मान खो बैठेगी।

कल माननीय विधि मंत्री जी ने बताया कि कार्य का कुछ भाग यह नयी समिति करेगी तथा कुछ प्राक्कलन समिति। ऐसा नहीं होना चाहिये।

हमें यह नहीं बताया जा रहा है कि क्या यह समिति बिल्कुल वैसा ही काम करेगी जैसा कि लोक लेखा समिति कर रही है। यदि ऐसा है तो इस समिति को अपने कार्यकरण में किसी ऐसे प्रमुख व्यक्ति की सहायता दी जानी चाहिये जो कार्यपालिका के अन्तर्गत न हो। तभी यह समिति प्रभावशाली ढंग से अपना कार्य कर सकेगी। इस समिति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहायता प्रदान की जानी चाहिये। प्रमुख बातों को स्पष्टतः पृथक किया जाय और उनका लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाय।

समझ में नहीं आता कि सूची में समस्त सरकारी उपक्रमों को सम्मिलित करने में क्या कठिनाई है। इस बारे में कोई भी भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने है, इसका स्वागत हुआ है, मैं भी इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ कहना है।

हम पब्लिक अंडरटेकिंग्स की देखभाल करने के लिये इस कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। सदन के कई सदस्यों ने कहा है कि समिति की संख्या इतनी अल्प है कि वह पूरी तरह से देखरेख नहीं कर सकेगी। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि यह समिति केवल उन्हीं उद्योगों की देखरेख करेगी जिसमें सरकार की ५१ प्रतिशत से अधिक पूंजी लगी है पर उन उद्योगों की देखरेख नहीं करेगी जिनमें ५० प्रतिशत या उससे कम सरकार की पूंजी लगी हो। आपने जो फाइनेंस कारपोरेशन बनाया उससे निजी उद्योगों ने बहुत सारा धन लिया और सरकार का धन लेकर वे आज उद्योग कायम किये हुये हैं। उनको तो छूने का नाम ही नहीं है। जिन उद्योगों में सरकार का धन शेयरों के रूप में ५१ प्रतिशत लगा है उनकी यह समिति देखरेख नहीं करेगी। यह सरकार कम्पनी ला के अनुसार कर रही है। कम्पनी ला में यह कमी बहुत दिनों से है। क्या सरकार कम्पनी ला में कोई इस तरह का परिवर्तन या परिशोधन करेगी जिससे यह समिति दूसरे उद्योगों की भी देखरेख कर सके जिनमें सरकार का धन लगा है।

मुरारका जी निजी उद्योगपति हैं। लेकिन उनकी यह बात सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिन कम्पनियों में सरकार का ५१ प्रतिशत या उस से कम रुपया लगा है उनको भी क्यों इस समिति की परिधि के बाहर रखा जाये। उनकी भी देखरेख इस समिति को करनी चाहिये। जहां कहीं भी सरकार का धन लगा हो उन सब कम्पनियों पर इस समिति का अधिकार देखरेख करने का होना चाहिये ताकि यह समिति देख सके कि उस धन का सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं।

बहुत सी कम्पनियां सरकार के धन से चल रही हैं। उन्होंने मिसालन टैलको का नाम लिया। टैलको में सबसे बड़ी हिस्सेदार सरकार है लेकिन उसके मालिक टाटा साहब हैं। और उनके बनाये माल का खरीददार कौन है ? सरकार। सरकार का ही रुपया उद्योग में लगा है, और सरकार ही उसके माल की खरीदार है, लेकिन उसके मालिक और मुनाफा उठाने वाले दूसरे हैं। उस कम्पनी पर भी इस समिति को देखरेख करने का अधिकार नहीं होगा।

हम जो इस समिति का निर्माण कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य ही यह है कि सरकारी धन जिन व्यवसायों में लगा है उनको यह देखे, और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आवे कि वह रुपया ठीक तरह से काम में लाया जा रहा है या नहीं। सरकार का वह धन जिसको हम जनता से करों के रूप में उगाहते हैं, इन पूंजीपतियों को दिया गया है। जिन कम्पनियों में सरकार का तीस या चालीस प्रतिशत रुपया लगा है या जिनमें ५० प्रतिशत तक है उनको यह समिति नहीं देख सकेगी। ५१ प्रतिशत तक की कम्पनियों को यह समिति देख सकती है, लेकिन १ परसेंट कम करके आप ने उनको मालिक बना दिया। यह सरकारी धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है।

मैं तो इससे भी आगे जाने के लिये तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि निजी कम्पनियों की भी देख रेख सरकार करे। निजी कम्पनियों को आप तब देखने जाते हैं जब उनकी कोई रिपोर्ट हो और तब उनकी जांच करते हैं और रिपोर्ट सदन के सामने आती है जैसे कि विरियन बोस कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आयी थी। उस पर सदन में बहस हुई थी। उससे आपने देखा होगा कि निजी कम्पनियों में किस तरह की गड़बड़ियां और गोलमाल होता है। क्या आप इस तरह के गोलमाल को रोकने के लिये बार बार कमेटियां बनायेंगे ? ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अगर एक ही कमेटी को यह अधिकार हो तो अच्छा होगा। मेरे ख्याल में जो आज प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी देखभाल इस समिति द्वारा होनी चाहिये।

मैंने कुछ समय पहले एम्बेसेडर कार के निर्माण के संबंध में इस सदन में एक बहस उठायी थी। वहां दोनों का मुकाबला किया था, टाटा मरसिडीज का और हिन्दुस्तान मोटर्स की एम्बेसेडर कार का। उस समय मैंने बतलाया था कि दोनों में दक्ष और अलक्ष काम करने वालों की संख्या क्या है। इसमें जो अन्तर है वह बहुत बड़ा है। टाटा में जहां काम करने वालों की संख्या चार हजार है उनमें "अदर्स" की संख्या १९ है। ये भाई भतीजे हो सकते हैं। जिनको लिया गया हो। मगर हिन्दुस्तान मोटर्स में जहां पांच हजार आदमी काम करते हैं वहां "अदर्स" की संख्या ६९९ या ६९७ है जिनके बारे में कुछ पता नहीं कि वे क्या काम करते हैं, और कितना रुपया ले जाते हैं। इस संबंध में बताया गया कि वहां बड़ा गड़बड़घोटला है। इस पर बहस में हमारे हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने यह कह कर सन्तोष का अनुभव किया था कि प्राइवेट सेक्टर में भी तो इतनी गड़बड़ियां हैं। वह सन्तोष लेने का विषय नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों में सरकार का रुपया शेयर कैपीटल के रूप में लगा हो, या पूंजी के रूप में लगा हो, वह जनता का धन है और करों द्वारा आता है। और इसलिये इन सब कम्पनियों पर पार्लियामेंट का नियन्त्रण रखना चाहिये।

[श्री सिंहासन सिंह]

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कमेटी को उन सारे पबलिक अंडरटेकिंग्स को देखने का अधिकार दें जिनमें सरकार का पैसा लगा है ।

अन्त में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । इस समय जो काम आंकलन समिति और लोक लेखा समिति करती हैं वह काम आप इस कमेटी को सौंप रहे हैं, हालांकि इसके सुपुर्द केवल व्यावसायिक क्षेत्र ही है । उन समितियों के अधिकार में अन्य क्षेत्र भी हैं। अब यह होगा कि वे समितियां भी व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगी और यह समिति भी उस क्षेत्र में जाएगी । इससे तो अच्छा होता कि कोई नई कमेटी न होती । अब तीन तीन समितियां एक चीज में जाएंगी और उनकी रिपोर्ट सदन में आएंगी । अभी भी अधिकारी कहते हैं कि इन कमेटियों की रिपोर्ट से क्या होता है । इसके अलावा तीन कमेटियां तीन तरह की बात एक ही चीज के बारे में कह सकती हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि आप यह निर्धारित कर दें कि जिन कामों को यह नई समिति देखेगी उनमें प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति नहीं जाएगी । इस तरह उन समितियों का काम भी हलका हो जाएगा और वे दूसरी चीजों की ज्यादा अच्छी तरह देख सकेंगी । अभी हालत यह है कि सारे काम को दो समितियां अच्छी तरह नहीं देख सकतीं इसलिए यह तीसरी समिति बनाई जा रही है । इसलिए अच्छा हो कि पुरानी समितियों से कह दिया जाए कि जिस काम को नई समिति देखे उससे वे अपना हाथ खींच लें । अगर दो समितियां एक ही बारे में रिपोर्ट देगी तो सदन के सामने घपला हो सकता है कि किसकी रिपोर्ट को माने । जिस काम को दो अधिकारी देखते हैं उसकी देख रेख ठीक नहीं हो पाती । ऐसा करने से गोलमाल और घपला ज्यादा हो सकता है । इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर विचार करें ।

तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि इस कमेटी की अवधि आप कम रखें । अभी आपने पांच साल से घटा कर तीन साल रखी है । हम देखते हैं कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के चुनाव एक वर्ष में होते हैं । वैसे ही इसका भी होना चाहिये । हम देखते हैं कि लोक लेखा समिति में और प्राक्कलन समिति में दोबारा भी वे ही मेम्बर आ जाते हैं । मेरा सुझाव है कि इस समिति की अवधि आप दो साल कर दें । तीन या चार साल करने से वैस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं । इसलिए इस संसदीय कमेटी की अवधि इससे अधिक बढ़ाना उचित न होगा ।...

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट हो गये हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : जैसी आपकी इच्छा । मैं अभी बन्द किये देता हूं ।

दूसरी चीज मैंने इसमें यह देखी कि मंत्रियों के लिए इसमें कोई रोक नहीं है कि वह इस पबलिक अंडरटेकिंग्ज के लिए बनने वाली संसदीय समिति में नहीं रह सकेंगे । उचित यह है कि जो कुछ कानून हम यहां बनावें वह साफ़ और स्पष्ट होना चाहिए । प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के विधान में लिखा हुआ है कि उनका कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा । अगर इन समितियों में कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो मंत्री बनने के बाद तुरन्त उसकी सदस्यता हट जायेगी । लेकिन इस संसदीय समिति के अन्दर कोई इस तरह का विधान देखने को नहीं मिलता है । इसलिए नियम बनाते समय अभी इस बात को देख लिया जाय और स्पष्ट कर दिया जाए कि कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा और इसका कोई सदस्य अगर मंत्री बन जायेगा तो वह इस समिति का मेम्बर नहीं रहेगा और वह इनसे हट जायेगा ।

इसमें चुनाव की जो प्रथा रखी है वह त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब तो समाप्त ही कर दें ।

श्री सिंहासन सिंह : दो, तीन बार घंटी बज चुकी है। मैं उसका सम्मान करने वाला हूं इसलिए और अधिक न कह कर अपना स्थान लेता हूं हालांकि मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि कभी कभी घंटी जल्दी बज जाया करती है।

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् .....

कुछ माननीय सदस्य : आज तो हिन्दी में ही बोला दीजिये। इस पर हिन्दी धड़ाधड़ चलती आ रही है।

श्री गजराज सिंह राव : भाई मैं हिन्दी भी बोल सकता हूं और उर्दू भी बोल सकता हूं लेकिन मैं हिन्दुस्तानी में बोलूंगा। मैं हिन्दुस्तानी हूं और हिन्दुस्तानी ही रहूंगा इसलिए मैं हिन्दुस्तानी में ही बोलूंगा।

जहां तक इस कमेटी का ताल्लुक है यह बहतरीन और जायज़ जांच के बाद और सही मायनों में सुधार के लिये शायद यह तजवीज़ पेश हुई है। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि इन कमेटियों का आम तौर पर जो हश्र देखने में आया है, यहां का तो मेरा थोड़ा सा ही तजर्बा है लेकिन पंजाब का भी मुझे इस बारे में तजर्बा है और उसकी बिना पर मैं यह कह सकता हूं कि अगर किसी मामले को टालना हो तो उसे कमेटी के सुपुर्द कर दो। यह एक तरीका रहा है। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब को आगाह करूंगा कि इस बारे में सावधानी बर्तें और यह टालने वाली बात इस कमेटी में न आने दें। अगर एक तजवीज़ इस तरह की पालियामेंटरी कमेटी बनाने की वह लाये हैं तो इसको सख्ती के साथ अमल में लाय और इसका सब तरह से एहतियात रक्खे कि यहां टालने वाली बात न आने पाये।

जैसा कि यहां बार बार कहा गया अगर इसको बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमेटी के चलाया जाय और सख्ती के साथ इंतज़ाम को ठीक शक्ल दी जाय और ज्यादा बहतर तौर पर इसके जरिए चलाया जाए तब तो यह बहतर और स्वागत करने लायक चीज़ है बनिस्पत इस के कि इस झंझट में पड़ कर कि पबलिक एकाउंट्स कमेटी के या एस्टिमेट्स कमेटी के फंक्शंस इसको दिये जांय तो यह चीज़ बहतर हो जायेगी यह चीज़ ज़रूरी नहीं है। पिछले दो साल में मैं पबलिक एकाउंट्स कमेटी में हूं। मैंने इस कमेटी की पिछले सालों की रिपोर्ट भी देखी हैं। भले ही वहां सख्त से सख्त और कड़े से कड़ा अपोजीशन हो लेकिन पबलिक अंडरटेकिंग्ज के ओवरहैड चार्जेज कम नहीं होते हैं। इन ओवरहैड चार्जेज़ को लेकर पबलिक एकाउंट्स कमेटी में कितना ही क्रिटिसिज्म क्यों न हो लेकिन अभी तक उसका कोई असर होता नहीं दिखाई देता है। पबलिक अंडरटेकिंग्ज में काफ़ी स्टाफ़ रहता है। एक डायरेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर और इसी तरह न जाने कितने अफ़सर भरे रहते हैं। किसी भी पबलिक अंडरटेकिंग को उठा कर देख लें आप उसमें ओवरहैड चार्जेज़ बहुत ज्यादा पायेंगे।

इसके अलावा एक चीज़ उनमें यह भी पायी जाती है कि कुछ प्राइवेट कम्पनियों के साथ मिलावट का सौदा चल जाता है। इन को फेल कर दो और प्राइवेट कम्पनी को सही तौर पर और उसको एक इशारा देकर कामयाब कर दो। यह दो फैक्टर्स पबलिक एकाउंटस कमेटी के सामने आये हैं। यह चीज़ उनमें मौजूद हैं और उन्होंने की हैं। असल नुक्स कहां है ? पबलिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्टों पर अगर सख्ती के साथ डाइरेक्टोरेट लेबल पर, मिनिस्ट्रियल लेबल पर और सेक्रेटरी लेबिल पर अमल किया जाता तो इस प्रस्ताव को लाने की ज़रूरत नहीं थी। आपने

[श्री गजराज सिंह राव]

सामने रेकार्ड है आप देख लीजिये कि ५५-५६ तक के पबलिक एकाउंट्स कमेटी के रेमार्कस और सिफारिशों पर क्या अमल हुआ है। कहीं पता नहीं चलता कि उन पर कोई अमल किया गया। अमल होना चाहिए था लेकिन दरअसल हम देखते हैं कि उन पर कोई अमल नहीं हुआ।

मैं कानूनी तौर पर अर्ज करूंगा कि आप ३०८ रूल्स आफ प्रोसीज्योर एंड कंडक्ट आफ बिज़नैस और डाइरेक्शंस औफ़ दी स्पीकर ९६ से लेकर २०१ तक मुलाहिज़ा फ़रमा लीजिये कि यह कांस्टीट्यूशनल पोज़ीशन किस तरीके से रही है। यह पार्लियामेंटरी कन्वेंशन और प्रैक्टिस पर ही नहीं बल्कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १४८ से लेकर १५२ तक, जो कि कम्पोटरोलर एड औडीटर जनरल के मुताल्लिक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट शख्सियत है और फ़ायनेन्स के मुताल्लिक आर्टिकल ११२ और उससे आगे जो आर्टिकल हैं, उनको किसी पार्लियामेंटरी सिस्टम में अमलदरामद कराने के लिए यह ज़रूरी है कि उनको रिपोर्ट हो और पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम बौडी है, उस रिपोर्ट पर ग़ौर करे और तमाम की तमाम वह रिपोर्ट हाउस में पेश हो और मिनिस्टर का फर्ज़ है कि उस पर अमल करे। अगर उस पर मिनिस्टरी द्वारा अमल नहीं होता है तो हाउस को हक़ है कि वह यह दरियाफत करे कि उस चीज़ पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

पी० ए० सी० और एस्टिमेट्सकमेटी यह कांस्टिट्यूशनल कमेटियां हैं। इनके कामों को और इनके दायरे को कम करना, में कल जो लीगल एडवाइस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई उससे मुत्तफिक हूं कि इससे उनके फंक्शंस कम नहीं हो सकते। अगर उनके फंक्शंस ख़त्म करना है, कम करना है तो यह रूल्ज औफ़ बिज़नैस के मुताबिक सीधे तरीके पर एक रेजोलयूशन लायें कि यह ख़त्म किये जाते हैं। फिर हर मिनिस्टरी के लिये आ जायेगा कि हर एक मिनिस्टरी की एक अलहदा पी० ए० सी० बनाई जाय और इसी तरह एक अलग से एस्टिमेट्स कमेटी बनाई जाये और फिर उससे आगे बढ़ कर हर सीग़ की एक एक बना दी जाय। अभी एक सुझाव दिया गया कि एक कम्पटरोलर ऐंड औडटर जनरल और मुकर्रर किया जाय। इस तरह से कांस्टिट्यूशन के भी अमेंडमेंट की तजवीज़ पेश कर दी गई। इस तरीके से एक दूसरा बन जाना चाहिए। अभी सिंघवी साहब ने फ़रमाया कि एक कम्पोटरोलर ऐंड औडीटर जनरल और इतना अमला है। मैं इस चीज़ को वैलकम करता हूं। पार्लियामेंट में क्या मिनिस्टर को यह अख्तियार नहीं है ? क्या यह चीज़ें नहीं होती रहीं हैं कि अगर उन्हें कोई शुबहा हो, तो उसके लिए वह एस इस तरह का स्पेशल आडिट का आर्डर कर सकते हैं। वह कह सकते हैं कि फलां फलां चीज़ का स्पेशल आडिट किया जाय। क्या उनको यह अधिकार नहीं है कि फलां फलां करप्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, बेहूदा तरीक़ की चीज़ें किसी जगह हो रही हैं तो उनके लिए पार्लियामेंट के तीन या पांच मेम्बरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना कर भेज दी जाय और वह उसको देखे। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह प्रस्ताव वैस्ट औफ़ दी मोटिव्स से लाया गया है कि पबलिक अंडर टेकिंग्स का कंट्रोल होना चाहिए लेकिन वह कंट्रोल तो अगर कम्पोटरोलर एण्ड औडिटर जनरल एग्जिस्ट करता है तो पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और कंवेंशंस का जो रोल है वह कानूनी रोल कह सकते हैं उसके बराबर है। उसको इफ़ेस न किया जाय। बार बार स्पीकर के पास जायें कि यह काम दे दिया जाय या थोड़ा सा दे दिया जाय और यह फंक्शन उस कमेटी का न रहे इससे तो कन्फ्यूज़न वर्स्ट कनफाउंडेड होगा। आप बड़ी खुशी के साथ हर महकमे पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंटोल रक्खे। वह तमाम रिपोर्टें पबलिक एकाउंट्स कमेटी की स्क्रूटनी के लिए भेजे सम्बन्धित रूल्ज़ पढ़ने का वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उनको देखने से मालूम होगा कि वह उनको हक होगा कि हर रिपोर्ट को वह कौल कर सकते हैं, वह देख सकते हैं और उस कमेटी का एक तरह से फाइनल से होता है। उसकी रिपोर्ट हाउस के सामने पेश होगी। मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर इसको आप एक सुपर कमेटी

बना रहे हैं और उसके लिए यह स्टेप ले रहे हैं तो इस पर निहायत गम्भीरता के साथ सोचिये कि अगर इसको दूसरी कमेटी पबलिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी जिनके कि साथ मैंने बतलाया कि कम्पोटरोलर एड औडिटर जनरल उनके फंक्शंस के साथ पाबन्द हैं, अगर आप इसको एक अलहदा कमेटी की शक्ल समझते हैं तो वह एक गलत रूप है । हां अगर इसको एक एड-मिनिस्ट्रेटिव रूप देते हैं उसको स्पेशल आडिट का रूप दिया गया है और वह स्पेशल रिपोर्ट दे और पबलिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी जो कि पार्लियामेंट की सुप्रीम कमेटियां हैं, तो मैं समझूंगा कि यह सही है और हाउस के सामने भी एक सही चीज पेश होगी । जो लीगल एडवाइस दी गई है कि पब्लिक एकाऊंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी अपने फ़ंक्शंज़ बदस्तूर करती रहेगी, उनके सामने ये रिपोर्ट भी पेश होंगी और वे स्क्रूटिनाइज़ हो कर हाउस के सामने पेश होंगी, मैं उससे इत्तिफाक करता हूं । अगर पबलिक एकाउंट्स कमेटी के बारे में शिकायत है कि उसने काम नहीं किया, तो क्या हाउस के सामने यह बात आई कि उसने काम नहीं किया ? शिकायत है तो यह कि डिपार्टमेंट्स सही तौर पर, सही वक्त पर, काग़ज़ात पेश नहीं करते और सही तौर पर जवाब नहीं दिया जाता और आठ आठ साल तक उसकी रीकमेंडशन्ज़ पर अमल नहीं होता है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर पबलिक अंडरटकिंग्ज़ के फंक्शंज फ़ेल हो गये, तो हमारी सारी पालिसी फ़ेल हो जायेगी । इस लिये इस कमेटी को ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमेटी कहा जाये और वह फ़िनांषिज़ को भी देख सकती है और देखे ।

जिस नीयत से यह प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसको वैलकम करता हूं, लेकिन कांस्टीट्यूशन पर और कांस्टीट्यूशन की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिसिज़ पर हमला नहीं होना चाहिए ।

मैं जनाब का बहुत मशकूर हूं ।

†**श्री खाडिलकर** (खेड): आर्थिक विकास की दृष्टि से ही यह प्रस्ताव लाया गया है कि संसद् एक समिति नियुक्त करे जिस का काम यह देखना हो कि सरकारी उपक्रम ठीक ढंग से चले । हमारे समाज के सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए यह जरूरी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सफल हो । इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह प्रस्तावित समिति एक सुगठित निकाय होनी चाहिये । और इस बात को दृष्टि में रखते हुए मेरे विचार में इस के सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिये । हमारे सरकारी उपक्रमों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि गैरसरकारी क्षेत्रों की अपेक्षा प्रशासन कुशल हाथों में रहे और उत्पादन अधिक से अधिक हो । इन उत्पादों से जो भी फालतू माल बचे वह समूचे राष्ट्र के हित में प्रयोग में लाया जाना चाहिए । इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपनी स्वतंत्र आर्थिक प्रगति की प्रत्याभूति को सुदृढ़ रखने के लिए यह जरूरी है कि विदेशी ऋणों को सरलता से चुकाया जाय । हम यह तो चाहते ही हैं कि औद्योगिक प्रगति तीव्र हो और इस दृष्टि से पूंजी निर्माण में वृद्धि करने की दिशा में भी जागरूक होना होगा ।

समिति को उपरोक्त बातों की ओर काफी जागरूक रहना होगा । और समिति के क्षेत्र का विस्तार भी इसी बात को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए । इस सारी बात में प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । यह ठीक है कि हम उत्पादन की बाढ़त्रा बना रहे हैं परन्तु कोटि की दिशा में सुधार कम हुआ है । हमें प्रशासन में बड़ी आयु के सेवानिवृत्त लोग नहीं लगाने चाहिये । सरकारी क्षेत्र को गैर सरकारी क्षेत्र से पृथक रखा जाना चाहिये और गैर सरकारी क्षेत्र से स्वस्थ मुकाबला कर उसे अपना विकास करना चाहिए । यह भी पता चला है कि निदेशक मंडल के कई सदस्य वर्तमान रूप में गठित सरकारी क्षेत्र को स्वीकार करने के विरुद्ध हैं । इस बात का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

पूरा नियंत्रण रखा जाना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक सरकारी नीति का पूरी तरह पालन करें। इस मामले में बिलकुल ढील नहीं दी जानी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के उत्पादन का जहां तक प्रश्न है वह तो ठीक है। और लाभ भी हो सकता है, परन्तु अपव्यय बहुत हो रहा है। मेरा आग्रह यह है कि समिति को इस की जांच करनी चाहिए। प्रबन्ध में लगे कुछ व्यक्ति गैर सरकारी उपक्रमों को विविध प्रकार से प्रोत्साहन देते रहते हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है, इस की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। इस प्रकार सरकारी उपक्रमों को आदर्श नियोजक होना चाहिए। प्रबन्धकों को पुरानी नौकरशाही वृत्ति छोड़ देनी चाहिये। समिति के कार्यों की विस्तृत रूप से पुनः व्याख्या की जानी चाहिये।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : यद्यपि इस समिति की नियुक्ति देर से हो रही है तथापि मैं इस का स्वागत करता हूं। सभी पक्षों के माननीय सदस्य इस पर प्रसन्न हैं क्योंकि यह देश विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था के बारे में जनता और संसद् की भावना को काय रूप देने में सहायक होगी हमारे औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सभी क्षेत्रों की परिभाषा की गयी है। सामान्य व्यक्ति की भाषा में बड़े बड़े उद्योग सरकारी क्षेत्र में आ सकते हैं और उपभोक्ता उद्योगों के लए गैर सरकारी क्षेत्र ठीक है। आज हमारे देश में सम्मिलित अर्थ व्यवस्था चल रही है। इस बारे में हमें अन्य देशों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। अतः आज के हालात में मैं इस समिति की स्थापना का स्वागत करता हूं।

प्रतिरक्षा उद्योगों का जहां तक सम्बन्ध है, वहां कुछ गोपनीयता की भी अपेक्षा होती है। समिति को इस ओर भी ध्यान देना है। समिति का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरा निवेदन है कि इस के लए हमें उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना चाहिए। एसे व्यक्ति चुने जाने चाहिये। जोकि अनुभवी हों और जिन में सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों तथा उद्योगों को चलाने की योग्यता और क्षमता विद्यमान हो। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि समिति में चुने जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह एक चुनौती है और उन्हें भी सरकारी उपक्रमों की सफलता के लिए हर सम्भव उपाय करने चाहिये।

मैं इस बात से सहमत हूं क समिति के सदस्यों की सख्या में वृद्धि की जाये। इस का एक बड़ा लाभ यह होगा कि विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और विभिन्न कार्यों को चलाने के लिये जो उपसमितियां बनेगी उस में काफी सुविधा होगी। मेरा यह भी आग्रह है कि समिति के कार्यक्षेत्र का और अधिक शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिये। यह तो ठीक है कि यह समिति प्रशासन तथा अन्य प्रति दिन के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे परन्तु इस के महत्व को सब दिशाओं में स्वीकार किया जाना चाहिये। किसी को यह समझने का साहस नहीं होना चाहिये कि इस का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि सरकारी उपक्रमों को कार्य करवाने के लिए इधर से उधर भटकना न पड़े। समिति को यह देखना चाहिये कि केवल उच्च स्तरीय प्रबंध में ही नहीं प्रत्ययुत सभी दिशाओं में अर्थात् वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में अधिकार समुचित ढंग से सौंपा जाय। यह भी व्यवस्था हो कि व्यापार प्रबन्ध के सभी स्तरों पर व्यक्तियों को अपेक्षित

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षण सुविधायें दी जाय । सरकार को यह भी देखना चाहिए कि यह समिति व्यावहारिक ढंग से काम करे और प्रशासन में नौकरशाही की वृति को प्रोत्साहन न मिले ।

†**श्री कानूनगो :** इस प्रस्ताव पर निरन्तर तीन दिन तक विवाद होता रहा है । और एक बात के सभी इच्छुक थे कि समिति की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र करनी चाहिये । २८ संशोधन रखे गये हैं और स्थानापन्न प्रस्ताव डा० सिंघवी द्वारा प्रस्तुत हुआ है । बहुत से संशोधनों का सम्बन्ध कंडिका १ और ३ से था । अब जब कंडिका ३ को बदल दिया गया है तो बहुत से संशोधन अनावश्यक हो गये हैं । अब इस समिति का कार्यकाल लोक सभा के अवधि के साथ साथ चलेगा । यह प्रस्तावित समिति सभा की स्थायी समिति और हर लोक सभा के साथ इसके सदस्य बदल जाया करेंगे । मैं ने अपने संशोधन संख्या २६ में यही किया है मैं प्रस्ताव करता हू कि :

कंडिका ३ के स्थान पर

"(३) कि वर्तमान लोक सभा की अवधि तक समिति के सदस्य पदासीन रहेंगे ।"

अतः यह चलेगा, तथा प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद प्रक्रिया नियमों में कुछ परिवर्तन भी करना होगा । मतलब यह है कि यह सदन की स्थायी समिति होगी । सदन के प्रत्येक सत्र के बाद उसके सदस्य भी बदल जायेंगे । इस मामले में प्रक्रिया नियमों में संशोधन करते समय पूर्ण जागरूकता से काम लिया जायेगा । इस मामले में यह बात भी स्पष्ट है कि जब कोई सदस्य ससद् का सदस्य नहीं रहेगा तो वह समिति की सदस्यता से भी स्वतः ही हट जायेगा । संसद् की सदस्यता का अर्थ दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता ।

कंडिका २, प्रस्ताव का प्रभावकारी अंग है और इसमें किये गये संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है । उसमें लगभग वे सभी चीजें आ जाती हैं जोकि बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाई हैं । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान १० दिसम्बर १९६३ तथा ३ और १७ दिसम्बर १९५४ और १४ अप्रैल १९५६ के वाद-विवादों की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं । १० दिसम्बर १९५३ को डा० लंका सुन्दरम् ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस समय के वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख ने उसका उत्तर दिया था । सरकारी उपक्रमों के साथ किस प्रकार का संसदीय व्यवहार होना चाहिये, इस पर अमेरिका, फ्रांस और इटली में तो पुस्तकें भी प्रकाशित हो गयी हैं । इस सम्बन्ध में सभी पक्ष एकमत हैं कि समिति अच्छी प्रकार कार्य करे इस के लिए यह जरूरी है कि परन्तुक में जो सीमाओं का सुझाव दिया गया है वे रहनी ही चाहिये । समिति का सब से प्रथम कार्य यह है कि सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवदनों पर एक कार्यकारी वाद विवाद करने में सभा की सहायता करे । यह इसलिए भी कि प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के काम उसे सौंप दिये गये हैं । एक बात तो हम को समझ लेनी चाहिए कि आखिर तो ये सब उपक्रम देश की आर्थिक प्रगति के लिए ही हैं न । इन उपक्रमों का कार्य औद्योगिक उत्पादन और व्यापार है । और इस के परिणाम तो इसी तरह ही निकाले जा सकते हैं कि इसका काम अच्छी प्रकार चले और इनसे नफा हो ।

इन सब कामों के लिए योग्यता तथा क्षमता के अपेक्षा होती है । अतः सरकार ने समवाय और निगम बना कर उन्हें ये काम सौंपे और इसे करने में कुछ स्वतन्त्रता भी दी । संसद् को उनके नियत्रण में रखने तथा निरीक्षण करने का अधिकार था । परन्तु यदि हम ने प्रति दिन के प्रशासान में भी हस्तक्षेप किया तो सारा गुड़ गोबर हो जायेगा । सरकार को विश्वास है कि समिति के सदस्यों के सामूहिक अनुभव द्वारा कोई एसे रास्ते निकालेंगे, जिस में प्रबन्ध की अत्यावश्यक बातों का पता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

लगेगा । मगर इन सब बातों का पता लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपक्रम निरुत्साहित न हो । ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्रति दिन के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ सन्देह पैदा हो सकते हैं । और इस बात की जांच की जा सकती है कि कहां तक किसी उपक्रम में मुख्य नीतियों का ध्यान नहीं रखा गया । यह भी आशा की जा सकती है कि समिति के सभापति इसका कोई समाधान करने का प्रयत्न करेंगे और अन्त में इसका हल अध्यक्ष महोदय को करना होगा । सन्देह कहां है इस बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती समय आने पर अनुभव के आधार पर पता चल जाता है । श्रमिक-प्रबन्ध सम्बन्धों के बारे में मेरा निवेदन यह है कि विशेष प्रक्रिया द्वारा समिति को इस प्रश्न की जांच करनी चाहिए ।

परन्तुक की अन्तिम मद के बारे में, यह स्पष्ट है कि जब कभी किसी विशेष मामले में विशेष व्यवस्था की जाय, तो इस को सम्मिलित नहीं किया जायेगा । उदाहरण के तौर पर जीवन बीमा निगम में विनियोजन सम्बन्धी बातें अथवा भांडागार निगम में रक्षित निधि का वितरण । मेरा यह भी निवेदन है कि मंत्रियों के हस्तक्षेप करने के अधिकार बहुत ही सीमित हैं । जो कुछ भी अधिकार व कानून में लिखित रूप में मौजूद हैं । कुछ भी हो मंत्री सदन के प्रति उत्तरदायी तो होता ही है और समिति का कार्य सदन की सेवा का है किसी व्यक्ति विशेष की सेवा का नहीं है । सदन को हर मामले में सूचित रखना बहुत जरूरी है ।

अतः मेरा निवेदन कि वर्तमान व्यवस्था में समिति के लिए उपक्रमों के परीक्षण करने की काफी गुंजाइश है । फिर भी हमने समिति के कार्य को तो देखना ही है कि कैसे चलता है । समिति इस बात का प्रयत्न करेगी कि सब महत्वपूर्ण बातों का पूरा परीक्षण करे और उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाये । अतः मैं कंडिका २ में जो भी उपबन्ध है वे आवश्यक हैं और काफी व्यापक हैं । अन्त में अध्यक्ष महोदय को यह शक्ति दी गई है कि वह समिति को किसी भी मामले के बारे में छानबीन करने का कह सकते हैं । जिस चीज की जानकारी देना सदन को जरूरी होगा, अथवा जिस चीज के बारे में सदन को जानकारी देना वह आवश्यक समझेंगे, वह समिति के कार्य के दौरान उसे देने के लिए कह देंगे । यह बहुत व्यापक उपबन्ध है जिसका उदाहरण और किसी देश में नहीं उपलब्ध हो सकता ।

कुछ संशोधन, विशेषकर वह जो श्री दाजी तथा डा० सिंघवी द्वारा दिया गया है, साक्षियों आदि की जांच सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में हैं । मेरा निवेदन है कि इनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रक्रिया नियमों के अध्याय २६ में संसदीय समितियों के बारे में दिये गये नियम पर्याप्त हैं और विस्तार से दिये हुए हैं ।

विधि मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों प्रस्ताव संविधान का उल्लंघन नहीं करते । यह सभा अपनी कार्यवाही में सहायता के लिये किसी भी निकाय की स्थापना कर सकती है, जिसके सदस्य बाहर से भी लिये जा सकते हैं । सरकारी उपक्रमों के प्राक्कलनों से सम्बन्धित मामले तथा धनराशियां, जो एक उपक्रम को विनियोजन हेतु या उधार के रूप में दी जाती हैं, ऐसे मद हैं जो प्राक्कलनों में सम्मिलित किये जाते हैं । लोक-सभा में इन पर मतदान होता है और यह उन की जांच के लिये प्राक्कलन समिति पर निर्भर करती है । सभा के लिये अच्छा ही होगा यदि एक ऐसी समिति बनाई जाये जो अपना कार्य सरकारी उपक्रमों तक ही सीमित रखे । समिति प्रत्येक उपक्रम की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे को संक्षेप में तैयार करेगी । इस का प्रतिवेदन दोनों सदनों में वाद-विवाद की दृष्टि से उपयोगी होगा और प्राक्कलन समिति को भी इस काम से छुटकारा मिलेगा तथा उसके सदस्यों के लिये भी यह रिपोर्ट उपयोगी सिद्ध होगी । हम उन सारी परिस्थितियों

की परिकल्पना नहीं कर सकते जिन में इन के काम में दोहराव आ जायेगा । पैरा २(क) में उपबन्ध है, जैसा कि मैं ने पहले कहा, कि अध्यक्ष महोदय ऐसी परिस्थितियों में उचित कार्यवाही कर सकते हैं ।

मैं कुछ शाब्दिक परिवर्तन करना चाहता हूं । मुझे पता नहीं कि आप औपचारिक संशोधन प्रस्तुत करने के लिये कहेंगे या मेरे मौखिक वक्तव्य से संतुष्ट हो जायेंगे । अनुसूची का भाग २ इस प्रकार है :

> "इसके भाग ३ में सम्मिलित सरकारी उपक्रमों के अतिरिक्त प्रत्येक सरकारी समवाय जिसका वार्षिक प्रतिवेदन समवाय अधिनियम की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत संसद् के सदनों के समक्ष रखा जाता है ।"

मैं इसमें से निम्न शब्द निकालना चाहता हूं :

> "इसके भाग ३ में सम्मिलित सरकारी उपक्रमों को छोड़ कर ।"

मैंने अपने भाषण में यह पूर्वानुमान किया था कि हमें इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय की विशेष शक्ति को प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, परन्तु अब जो स्थिति है उसमें भाग ३ पूर्णतया निकाल दिया गया है । कुछ ऐसे संशोधन आये हैं जिन में यह कहा गया है कि भाग ३ में सुरक्षा सम्बन्धी पहलू अन्तर्ग्रस्त है, इसलिये इस पर कुछ प्रतिषेध लगाये जाने चाहिये थे । संसदीय समितियों सम्बन्धी नियमों को पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि अध्यक्ष महोदय को, सुरक्षा पहलू को दृष्टि में रखते हुए, सुरक्षा सम्बन्धी मामलों की जांच करने तथा उनको बताने के बारे में निदेश देने की पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं । इसको दृष्टि में रखते हुए श्री मुरारका के संदेह समाप्त हो जाते हैं ।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : मंत्री जी ने प्रस्ताव में से कुछ शब्द निकालने की अनुमति मांगी है अथवा एक औपचारिक संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है । यह स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि सदन की सहमति है तो संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री कानूनगो** : मैं औपचारिक रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह शब्द हटा दिये जायें ।

डा० सिंघवी ने बैंकों सहित छै से अधिक निगमों को भाग १ की अनुसूची में जोड़ने का सुझाव दिया है । बैंकों के विशेष स्वरूप के बावजूद मैं निवेदन करूंगा कि प्रारम्भ में हमें इस अनुसूची को एसे ही रहने देना चाहिये । यह काफी लम्बी है । जैसाकि काश्मीर के मेरे माननीय मित्र ने कहा समिति को सारे निगमों तथा समवायों की जांच करने में कठिनाई होगी, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है । हम ने जानबूझ कर कुछ बैंकों तथा वित्तीय निगमों जैसे निकायों को इसमें से निकाल दिया है कुछ समय पश्चात्, मेरा अनुमान है कि भाग २ और भाग ३ के अन्तर्गत और निगम आ जायेंग, और जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं, मैं समझता हूं कि समिति अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देगी ।

इंगलैंड का अनुभव इस बारे में अनोखा रहा है । पांच वर्ष तक उन्हें समिति की उपयोगिता के बारे में सन्देह रहे । अगले चार वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्हें सदन में मामलों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

की चर्चा हेतु इस की उपयोगिता का आभास हुआ। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य १९६२ के "पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैगजीन" में प्रकाशित सर टोबी लो का लेख "राष्ट्रीकृत उद्योगों सम्बन्धी प्रवर समिति" पढ़ें। समय के अभाव के कारण मैं लम्बे उद्धरण नहीं दे सकता परन्तु मैं यह उद्धरण देना चाहता हूं :

"संसद् के १३ सदस्यों की यह समिति जिस की कि एक-दूसरे से काफी भिन्न उद्योगों, जिनमें अधिकांश उच्च प्रविधिक स्वरूप के हैं, की गतिविधियों की जांच का भार सौंपा गया है अनोखी प्रतीत होगी। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस समिति ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम में से प्रत्येक को विभिन्न अनुभव हुए और विचाराधीन मामले पर हर एक का दृष्टिकोण भिन्न था। मेरे विचार से एसी समिति के कुछ सदस्यों को उद्योग के वित्तीय तथा प्रविधिक पहलुओं का निजी अनुभव तथा कुछ को सामान्य आर्थिक तथा वित्तीय मामलों का अच्छा ज्ञान होना अत्यावश्यक है। साक्षियों से पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्नों के चुने जाने का भार समिति के सभापति पर है। प्रवर समिति को दिये गये दो क्लर्क इस सम्बन्ध में बड़ी सहायता करते हैं। हाउस आफ कामन्स की समितियां अपने क्लर्कों पर बहुत निर्भर करती हैं। राष्ट्रीकृत उद्योगों सम्बन्धी प्रवर समिति तो उन पर बहुत ही निर्भर करती है चूंकि ये अनुभवी होते हैं और हाउस आफ कामन्स की प्रक्रिया से अच्छी तरह अवगत हैं। उनकी अंग्रेजी बहुत आनन्ददायक है।"

परन्तु जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है उन्हें अच्छी हिन्दी लिखनी आनी चाहिये।

यह सब कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि यह समिति कुछ वर्षों तक सुचारू रूप से कार्य न कर सकी तथा उन्होंने विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाही। परन्तु अनुभव से उन्हें पता लगा कि सचिवालय द्वारा जो सहायता दी जाती है वह सब से अधिक उपयोगी है। मैं कुछ समितियों में अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि हमारे सचिवालय में काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। जैसा मैंने कहा सब से महत्वपूर्ण चीज तो इस बारे में सदन का दृष्टिकोण है। एक अर्थशास्त्री या लेखापाल कुशाग्र बुद्धि हो सकता है। परन्तु संसद् सचिवालय संसद् के मन की बात को दूसरों की तुलना में अच्छी तरह समझ सकता है चूंकि यह समिति सदन की सहायता के लिये ही बनायी जा रही है।

†**श्री काशी राम गुप्त** : सचिवालय समिति की किस तरह सहायता करेगा ?

†**श्री कानूनगो** : इसे जानने के लिये अनुभव की आवश्यकता है। कम से कम मेरा ऐसा ही अनुभव है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

अनुसूची के भाग २ में,

"other than the Public undertakings included in Part III here of."—

["इस के भाग ३ में सम्मिलित सरकारी उपक्रमों को छोड़ कर।"]

का लोप किया जाये। (२७)

†**एक माननीय सदस्य** : समिति के सदस्यों की संख्या क्या होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि इस दिशा में हमारा यह पहला कदम है प्रारम्भ में इस के सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिये । हाउस अ फ कामन्स में सदस्य संख्या ६४० होने पर भी' समिति के सदस्यों की संख्या केवल १३ है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** ब्रिटेन में राष्ट्रीकृत उद्योगों की संख्या बहुत कम है । यहां संख्या अधिक है तथा उन का स्वरूप भी भिन्न प्रकार का है । इन पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री कानूनगो :** हम ने अच्छी तरह विचार कर लिया है । एक समय हाउस आफ कामन्स की प्रवर समिति की सदस्य संख्या १० से भी कम थी । हमें इस के कुछ प्रतिवेदन प्राप्त होने तक इस से ही काम चलाना चाहिये । इस के काम शुरू करने के पश्चात् हमें पता लग जायेगा कि क्या परिवर्तन किये जायें ।

जहां तक दूसरी सभा के सदस्यों के अधिकारों का सम्बन्ध है जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह यह है : 'सम्मिलित करने के लिये', प्राय: यह भाषा इस्तेमाल की जाती है । अध्यक्ष महोदय तथा सभापति महोदय ने भी इसको स्वीकार किया था । इसका अर्थ है कि दोनों सभाओं के सदस्यों के अधिकार एक जैसे होंग । मुझे आशा है कि दोनों सभाओं द्वारा इसे स्वीकृति मिलने पर हम शीघ्र ही, संभवतया इसी सत्र में ही , समिति का गठन कर सकेंगे तथा अगले वर्ष तक हमें समिति का पहला प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा ।

†**श्री क० च० रेड्डी :** माननीय मंत्री द्वारा कुछ समय पूर्व प्रस्तुत किये गये संशोधन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि भाग ३ में चार एककों का उल्लेख है । यदि भाग २ में उन शब्दों का लोप किया जा रहा है तो संकल्प में भाग ३ को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री कानूनगो :** इसकी आवश्यगकता नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** भाग १ तथा २ का भी इसमें कोई निर्देश नहीं है । अब मैं डा० सिंघवी के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २५ को सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या कोई अन्य संशोधन वापिस लिये गये ?

†**श्री अ०चं० गुह :** मैं माननीय मंत्री से सूछना चाहता हूं कि क्या वे कुछ संशोधन स्वीकार करेंगे । इनका लोक सभा के परमाधिकारों से सम्बन्ध है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे ऐसा करन में असमर्थ हैं ।

सब संशोधन प्रस्तुत किये गये समझ गये हैं । मैं संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में ३४ ; विपक्ष में १०६ ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में २६, विपक्ष में १०८

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया ।

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ ।

पक्ष में ३१ ; विपक्ष में १२० ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या ६ से ९ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव में पैरा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(3) That the members of the Committee shall hold office for the duraation of the presant Lok Sabha."

["(३) कि इस समिति के सदस्य वर्तमान लोक-सभा की कालावधि तक पदस्थ रहेंगे ।"]

(२६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या १०, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या १२ तथा १३, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में ३१ ; विपक्ष में १२३ ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या १५, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६ मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में २९ ; विपक्ष में १२३

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १८, १९, २० तथा २१ अवरुद्ध हैं चूंकि इस बारे में एक सरकारी संशोधन पहले ही स्वीकार हो चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में २९ ; विपक्ष में १२४

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या २३ तथा २४, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोद** : संशोधन संख्या २५ पहले ही निपटाया जा चुका है । अब मैं संशोधन संख्या २७ को मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव में, —

अनुसूची के भाग २ में,

"other than the public undertakings included in part III here of."

["इसके भाग ३ में सम्मिलित सरकारी उपक्रमों को छोड़ कर।]" का लोप किया जाय। (२७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं प्रस्ताव को, संशोधित रूप में, मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव को, संशोधित रूप में, स्वीकृत किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम अगले प्रस्ताव को लेते हैं । इस पर कुछ संशोधन हैं । क्या कोई सदस्य अपन संशोधन को जरूर ही प्रस्तुत करवाना चाहते हैं ?

संशोधन संख्या ३ तथा १, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं मूल प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से पांच सदस्य मनोनीत करने के लिये सहमत हो और उक्त समिति के गठित होने पर इस सभा से इस प्रकार मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आय-कर (संशोधन) विधेयक

†**योजना मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, आय-कर अधिनियम में उन करदाताओं की विकास सम्बन्धी छूट का उपबन्ध है जो अपने उपक्रमों में नई मशीनरी या संयंत्र लगाते हैं। यह छूट उस मशीनरी अथवा संयंत्र की लागत में से कुछ प्रतिशत कमी के रूप में दी जायगी। करदाता की उस वर्ष की निर्धारणीय आय में से जिस वर्ष ऐसी मशीनरी लगाई जाती है छूट की राशि कम कर दी जाती है। यह छूट नये औद्योगिक उपक्रमों में धन लगाने के प्रलोभन हेतु दी जा रही है ताकि भारत में उद्योगों का विकास हो। यह सुनिश्चित करने के लिये कि इसका दुरुपयोग न हो, छूट की राशि का ७५ प्रतिशत रक्षित निधि में रखे जाने की शर्त लगा दी गई है जोकि केवल उपक्रम के कारोबार के लिये अगले ८ वर्षों के अन्दर उपयोग में लायी जायेगी तथा उसको लाभांश अथवा लाभ के रूप में नहीं बांटा जायेगा ।

वर्तमान छट, जो १ अप्रैल, १९६१ को या इसके पश्चात् लगाई गई नई मशीनरी के लिये दी जाती है, उस मशीन की लागत का २० प्रतिशत है। परन्तु ऐसा महसूस किया गया है कि हमारे कोयला खनन उद्योग को पूंजी विनियोजन हेतु अधिक प्रलोभन देने की आवश्यकता है जिससे कि इस उद्योग को बढ़ावा मिले। कोयला खनन एक महत्वपूर्ण बुनियादी उद्योग है क्योंकि हमारे इस्पात तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपने लक्ष्य पूरे करने के लिये कोयले की बड़ी आवश्यकता है। इसमें कई प्रकार की दुर्घटनायें होती रहती हैं। खानों से निकलने वाले कोयले की मात्रा बढ़ाने तथा किस्म में सुधार करने की दृष्टि से विद्यमान एककों को गहराई में खनन कार्य करना होता है जिसके लिये आधुनिक मशीनरी खरीदने के लिये काफी पूंजी जुटाना आवश्यक है। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए, इस उद्योग के सम्बन्ध में तीन वित्तीय वर्षों १९६३-६४ से १९६५-६६ तक यह छूट २० से ३५ प्रतिशत करने का विचार है। यह विधेयक आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा ३३, जिसमें कि यह दर दिये हुए हैं, में यह संशोधन करने के लिये लाया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बड़े कोयला उद्योगों को एक और छूट देने के बारे में है। मेरी राय में उन्हें यह छट नहीं दी जानी चाहिये। इस बारे में, मैं संक्षेप में इसके इतिहास में जाऊंगा ।

कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन १९५८ में दिया था ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

यह समिति बंगाल तथा बिहार के कोयला उद्योग के लागत एवं मूल्य के ढांचे के निरीक्षण करने के पश्चात् इस परिणाम पर पहुंची थी कि कोयला उद्योग को अवक्षयण तथा विकास रियायत १.७० नये पैसे प्रति टन के हिसाब से दी जानी चाहिये, इस प्रकार समुचित लाभ १.७५ नये प्रति-टन होगा जो उद्योग में लगाई पूंजी, १६ रुपये प्रति टन, का ११ प्रतिशत भाग होगा तथा यह उत्पादन लागत का भी १० प्रतिशत होगा ।

वर्ष १९५९ में एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया कि कोयले का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये जिससे कुल उपलब्धि की औसत विक्रय मूल्य १९ रुपये ६५ नये पैसे प्रति

†मूल अंग्रेजी में

टन होना चाहिये। समिति ने यह विचार भी व्यक्त किया था कि यह निर्धारित मूल्य कम से कम ५ वर्षों के लिये उचित होंगे। गत वर्ष कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि कोयले के मूल्य में तभी वृद्धि होनी चाहिये यदि श्रमिकों की मजूरी में किसी प्रकार की वृद्धि की जाये। समिति द्वारा कही गई बात अब तक उपयुक्त है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

कोयला उद्योगों के पास आधुनिकीकरण करने के पर्याप्त साधन हैं फिर भी उन्होंने इस कार्य के लिये कोयले के मूल्य बढ़ाने के लिये कहा और सरकार इन बड़े उद्योगों के दबाव में आकर कोयले के मूल्य में ५० नये पैसे प्रतिटन वृद्धि करने के लिये सहमत हो गई।

निस्संदेह कोयले की खानों का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण होना चाहिये, यह बिना सरकार द्वारा रियायत दिये होना चाहिये। जहां तक छोटी और मध्यम खानों का प्रश्न है उन्हें बड़ी खानों के साथ मिला देना चाहिये ताकि उनका भी यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण बिना कठिनाई के हो सके। गत वर्ष सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि विश्व बैंक गैर सरकारी कोयला खानों को १७ करोड़ रुपये की निर्धारित राशि में से १ $^{1}/_{2}$ करोड़ रुपये दे चुका है किन्तु छोटी खानें ऋण प्राप्त करने के लिये विश्व बैंक की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते हैं।

बड़ी बड़ी खानों जैसे कि बंगाल कोल कंम्पनी, रानीगंज कोल कम्पनी, नार्थ वैस्ट कोल कम्पनी, आदि तथा उनके अभिकर्ताओं द्वारा जो लाभांश दिये गये हैं उन पर दृष्टि डालने से विदित हो जाता है कि उन्होंने कितनी अधिक मात्रा में लाभ अर्जित किया है। वर्ष १९६० से १९६२ के काल में इनके द्वारा दिये गये लाभांश १० से ९५ प्रतिशत के बीच है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन समवायों के पास पर्याप्त मात्रा में रक्षित पूंजी है और यदि वह चाहें तो, विकास एवं आधुनिकीकरण में आसानी से पूंजी लगा सकते हैं। उनके लिये विकास सम्बन्धी छूट के बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ही नहीं, इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति-पारी के उत्पादन ४२ टन से ४९ टन बढ़ जाने से उनके लाभ बढ़ रहे हैं।

रिजर्व बैंक, वित्तनिगमों आदि ने भी खानों को ऋण उपलब्ध करने के लिये अधिक सुविधायें दे दी हैं सरकार नें इन खानों को दिये जाने वाले ऋण पर गारन्टी देने का भी निश्चय किया है। सरकार की ओर से इन कोयला खानों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा उन्हें पर्याप्त सुविधायें दी जा रही हैं जिससे वे अपना विस्तार कार्य स्वयं आसानी से कर सकते हैं।

सरकार ने वर्ष १९६२ में कोयला खानों को ५० नये पैसे प्रतिटन बढ़ोतरी करन की अनुमति दी थी। इन खानों को अनुसूचित बैंकों से जो ऋण दिया जाता था उसके लिये एक योजना भी चालू की थी; सरकार ने इन ऋणों पर ६५ प्रतिशत गारंटी देने का भी निश्चय किया था। ऐसा, खानों को कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये किया गया था क्योंकि इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये कोयले की अधिक आवश्यकता है।

सरकार ने कोयला उद्योग का सही रूप चित्रित नहीं किया है। कोयले का उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष १९६०–६१ में ४४८.८ लाख टन से बढ़कर १९६२–६३ में ५२० लाख टन हो गया है। इस बात की पूर्ण आशा है वह तृतीय योजना के ६०० लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अवश्य सफल होंगी। यदि उत्पादन बढ़ाने में कोई एकक पीछे रह रहे हैं तो वह राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के एकक ही हैं।

सरकार का इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में लिखा है कि यह प्रोत्साहन कोयले के उत्पादन की दृष्टि से लाया गया है जिससे तीसरी योजना में कोयले के लक्ष्य को प्राप्त

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

किया जा सके। प्रश्न कोयले के उत्पादन का नहीं है। अपितु योजना का है; माननीय मंत्रियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया है कि हमारी योजना में गलती है। कोयल का उत्पादन तो लक्ष्य से भी ऊपर चला गया है किन्तु फिर भी योजना में सुधार करने के स्थान पर इन बड़े बड़े समवायों तथा एकाधिपत्यों को आय कर में छूट देने का उपबन्ध किया जा रहा है।

हाल ही में कलकत्ता में कोयला उद्योग सम्बंधी मजूरी बोर्ड की बैठक में भारतीय खनिक संगठन के अध्यक्ष श्री प्राण प्रसाद ने मजूरी बोड के सामने यह बात स्पष्ट रूप से कही कि कोयले का मूल्य बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गत वर्ष हुई ५० नये पैसे प्रतिटन की वृद्धि से काफी लाभ हो जाता है। श्री प्राण प्रसाद ने बोर्ड के सामने वह पत्र भी पढ़ कर सुनाया जो भारत सरकार की ओर से विश्व बैंक को लिखा गया था। विश्व बैंक द्वारा गैर सरकारी कोयला उद्योगों को ८० करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये थे। इसलिये बैंक को पत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार का विचार तीसरी और चौथी योजना में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को यह अधिकार किसने दिया है?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह किसका पत्र था?

†**इन्द्रजीत गुप्त** : यह पत्र भारत सरकार की ओर से विश्व बैंक को लिखा गया था जो कलकत्ता में मजूरी बोर्ड के सामने दो महीने पहिले श्री प्राण प्रसाद द्वारा पढ़ा गया था। अभी प्रश्न काल में श्री अलगेशन ने सदन को बताया है कि अभी चतुर्थ पंच वर्ष योजना के लिये कोयले का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। हम कोयले का लक्ष्य इस आधार को दृष्टि में रखते हुये निर्धारित करेंगे कि नये विकसित होने वाले उद्योग जिनमें कोयले की खपत होती है, में कितना कोयला उपयोग किया जायेगा। हम इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिये व्यवहारिक रूप में हर संभव प्रयत्न करेंगे। लक्ष्य जब निर्धारित किया जायेगा तब देखा जायेगा किन्तु वर्तमान समय में इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहले ही उत्पादन बहुत अधिक है और समवाय काफी लाभ कमा रहे हैं। छोटे और मध्यम श्रेणी के कोयला उद्योगों को इस विधेयक में संशोधन से कोई लाभ नहीं है। यदि सबका हित देखना है तो कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। अतः मैं इस विधेयक का पूर्णरूप से विरोध करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर फिर से सोचे और इसे वापस ले ले।

श्री कछवाय (देवास) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस समय सदन में कोरम नहीं है।

†**सभापति महोदय** : घंटी बज रही है . . .

अब गणपूर्ति होगई है। श्री जयपाल सिंह।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिमी) : मैं माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त के तर्कों का विरोध करता हूं तथा इस संशोधन किये जाने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। श्री गुप्त ने कोयला खानों द्वारा बड़ी मात्रा में कमाये जाने वाले लाभ के बारे में कहा है। कोयला खानों को इतना लाभ नहीं होता है जितना गुप्त जी ने बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ये आंकड़े शेयरों के पहले निर्धारित मूल्य के आंकड़ों से लिये हैं। एक शेयर जो दस रुपये का था उसकी कीमत आज सौ रुपये या इससे भी अधिक हो गई है इसलिये लाभ दस रुपये पर नहीं निकालना चाहिये अपितु सौ रुपये पर निकालना चाहिये। प्रतिशत निकालते समय भी शेयर या लगाई गई पूंजी का वर्तमान मूल्य का हिसाब लगाना चाहिये न कि उस समय का जब कि शेयर खरीदा गया था या पूंजी लगाई गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इन्द्रजीत गुप्त** : ११ प्रतिशत वाली बात का क्या हुआ ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं ११ प्रतिशत को स्वीकार करता हूं । जब वह ९३ प्रतिशत की बात कहते हैं तो वह वास्तविकता को प्रकट नहीं करते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह ११ प्रतिशत से सम्बन्धित है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : यही बात चाय उद्योगों पर भी लागू होती है । हिसाब लगाते समय शेयर के वर्तमान मुल्य को ध्यान में रख कर ही हिसाब लगाना चाहिये क्योंकि किसी शेयर की मूल कीमत स्थिर नहीं है कीमते बहुत बढ़ गई है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यदि मुहानों में कोयला जमा है तो वह मांग कम होने के कारण नहीं है अपितु परिवहन सम्बंधी कठिनाइयों के कारण वहां पड़ा ह ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आज कल यह बात लागू नहीं होती है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : शीघ्र ही सदन में परिवहन की कठिनाइयों के बारे में प्रस्तूत किये जाने वालें प्रतिवेदन से मेरे माननीय मित्र को पता चला जायेगा ।

†**इन्द्रजीत गुप्त** : परिवहन की कठिनाइयां पहले थीं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : धनबाद में जमा हुआ कोयला रेल से न आ सकने के कारण अब उसे सड़क परिवहन द्वारा लाने का प्रयत्न किया जा रहा है । यदि गैर सरकारी समवाय कार्यकुशलता से काम करे तथा उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त कर लें तो उनके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठना चाहिये ।

यह देख कर खेद होता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रही हैं । कोयला खनिकों के लिये आवास सम्बंधी स्थिति बहुत ही दयनीय है । इस विकट स्थिति में सुधार करने के लिये अवश्य कोई कार्यवाही शीघ्र करनी चाहिये ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जी हां, मैं भी आपके साथ हूं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मुझे प्रसन्नता है कि इस परिवर्तन के लिये माननीय मित्र मेरे साथ हैं ।

कोयला खानों का आधुनिकरण किया जाना चाहिये । छोटे छोटे तथा मध्यम श्रेणी के ए कों को मिला देना चाहिये और उत्पादन के अच्छे तरीकों को अपनाना चाहिए ।

देश में प्रथम बार कोयला खानों के लिये आधुनिक मशीनें बनने लग गई हैं जिससे छोटे कोयला खानों का भी आधुनिकरण हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं । किसी कानून का संशोधन करने के लिए जब सरकार बैठती है तो उस कानून में और भी जितनी खामियां हैं, उन सबको उसको ठीक तरह से देख लेना चाहिये ताकि सभी खामियां संशोधन के रूप में एक साथ सदन के सामने रखी जा सकें और उन सबको दूर किया जा सके ।

यह गिल इनकम-टैक्स यानी आयकर से सम्बन्धित है । आयकर का जब हिसाब लगाया जाता है तो उस हिसाब से एक बहुत बड़े अंश को छोड़ दिया जाता है । जो अफ़सर होते हैं या पार्लियामेंट

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री किशन पटनायक]

के मेम्बर्ज़ होते हैं अगर उनकी आय का आप हिसाब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आय का बहुत बड़ा अंश छोड़ दिया गया है । एक पार्लियामेंट के मैम्बर को एक महीने में जितनी आय होती है, उसका एक बहुत बड़ा अंश तनख्वाह नहीं होता है । तनख्वाह को छोड़ कर जो सुविधायें होती हैं, भत्ता वगैरह होता है, उनका परिमाण तनख्वाह से कहीं अधिक, कहीं ज्यादा होता है । मैं केवल पार्लियामेंट के मेम्बर्ज़ के बारे में नहीं कहता बल्कि नौकरशाही में जितने बड़े आफिसर्स होते हैं, सब के बारे में कहता हूं और यह बात समान रूप से उन पर लागू होती है । तनख्वाह नाम के वास्ते होती है । मिनिस्टर्ज़ को और डिप्टी मिनिस्टर्ज़ को भी मैं इसमें शामिल करता हूं । तनख्वाह एक हज़ार, डेढ़ हज़ार या दो हज़ार ही होती है लेकिन सुविधाओं को अगर आप देखें लेंगे, घर को लेंगे, नौकरों को लेंगे, भत्तों को लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आय तनख्वाह से कहीं ज्यादा बैठती है । डिप्टी मिनिस्टर्ज़ की आय का भी कभी हिसाब लगा कर के देख लिया जाना चाहिये । उनकी आय भी पांच या छः हजार हो जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल कोल इंडस्ट्रीज़ के बारे में है ।

श्री किशन पटनायक : आयकर में संशोधन किया जा रहा है और चूंकि यह जनरल डिसकशन है इसलिए मैं इस चीज़ को इसमें ला रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल के बारे में जो आपको बोलना है, बोलिये ।

श्री किशन पटनायक : इनकम टैक्स के कानून के संशोधन के बारे में मैं बोल रहा हूं । जब यह संशोधन आप लाये हैं तो यह जो सारी चीज़ है, इसको आपको देख लेना चाहिये था । यह बहुत जरूरी है । बहुत सी आय इनकम टैक्स के अन्दर आती ही नहीं है, बाहर रह जाती है और इनकम टैक्स के रूप में सरकार को जो पैसा मिलना चाहिये, नहीं मिलता है । मेरा इतना ही निवेदन है कि इसके बारे में भी मिनिस्टर साहब संशोधन पेश करें कि नौकरशाही, मिनिस्टर्ज़, पार्लिमेंट के मेम्बर्ज़ वगैरह जितने लोग हैं, उन पर जब आयकर लगाया जाता है, तो सिर्फ़ तनख्वाह का ही ध्यान नहीं रखा जाना चाहिये, सुविधाओं भत्तों, वगैरह को भी हिसाब में गिना जाना चाहिये ।

†**श्री प्र० कु० घोष** रांची-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यह विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोयला खनन जैसे महत्वपूर्ण उद्योग के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है । कोयले की कमी से देश में औद्योगिक विकास में रुकावट आ सकती है । विकास सम्बन्धी छूट को बढ़ाना भी उचित है । इससे खानों के आधुनिकीकरण तथा यंत्रीकरण में अधिक सुविधा रहेगी । छोटी खानों को बड़ी खानों की अपेक्षा अधिक छूट दी जानी चाहिये ।

आयकर अधिकारियों को भी निदेश दिये जाने चाहियें कि मिलों के कर को निर्धारित करते समय उनके मांगने या न मांगने पर भी उन्हें ऐसी छूट न दें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा अपने माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन करता हूं । कोयला उद्योग को किसी प्रकार के अग्रेतर प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये । कोयला खानों की तरफ आयकर की बड़ी राशियां शेष हैं, सरकार को यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिये । ये लोग हमारे

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों में कोयले की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को इस के लिये बाध्य करते हैं कि कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उन्हें सहायता के रूप में प्रोत्साहन मिले ।

कोयला खनिकों की आवास स्थिति बहुत ही खराब है । उद्योगपति सभी श्रम विधियों का उल्लंघन करते हैं तथा श्रमिकों सम्बन्धी किसी भी द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय करार की परवाह नहीं करते । श्रमिकों पर काम का भार बढ़ रहा है और आधुनिकीकरण का बहाना बना कर उनकी छंटनी तथा पदावनति की जा रही है ।

बंगाल सरकार, केन्द्र सरकार या कुछ खान मालिकों द्वारा किसी विशेष योजना के अन्तर्गत खनिक श्रमिकों के लिये बनाये गये क्वार्टरों के अतिरिक्त कहीं भी इनके लिये क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं । मुश्किल से ५ प्रतिशत श्रमिकों को क्वार्टर दिये गये हैं । श्रमिकों के पीने के लिये स्वच्छ जल तक का भी अभाव है ।

इस विधेयक के फलस्वरूप कोयला खानों को आय-कर अपवंचन तथा श्रमिकों के शोषण का एक और अवसर मिलेगा । कोयला उद्योग द्वारा १९६१ और १९६२ में अर्जित अत्यधिक लाभ को देखते हुए विकास सम्बन्धी छूट को इस मामले में नहीं बढ़ाना चाहिए । इस विधेयक को पारित करने से अन्य उद्योगों को भी इसी प्रकार के प्रोत्साहन की मांग करने का पूर्ण अवसर मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा माननीय मंत्री से इसे वापिस लेने के लिये प्रार्थना करता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कोयला उद्योग का कार्य सन्तोषजनक नहीं है । हम दीर्घ काल से इस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं और इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इस दिशा में किये गये प्रयत्नों के अनुसार इसमें संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योग के हित को नहीं वरन् मुनाफाखोरी को समक्ष रखा गया है । कोयला खानों से कोयला निकालते समय देश के हित का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तथा इस देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति का बुरे से बुरे ढंग से शोषण किया जा रहा है । कोयला खानों का आधुनिकीकरण तथा यंत्रीकरण अवश्य होना चाहिये किन्तु कोयला निकालते समय देश के हित को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये जिससे कोयले को उचित ढंग से निकाला जाये ।

कोयला खानों में श्रमिकों की दशा शोचनीय है । उनके लिये आवास, पीने के स्वच्छ पानी तक का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है, कोयला खानों में दुर्घटनायें होती रहती हैं । इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये हैं । सरकार इस उद्योग के लिये विकास सम्बन्धी छूट की दर को बढ़ाना चाहती है । सिद्धान्त रूप में ये बातें अच्छी हैं । दूसरे देशों में हुई वर्तमान प्रगति को देखते हुए इन कोयला खानों का आधुनिकरण तथा यंत्रीकरण होना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेना चाहते हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : निस्संदेह, मैंने अभी आरम्भ ही किया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे । श्री राने ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

16pt-Rom.

बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतवार २१ नवम्बर, १९६३/कार्तिक ३०, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २० नवम्बर, १९६३

२९ कार्तिक, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२७३—९९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६१	कोचीन का तेल शोधक कारखाना	२७३—७५
६२	रूस से तेल की खोज में काम आने वाले उपकरणों का आयात	२७५–७६
६३	इण्डिया आयल कम्पनी	२७६—७९
६४	दिल्ली का राजनैतिक ढांचा	२७९—८१
६५	ईरान में तेल की खोज	२८१—८४
६६	कोयली तेल शोधक कारखाना	२८४—८६
६७	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	२८६—९१
६८	व्हिटले परिषदें	२९२–९३
६९	अन्धों का शिक्षण	२९४—९६
७०	फिल्म स्टूडियो की तलाशी	२९७—९९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२९९—३१०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
७१	कोयले के मूल्य	२९९
७२	इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन	३००–३०१
७३	शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा युवक कल्याण	३०१
७४	"अग्रेनयन नियम"	३०१
७५	राष्ट्रीय पंचांग	३०१–३०२
७६	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द व्यक्ति	३०२–३०३
७७	सामान्य शिक्षा का अवलोकन	३०३–३०४
७८	हल्दिया बन्दरगाह में तेल शोधक कारखाना	३०४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

७९ राष्ट्रीय जीव विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला . . ३०४
८० पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश . . ३०५
८१ कोयले का लक्ष्य . ३०५–३०६
८२ कावेरी बेसिन में तेल . ३०६
८३ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा . . ३०६–३०७
८४ बहादुरशाह जफर की अस्थियां . ३०७
८५ स्त्री शिक्षा . . ३०७
८६ दिल्ली में मकानों के किराये . . ३०८
८७ इंजीनियरों के लिये एक समान वेतन ढांचा . ३०८
८८ मिज़ो राष्ट्रीय आन्दोलन ३०८
८९ इम्पीरियल गज़ेटियर . ३०९
९० पालम पर हुई घटना ३०९–१०

अतारांकित
प्रश्न संख्या ३१०—४८

१६३ बहादुरशाह जफर का जन्म शताब्दी समारोह . . ३१०
१६४ मदुरै में विश्वविद्यालय ३१०
१६५ उत्तर प्रदेश में प्रविधिक छात्रवृत्तियां . . . ३११
१६६ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ३११
१६७ उत्तर प्रदेश के राजनैतिक पीड़ित . . ३११
१६८ उड़ीसा में कालेजों को अनुदान . . . ३११
१६९ आन्ध्र न्यायालय में विचाराधीन मामले . . . ३१२
१७० अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये जन-कल्याण योजनायें . ३१२
१७१ उड़ीसा में तूफान . . . ३१२–१३
१७२ उत्कल विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग . ३१३
१७३ स्कूलों के पुस्तकाध्यक्ष . ३१३
१७४ विदेशों में अध्ययन के लिए ऋण . ३१३–१४
१७५ संगीत नाटक अकादमी ३१४
१७६ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां . . ३१४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७७	आसाम के कोयला निक्षेप	३१४–१५
१७८	विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अर्हतायें	३१५
१७९	कच्चे लोहे की खानें	३१५
१८०	दिल्ली में प्रविधिक शिक्षा	३१६
१८१	इंडिया फाउंडेशन, पूना	२१६
१८२	सरकारी कर्मचारियों का वाणिज्यिक फर्मों में शामिल होना	३१६–१७
१८३	तालचेर में कोयला निकालना	३१७
१८४	उद्योगों के बचे कचेर से माल तैयार करना	३१७–१८
१८५	गोहाटी तेल शोधक कारखाना	३१८–१९
१८६	अंशकालिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	३१९–२०
१८७	नूनमाटी तेलशोधक कारखानों की बेकार गैस	३२०
१८८	नेफा और लद्दाख में कल्याण बोर्ड	३२०–२१
१८९	मनाली और दार्जिलिंग की पर्वतारोहण संस्थायें	३२१
१९०	सेक्शन आफिसरों का वेतन	३२१
१९१	डा० प्रताप सिंह के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	३२२
१९२	रिह्न्द बांध	३२२–२३
१९३	बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालय	३२३
१९४	सर्वे आफ इंडिया	३२३
१९५	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा	३२३–२४
१९६	दरभंगा में बलीराजगढ़ में खुदाई	३२४
१९७	मद्रास में माध्यमिक शिक्षा	३२४–२५
१९८	इंडियन आयल कम्पनी के व्यापारियों के बट्टे की दर	३२५
१९९	अफगानिस्तान के साथ सांस्कृतिक समझौता	३२५–२६
२००	एम० बी० अन्दमानज	३२६
२०१	पोर्ट ब्लेयर में उच्चतर राजकीय माध्यमिक विद्यालय	३२६–२७
२०२	अन्दमान में जहाजों में यात्री किराये	३२७
२०३	लौह अयस्क की पट्टियों का सर्वेक्षण	३२७
२०४	पंजाब में तेल की खुदाई के कार्य	३२८
२०५	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां योजना	३२८–२९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०६ उच्च शिक्षा के लिये अध्यापकों की कमी . . ३२९
२०७ पश्चिमी जर्मनी और भारत के बीच प्रोफेसरों का आदान प्रदान . ३२९
२०८ झांसी की रानी का महल ३३०
२०९ केरल में एक और विश्वविद्यालय . . . ३३०
२१० मल ढोना ३३०–३१
२११ शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों का कल्याण . . ३३१
२१२ अनैतिक पण्य दमन अधिनियम ३३१
२१३ हिन्दी शब्दकोष . . . ३३२
२१४ अनुवाद की समस्या . . ३३२
२१५ दिल्ली पुलिस कर्मचारी . . . ३३२
२१६ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ३३२–३३
२१७ बुनियादी शिक्षा . . ३३३
२१८ अमरीका को भारतीय विद्यार्थी ३३३–३४
२१९ आसाम में खनिज . . . ३३४
२२० एम० ए० और बी० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी ३३४
२२१ भारतीय विज्ञान कांग्रेस . . ३३४–३५
२२२ कुसीनगर (देवरिया) में बुद्ध की मूर्ति . ३३५
२२३ भूतत्वीय सर्वेक्षण . . . ३३५–३६
२२४ केरल को खनिज संसाधन . . . ३३६
२२५ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एशियाई भाषायें . ३३७
२२६ कोयले का स्टाक . . ३३७
२२७ प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज, जयपुर ३३७–३८
२२८ छिद्रण परियोजनायें ३३८–३९
२२९ बरनी गांव (मध्य प्रदेश) में पुरातत्वीय वस्तुओं का पाया जाना . ३३९
२३० पैरा-साइकालोजी का अध्ययन . . ३४०
२३१ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक . . . ३४०
२३२ पाकिस्तान की जासूसी . . . ३४१
२३३ विश्वविद्यालयों के लिये औद्योगिक बस्ती . ३४१
२३४ कालिज . . . ३४१–४२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३५	पुरातत्वीय खुदाई	३४२
२३६	सिक्किम में जस्ता	३४२–४३
२३७	पंजाब में स्मारकों का सर्वेक्षण	३४३
२३८	पंजाब में समाज प्रतिरक्षा (केयर) योजनाएं	३४३
२३९	उड़ीसा में क्षेत्रीय औद्योगिक अनुसन्धान संस्था	३४४
२४०	वानस्पतिक उद्यान	३४४
२४२	हिमालय का वैज्ञानिक सर्वेक्षण	३४४–४५
२४३	ढेबर आयोग का प्रतिवेदन	३४५
२४४	भ्रष्टाचार निरोध अधिकारियों का सम्मेलन	३४५
२४५	रायगढ़ (भोपाल) में तेल का मिलना	३४६
२४६	अभ्रक की खानें	३४६
२४७	तंजौर में ड्रिलिंग	२४६
२४८	संग्रहालय	३४६–४७
२४९	पुरंदरदास का ४००वां वर्ष दिवस	३४७
२५०	रूसी विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी	३४७–४८
२५१	अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	३४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . ३४८—५८

श्री मोहन स्वरूप ने काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर हाल की घटनाओं की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५८–५९

(१) विक्टोरिया मैमोरियल कलकत्ता के प्रन्यासियों की कार्यकारिणी समिति के ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति ।

(२) (क) खान और खनिज पदार्थ (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--जारी

(एक) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१४ में प्रकाशित खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(दो) दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४३ में प्रकाशित खनिज रियायत (छठा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(तीन) दिनांक ३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७८ में प्रकाशित खनिज रियायत (सातवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(चार) उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५१ ।

(ख) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५६९ में प्रकाशित कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५२२ में प्रकाशित मध्य भारत नर्स, मिडवाइफ और हेल्थ विजिटर परिषद् (पुनर्गठन) आदेश, १९६३ ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १४ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४७० में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) संशोधन नियम, १९६३ ।

(तीन) न्यायालयों में अवमान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ।

राज्य सभा से सन्देश . . . . . .

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने एक प्रस्ताव पास कर के भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन विधेयक, १९६३ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश किये जाने का समय २ दिसम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया गया है ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६०

सत्ताईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३६०—८५

२१ सितम्बर, १९६३ को उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्तुत दो प्रस्तावों पर तथा १८ नवम्बर, १९६३ को प्रस्तुत तत्सम्बन्धी-संशोधनों व स्थानापन्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । प्रस्ताव संख्या १, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ । प्रस्ताव संख्या २ सम्बन्धी संशोधन वापिस ले लिये गये और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . ३८५—९१

योजना मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३९२

बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

गुरुवार, २१ नवम्बर, १९६३/३० कार्तिक, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

आय-कर (संशोधन) विधेयक, पर अग्रेतर विचार तथा इसका पारित किया जाना और गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक तथा पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक पर विचार तथा इनका पारित किया जाना ।

GIPND—LS III—1538 (Ai) LS—19-12 -63—160.

पृष्ठ

श्री इन्द्रजीत गुप्त . . . १८६–१८८
श्री जयपाल सिंह . . . १८८–१८९
श्री किशन पटनायक . . . १८९–१९०
श्री प्र० कु० घोष . . . १९०
श्री स० मो० बनर्जी . . . १९०–१९१
श्री दी० चं० शर्मा . . . १९१–

कार्य मंत्रणा समिति

बीसवां प्रतिवेदन . . . १९२

दैनिक संक्षेपिका . . . १९३–९९

P.L.S. 41. XXII. 3. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।